खण्ड-247, अंक-7
सोमवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(16 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६५–६८
प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू की कथित हत्या के लिए किये जाने वाले तांत्रिक यज्ञों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	६९
प्रश्नोत्तर	६९–९५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९५
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	९५–९६
आश्वासन समिति के विशेष प्रतिवेदन पर होने वाले वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग	९६–९७
कतिपय विषय	९७–९८
जिला बहराइच के चन्दनापुर सर्किल सोसाइटीज के सुपरवाइजर द्वारा सोसाइटी के बकायादारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९८–१०३
गृह मंत्री द्वारा अपने भाषण में प्रयोग किये गये कुछ वाक्यों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१०३–१०४
१९६४–६५ के आय-व्यपक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (स्वीकृत) ..	१०४–१४३
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम	१४३–१४४
नत्थियां	१४५–१५२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुस समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली , श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कुन्दनचन्द, श्री

कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री

बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह कुंवर,
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री

लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
लखीसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू की कथित हत्या के लिए किये जाने वाले तांत्रिक यज्ञों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आरम्भ करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज समाचार की ओर श्रीमन्, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मिर्जापुर के विन्ध्याचल नामक स्थान पर नेहरू जी की हत्या के लिये एक तांत्रिक यज्ञ हो रहा है। बनारस में गया प्रसाद ज्योतिषी जप कर रहे हैं किसी को बसाने के लिये और विन्ध्याचल में मैथिल साधु यह तांत्रिक यज्ञ कर रहे हैं और आज ब्लिट्ज के फ्रंट पेज पर यह खबर है कि इस प्रदेश के जिले मिर्जापुर में नेहरू की हत्या के लिए इस प्रकार के तान्त्रिक यज्ञ हो रहे हैं। १५ मन घी उसमें जल चुका है। श्री बिशन कपूर ब्लिट्ज के पत्रकार वहां की यात्रा और जांच करके आये हैं और उन्होंने सब आज ही सुबह मुझे बताया। अगर ऐसी बात है तो माननीय उपनेता सदन और माननीय गृह मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें सारे प्रदेश की बदनामी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में नेहरू की हत्या के लिए तांत्रिक यज्ञ हो। श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा वहां गयीं और सी० आई० डी० और डी० एम० से, श्री कपूर से उनकी यात्रा को कन्फर्म किया है। माननीय गृहमंत्री वायरलेस से इसकी सूचना मंगायें और सदन को सूचित कर दें क्योंकि इससे सारे देश और विदेशों में भी हमारे प्रदेश की बदनामी हो रही है। वह इसका पता लगा कर उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें जो इसके पीछे इस तरह का षडयंत्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

जो बात कही गयी है, वह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शंका नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है (व्यवधान) मैं जब बोल रहा हूं तो आप बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा कर बैठें। मैं यह कह रहा था कि यह बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे विश्वास है कि सरकार जागरूक होगी। लेकिन यह कि केवल समाचारपत्र के आधार पर हम किसी बात को सत्य मान लें, यह जरा मुश्किल होता है (व्यवधान) लेकिन अब यह बात सदन में सरकार के नोटिस में लायी जा चुकी है, मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करेगी।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बलिया जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

१---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जिला बलिया में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें कितनी हैं और कितनी दुकानों ने ६ माह या ६ माह के पूर्व से राशन का गल्ला नहीं उठाया है?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

जिला बलिया में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल २९४ दुकानें हैं, जिनमें से १९ दुकानों ने ६ माह या उसके पूर्व से राशन का गल्ला नहीं उठाया है।

मतदाता सूची

*२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पांचों कवाल टाउन्स की मतदाता सूची कब से तैयार कराई जायेगी, जबकि महापलिका के चुनाव, अक्तूबर, १९६४ में हो रहे हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अप्रैल—मई में घर-घर जाकर गणना का कार्य होगा। तत्पश्चात् जैसा भी निर्णय होगा नामावलियां छपाई या साइक्लोस्टाइल कराई जायेंगी।

*३—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मतदाता सूचियां किन से तैयार कराई जायेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

विषय विचाराधीन है। निर्वाचन आयोग, भारत से भी परामर्श लिया जायेगा। सिविल डिफेन्स के सेक्टर वार्डन या नगर महापालिकाओं के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों से काम लेने का विचार है।

मूल्यों की तुलनात्मक तालिका

*४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों की तुलनात्मक तालिका जो दोनों वर्ष दिसम्बर, १९६२ और दिसम्बर, १९६३ में खुले बाजार में प्रचलित थी, देने की कृपा करेंगे ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

वांछित तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४५ पर)

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

इस तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य सामग्रियों के भाव दिसम्बर तक मांगे गये थे और उसके बाद और अधिक बढ़ गये हैं और जैसी कि मंत्री जी ने सदन में सूचना दी थी, खाद्यान्नों के भाव में कोई कमी नहीं आयी बल्कि मोटे अनाज का भाव और भी तेज होता जा रहा है, तो सरकार इस बारे में कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है जिस से मोटा अनाज लोगों को सही दाम पर मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक बढ़ने का सवाल है वह बढ़ नहीं रहा है बल्कि रुका हुआ है, कहीं-कहीं कमी भी आयी है। जहां तक मोटे अनाज का सवाल है वह तो हमारे पास है नहीं। मगर गेहूं ही इस भाव पर दिया जा रहा है कि जो मोटे अनाज की बराबरी करता है। मेरा ख्याल है कि गेहूं और आटा जो भारी मात्रा में हम दे रहे हैं उसका अच्छा प्रभाव कीमतों पर पड़ना चाहिए और वह कीमतें अब घटेंगी ऐसी उम्मीद रखिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

खाद्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि प्रदेश का बहुत-सा गल्ला दूसरी जगहों पर बार्डर के उस तरफ चला जा रहा है जिसके फलस्वरूप यहां की कीमतों में तेजी आ रही है या स्टेडी पोजीशन हो गई है, अगर यह सूचना है तो क्या कार्यवाही उन्होंने इसके लिये की ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या हमारे प्रदेश के बाहर गल्ला जा रहा है इसी वजह से गल्ले की कीमत में तेजी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि प्रतिबन्ध नहीं है गेहूं पर देश भर में कहीं भी तो जा भी रहा है और आ भी रहा है। दोनों चीजें हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तालिका आपने सदन की मेज पर रखी है उसमें यह बात है कि आपको इसकी भी सूचना है कि ये सस्ते गल्ले की दुकानों के दुकानदार गल्ले की निकासी करके ले जाकर महाजनों को बेचते हैं और पब्लिक को नहीं मिलता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे पास अगर ऐसी सूचना आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खाद्य सामग्री के साथ-साथ जो माल कारखानों द्वारा बनाया जाता है, उसकी भी कीमत घटेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हर एक चीज की कीमत एक दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं। एक चीज की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की भी बढ़ती है और एक की घटती है तो दूसरी की भी घटती है।

जाली राशन कार्ड

*५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में जाली राशन तथा शकर कार्डों की जांच का अभियान प्रदेशीय सरकार द्वारा चलाया गया उसके अनुसार किस-किस जिले में अब तक कितने कितने जाली कार्ड पकड़े जा चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४७ पर)

*६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन अधिकारियों की देख-रेख में पहले कार्ड बनाये गये थे तथा हजारों की संख्या में जाली बन गये थे, उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है क्योंकि उनकी अकर्मण्यता से ही जाली कार्ड बनना सम्भव हो सका था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीशों के प्रतिवेदन से यह विदित हुआ है कि जाली राशन कार्ड के बनाने में कर्मचारियों की न्यूनता के कारण और अनेक जिलों में गैर सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं से थोड़ी सी कार्य में सहायता प्राप्त होने के कारण और कार्ड बनाने में शीघ्रता की आवश्यकता

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

होने के कारण प्रत्येक कार्ड की पूरी-पूरी छानबीन किये बिना, बनाने से कुछ जाली कार्ड बन गये जो अब चेकिंग के बाद समाप्त किये जा रहे हैं। यदि जाली कार्ड किसी कर्मचारी की साजिश से बने प्रमाणित होंगे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी।

मछलीशहर में तहबाजारी की वसूली

*७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया, मछली शहर, जिला जौनपुर में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारी टाउन एरिया के साथ साथ तहबाजारी क्यों वसूल कर रहे हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

टाउन एरिया मछलीशहर में केवल कृषक भूमि पर उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ लागू हुआ है। इस अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत केवल कृषक भूमि ही १ जुलाई, १९६३ से राज्य में निहित हुई है। जिस भूमि पर लगने वाले बाजार से तहबाजारी वसूलने का प्रश्न है उस पर जमींदारों का स्वत्व पूर्ववत् बना है और वही तहबाजारी वसूलते हैं। टाउन एरिया कमेटी मछलीशहर कोई तहबाजारी नहीं वसूलती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया मछलीशहर की तरफ से तहबाजारी वसूल करने के लिये कोई ठेकेदार नियुक्त किया गया है यदि हां, तो उसको कितने रुपये पर ठेका दिया गया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जब यह कहा गया है कि तहबाजारी टाउन एरिया वसूल नहीं करती है और न कहीं उसका बाजार है जहां वह तहबाजारी वसूल करे तो यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उत्तर में यह कहा गया है कि जहां पर जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है वहां पर टाउन एरिया नहीं वसूल करता है.....

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि ही पहली जनवरी, ६३ से राज्य में निहित हुई है। इस कृषि भूमि के अतिरिक्त जितनी भूमि चाहे वह बाजारी हो, बाग हो या आबादी हो वह अभी तक सरकार में निहित नहीं है और चूंकि सरकार में निहित नहीं है इस वजह से जमींदारों के पूर्व अधिकार थे वह अब भी कायम हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री महोदय यह इस बात की जांच करेंगे कि मछली शहर के अन्दर जो सड़क है उसकी पटरियों पर, जो गलियां हैं उनकी पटरियों पर जो बाजार लगता है उसकी तहबाजारी टाउन एरिया की तरफ से वसूल की जाती है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सड़कें भी लोकल बार्डीज में वेस्ट करती हैं। इस वजह से उनकी पटरियों का भी सवाल नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं मंत्री जी को जानकारी कराना चाहता हूं कि वहां श्री अजमेर सिंह के नाम से तहबाजारी वसूली का ठेका दिया गया है और वह इस काम को वहां करते आ रहे हैं। क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर सदन को सूचना देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि जहां जमींदारों का कब्जा है वह भूमि जमींदारी उन्मूलन होने के बाद भी हमारे अन्तर्गत नहीं आया है इसलिये उनको तहबाजारा वसूल करने का अधिकार है। हमारे पास जो सूचना है उससे विदित होता है कि टाउन एरिया कहीं पर भी तहबाजारी वसूल नहीं करता। यदि माननीय सदस्य लिख कर दें तो अवश्य जांच करा ली जायगी।

जेल विभाग के अप्रशिक्षित कम्पाउन्डर्स

*८—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सिविल अस्पतालों के अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को १९५८ में ६ मास का रिफ्रेशर कोर्स देकर उनके वेतन व्यय में वृद्धि कर दी गयी ? यदि हां, तो यह सुविधा जेल विभाग के अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को क्यों नहीं दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। एवजी (substitute) का प्रबंध न हो सकने के कारण ।

*९—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार जेल विभाग के अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को उक्त सुविधा देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस विषय में निर्णय हो चुका है और एवजी (substitute) के प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

[१६ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इटावा से विकृत चावल सप्लाई

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६४ में इटावे से १० रेलवे वैगनों में जो चावल सरकार ने खरीद कर गोरखपुर, आजमगढ़ तथा भाटपुर रानी भेजा वह इतना सीला था कि वहां पहुंचते-पहुंचते सड़ गया और बदबू आने लगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

लगभग इसी प्रकार का प्रश्न माननीय सदस्य श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी किया था जिसका उत्तर आदरणीय सदन में दिनांक ९ मार्च, १९६४ को दिया जा चुका है।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को इस प्रकार की सूचनायें व शिकायतें जनता सेंटर्स से प्राप्त हुई कि उस चावल में बदबू आ रही है वह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है और क्या यह शिकायतें उन सेंटर्स से सरकार को टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं ।

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतना गीला और खराब चावल सरकार की ओर से खरीद करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई और कब तक की जायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मामले की जांच हो रही है उसकी समाप्ति पर ही दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जबकि खाद्य समस्या प्रदेश में इतनी गंभीर है तो क्या सरकार बतायेगी कि दो महीने गुजर जाने के बाद भी इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच क्यों पूरी नहीं हो सकी और उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री जगमोहन्सिंह नेगी—

जिस समय चावल की खरीदारी होती है उस समय उसमें १७, १८ परसेंट तक म्वायस्चर होता है और उसे बुरा नहीं माना जाता और यह चावल खरीद कर तुरन्त रेल से भेज दिया गया । गरमी पाकर उसके रंग में कुछ तब्दीली आ गयी है । वह खराब नहीं हुआ है । उसे पका कर और खा कर देखा गया है । इस म्वायस्चर के लिये दुकानदार से जब पूछा गया तो उसने कहा कि अगर वह खराब है तो वापस कर दिया जाय । इसके लिये आर० एफ० सी० गोरखपुर से रिपोर्ट मंगायी जा रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कौवान ५०० रुपया उनके अधिकारियों ने रिश्वत ली है इस सम्बन्ध में ? तो क्या वे इसकी जांच सी०आई० डी० द्वारा करायेंगे ?

श्री जगमोहन्सिंह नेगी—

अगर आप सारी सूचना मुझे दे सकें तो अच्छा है । मैं जांच करा लूंगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि खाद्य पदार्थ खूब देख भाल कर खरीदे जाया करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह आदेश पहले से होंगे ।

श्री लखीसिंह—

क्या आपको ज्ञात है कि यह चावल गीला होने के कारण होली के अवसर पर दूकानदार ले नहीं गये और लोगों को चावल नहीं मिल सका ?

श्री जगमोहन्सिंह नेगी—

मुझे तो ऐसी रिपोर्ट है कि इस चावल को इश्यू करने के पहले ही जो अधिकारी थे उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है ।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि आर० एफ० सी० गोरखपुर के गोडाउन से जो चावल इश्यू किया गया है उसमें कुछ दुकानदारों को सड़े हुए चावल की बोरियां मिलीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो चावल गोरखपुर और आजमगढ़ वगैरह भेजा गया वह बिलकुल खाने के लायक नहीं रहा और आज उन दोषी अधिकारियों के दोषों को छिपाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि खराब नहीं हुआ है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

प्रोक्योरमेंट के समय जितने परसेंट म्वाइस्चर का चावल खरीदा जाता है उससे कितने परसेंट ज्यादा म्वाइस्चर इस कंसाइनमेंट में था और अगर इतना था कि खरीदने लायक नहीं था तो क्यों खरीदा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें १४ परसेंट म्वाइस्चर बताया गया है जबकि १७–१८ परसेंट म्वायस्चर वाला तक ले लेते हैं । तो चूंकि मालूम होता है कि उन्होंने जल्दी में ट्रांशिपमेंट कर दिया उसकी वजह से सारा खराब हो गया । फिर भी मैं इंक्वायरी करा रहा हूं और देखूंगा कि किसने खरीदा और उचित कार्यवाही इस सम्बन्ध में करूंगा ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस अधिकारी ने सरकार को यह चावल खरीदने की सलाह दी वह कौन था और अगर खराब चावल था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

इस मामले में वह इन्क्वायरी कर रहे हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

जो चावल खाने के लायक नहीं है वह कितनी लागत का था और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी जिसने खरीदा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो इंक्वायरी के बाद मालूम होगा ।

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)—

क्या यह सही है कि जिस समय चावल खरीदा गया तो उसमें म्वायस्चर १४ परसेंट था और जो चावल गोरखपुर के लिये भेजा गया उसको चेंज करके वहां के कुछ अधिकारियों ने दूसरा चावल भेज दिया जिसका म्वायस्चर २०–२५ परसेंट था । जिससे वह खराब हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप नयी बात कह रहे हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जो कुछ बात होगी उसकी जानकारी मैं आपकी सूचना के अनुसार करा लूंगा ।

लखनऊ में कुर्मी पाठशाला के निकट सार्वजनिक शौचालय न बन सकना

*४---श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ८ फरवरी, १९६४ को फैजाबाद रोड, कुर्मी पाठशाला लखनऊ के समीप, जो सार्वजनिक शौचालय नगर में महापालिका की तरफ से बनने वाला था उसे बनाने को जब नगरमहापालिका लखनऊ के ओवरसियर तथा ठेकेदार गये तब डिप्टी डाइरेक्टर एनिमल हसबेंडरी (अपोजिट बादशाह बाग) अपने विभाग के तमाम चपरासियों के साथ आये और ठेकेदार तथा ओवरसियर को मारने के लिये दौड़ाया तथा शौचालय नहीं बनने दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

फैजाबाद रोड कुर्मी पाठशाला लखनऊ के समीप सार्वजनिक शौचालय बनाने हेतु नगर महापालिका द्वारा ठेका स्वीकृत किया गया । ओवरसियर तथा ठेकेदार ले आउट (lay out) के लिये उक्त स्थान पर गये । चूंकि उप निदेशक पशु पालन के कथनानुसार यह भूमि पशु पालन को एक साल पहले लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर से मिल चुकी है उन्होंने उक्त भूमि पर कार्य करने के लिये आपत्ति प्रगट की । ओवरसियर सहायक अभियन्ता के पास सूचना देने गये और जब उनसे पशु पालन के अधिकारियों से बात हो गई ठेकेदार और उसके आदमी वापस लौट गये । घटनास्थल पर उप निदेशक पशु पालन सहित केवल पांच सरकारी कर्मचारी थे ।

*५---श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जब से कुर्मी पाठशाला स्कीम बनी (जिसको लगभग ३० वर्ष हुये) तब से वहां कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिससे बाबूगंज तथा नयी बस्ती बाबूगंज के निवासियों को लगातार ३० वर्षों से उक्त विषय की महान कठिनाई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह सत्य है जब से कुर्मी पाठशाला स्कीम बनी है उस समय से बाबूगंज अथवा नई बस्ती में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, अतः वहां के निवासियों को काफी असुविधा है ।

श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब पशुपालन विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो गयी तो उसका क्या परिणाम निकला और जो शौचालय बन रहा था वह पशुपालन विभाग को दिया गया या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी नहीं, जहां शौचालय बन रहा था वह भूमि नगरमहापालिका की थी ।

श्री झारखण्डेराय---

जब सरकार इस बात को महसूस करती है कि बाबूगंज में कोई शौचालय न होने के कारण वहां के निवासियों को, खास कर महिलाओं को, बहुत तकलीफ है और यह कठिनाई ३० वर्ष से है तो वह शीघ्र शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं करवाती ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसी बात नहीं है कि वह कठिनाई ३० वर्ष से हो। जब से वहां निराला नगर बन गया है तब से यह कठिनाई हो गयी है। पहले वहां पर खेत आदि थे जिससे यह कठिनाई नहीं थी। महापालिका ने वहां इसको बनाना चाहा, मगर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने उस पर एतराज किया क्योंकि उसी के करीब उनकी जमीन थी जहां पर उनके क्वार्टर्स आदि बनने वाले थे। अब महापालिका के अधिकारी उसकी खोज कर रहे हैं कि किस स्थान पर शौचालय को बनाया जाय, यह मेरी सूचना है।

खाद्यान्नों की खपत

*६—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० में प्रतिमास गेंहूं, अन्न आदि खाद्यान्न की कितनी खपत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लगभग १३,४२,००० मैट्रिक टन।

*७—श्री छत्रपति अम्बेश (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि करीबन ८०,००० (८० हजार) टन गेहूं फ्लोर मिल्स ए फेयर प्राइस शाप पर क्रमशः मिलिंग करने व बेचने को सरकार देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय फ्लोर मिल्स को लगभग ७०,००० मैट्रिक टन विदेशी गेंहूं प्रति मास आटा, मैदा और सूजी बनाने हेतु देती है। सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित गेंहूं की मात्रा निश्चित नहीं है। पिछले तीन मास में वितरित गेहूं की मात्रा निम्नांकित है :

दिसम्बर, १९६३	..	२४,५४८ मैट्रिक टन
जनवरी, १९६४	..	३६,५६८ मैट्रिक टन
फरवरी, (२२-२-६४ तक) १९६४	..	४६,२४७ मैट्रिक टन

*८—श्री छत्रपति अम्बेश (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो क्या यह गल्ला व आटा यू० पी० ही में प्रयोग में आता है या कहीं बाहर भी भेजा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित गल्ला प्रदेश ही में प्रयोग में आता है। मिलों द्वारा निर्मित सामान के निर्यात पर पहले कोई प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु फरवरी २२, १९६४ से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। फलतः अब यह सामान प्रदेश ही में प्रयोग में आता है।

गाजियाबाद मास्टर प्लान में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*९—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लोक सभा में गाजियाबाद मास्टर प्लान संबंधी १६ दिसम्बर, १९६३ को श्री प्रकाशवीर शास्त्री के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर में जो श्रीमती लक्ष्मी ऐन मेनन ने उत्तर दिया था कि "राज्य सरकार ने निजी उद्योगियों को उद्योग स्थापित करने के लिये स्थान देने के हेतु गाजियाबाद के पास भूमि अधिगृहीत की है। राज्य सरकार ९ फरवरी, १९६२ को बाजार दरों पर मुआवजा देने के लिये राजी हो गई है और भूमि मुलों, नलकूपों,

[श्री तेजसिंह---]

बागों के लिये मुआवजा और पुनर्वास की सुविधायें देने के विषय में किसानों और केन्द्रीय कृषि मंत्री के सुझावों में से ज्यादातर राज्य सरकार ने मान लिये हैं ?" उस संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिये हैं कि उक्त अधिगृहीत जमीन का मुआवजा ९ फरवरी, १९६२ की बाजार दरों पर दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां। राज्य सरकार ने गाजियाबाद में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा ९ फरवरी, १९६२ को बाजार दरों पर देने के संबंध में, कतिपय वैधानिक कठिनाइयों के कारण, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है, अभी तक अधिकारियों को आदेश जारी नहीं किये है।

*१०---श्री तेजसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कृषि मंत्री ने भूमि कुओं, नलकूपों और बागों के लिये मुआवजा और पुनर्वास की उपर्युक्त सुविधायें देने के विषय में क्या सुझाव राज्य सरकार को दिये और उनमें से कौन-कौन सुझावों को मान लिया और कौन-कौन नहीं ? क्या सरकार केन्द्रीय कृषि मंत्री के सुझावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जैसा कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६३ के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री उग्रसेन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में बताया जा चुका है, राज्य सरकार भूमि का मुआवजा देने के संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री के सुझावों को बताना तथा उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझती है।

श्री तेजसिंह---

श्रीमन्, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में यह प्राविजन है कि जब दफा ४ का नोटीफिकेशन हो तो उस वक्त के बाजार भाव के अनुसार जमीन का मुआवजा दिया जाय। जिस भूमि का जिक्र है उसका नोटीफिकेशन ९ फरवरी, ६२ को हुआ और इसी का पहले नोटीफिकेशन २० जुलाई, ६० को हुआ। तो जब पहला नोटीफिकेशन एमेण्ड हो गया तो उसके अनुसार अब मुआवजा देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसमें कुछ कानूनी अड़चन पड़ रही है, इसलिये वह विचाराधीन है। दफा ४ के अनुसार १६ जुलाई, ६० को जो नोटीफिकेशन हुआ था उस वक्त ३४ हजार एकड़ के करीब भूमि थी, उस के बाद सरकार ने केवल ६ हजार एकड़ रखा, बाकी को माडिफाई कर दिया। ९ फरवरी, ६२ का जो नोटीफिकेशन था वह छोड़ने का था। सरकार की नीति यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाय। उसमें कानूनी अड़चन पड़ने के कारण देर हो रही है, लेकिन ९ फरवरी, ६२ के जो बाजार भाव होंगे, उसी के अनुसार देने के प्रश्न पर हम विचार कर रहें हैं।

श्री तेजसिंह---

९ फरवरी, ६२ को जो नोटीफिकेशन हुआ था उसमें वही भूमि दी गयी है जो ले ली गयी थी, उसमें यह नहीं था कि हम इस जमीन को छोड़ते हैं। बल्कि नोटीफिकेशन यह था कि हम यह भूमि लेंगे। इसलिये वह जब भूमि को छोड़ने का नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या अड़चन पड़ रही है ? दूसरी अर्ज यह है कि जब १९ दिसम्बर, १९६३ को लोक सभा में जवाब देते हुये प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि यू० पी० की सरकार ने ९ फरवरी को मुआवजा देना

मंजूर कर लिया है, तो उसके बाद क्यों मुआवजा अवार्ड दिये जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका गया ? अब भी वह मुआवजा सन् ६० के भाव पर हो रहा है, तो किसान या आम जनता कैसे यह विश्वास करे कि वाकई आपकी कठिनाई है या जानबूझ कर आप कर रहें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही है कि प्रधान मंत्रीजी ने भी उसमें दिलचस्पी ली थी और हम लोगों ने करीब-करीब यह निर्णय कर लिया है कि ६-२-६२ के भाव पर मुआवजा दिया जायगा। उसके बाद भी अगर किसी को सन्तोष नहीं होगा और ज्यादती मालूम होगी तो मुआवजे में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन जब तक यह निश्चित न कर लें कि कोई कानूनी अड़चन कोर्ट् स से नहीं होगी तब तक हम आर्डर नहीं निकाल सकते हैं। ६० की जगह ६२ का बाजार भाव कर देंगे तो अवार्ड कोई मानी नहीं रखेंगे।

श्री तेजसिंह—

क्या यह सही है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि मुआवजा ३ रुपये गज की दर से दिया जाय और पहली, दूसरी और तीसरी जो बैल्ट्स बनी हैं वे प्रोपोज्ड रोड से पीछे पट्टी तक बनाई जाय ?

श्री अध्यक्ष—

अगर सरकार यह कहती है कि कानफीडैंशल है और उसे सदन के समक्ष रखना नहीं चाहती है, तो उस संबंध में प्रश्न नहीं किया जा सकता कि क्या उसमें यह है। अगर वह लिखा हुआ बताते तो मेज पर ही न रख देते।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

३, ४ हजार एकड़ के बजाय ६ हजार एकड़ जमीन सरकार ले रही है, और क्या यह सही है कि ६००० एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर कर ली गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके अलावा कोई दूसरी योजना केन्द्रीय सरकार की चली, जिसमें उन्होंने करीब १००० एकड़ के जमीन सरकारी काम के लिये ली। बीच में कुछ थोड़ी सी जमीन पड़ती थी और उसे प्रदेशीय सरकार ने एक्वायर करने का नोटिस दे दिया है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को यह भली प्रकार से जानकारी है कि ३ वर्ष से वे किसान बेकार हैं और क्या सरकार मुआवजा देते समय उसके बेकारी की हानि को पूरा करने का खयाल रखेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सूचना नहीं है कितने दिन से कौन लोग बेकार हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका सुझाव है कि जल्दी की जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे बेहद बेचैनी है कि देर हो रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित में होगा वह जल्दी जल्दी किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

देश के अनाज संकट को देखते हुये जिस जमीन को सरकार नहीं लेना चाहती है उसे जल्दी छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब देर नहीं होगी ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उचित मुआवजा देने में जो कानूनी अड़चन है उसे सरकार कब तक हल कर पायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब दे चुके हैं ?

श्री राजनारायण—

क्या प्रदेशीय सरकार ने अपनी कानूनी कठिनाइयां केन्द्रीय सरकार के सामने रखी थीं ?

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर दिया गया है वह इस बात को साफ कर देता है ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कितने गांवों की जमीन एक्वायर होने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नोटिस की जरूरत है ।

श्री तेजसिंह—

क्या मंत्रीजी को सूचना है कि जो जमीन विकसित करके बेची जा रही है उसमें १२०० फी० से १८०० गज के प्लाट बनाये जा रहे हैं, तो सोशलिस्टिक व्यवस्था के लिये छोटे प्लाट बनाने का आदेश देंगे कि बड़े प्लाटों के छोटे बनाकर बेचे जावें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्लाट्स छोटे ही हैं । चन्द प्लाट जो किसी कम्युनिटी वर्क के या किसी और काम के लिये हैं वे बड़े हैं ।

बदायूं नगरपालिका में परिसीमन के विरोध में हड़ताल

*११—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को पता है कि बदायूं म्युनिसिपैलिटी के नये हल्के साम्प्रदायिक ढंग से बनने से वहां एक बड़ी हड़ताल हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कुछ ज्ञापनों से प्रतीत होता है कि बदायूं म्युनिसिपैलिटी के नये परिसीमन के विरोध में हड़ताल हुई । हल्के, पिछली जन गणना के आधार पर निर्धारित जन संख्या के अनुसार बनाये गये । साम्प्रदायिक ढंग से बनने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या सरकार कृपा करके इस बात की जांच करायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसी दशा में इस प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वार्ड नं० १ से ४ तक की अलग अलग कितनी जनसंख्या है और कितने प्रतिनिधि हर एक से हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

कुल ७ वार्ड बनाये हैं, प्रतिनिधियों की संख्या है २१ सवर्ण और १ शैड्यूल्ड कास्ट, वार्ड नं० १ में जनसंख्या ५००० और सीट २ हैं, वार्ड २ में ५८९७ और सीट २, वार्ड नं० ३ में १३,८८० जनसंख्या और सीट हैं ४, वार्ड नं० ४ में १२१९० जनसंख्या है और ४ सीट हैं, वार्ड ५ में ७,०७३ और ३, ६ में ८४९८ पर ३ सीट और १ शैड्यूल्ड कास्ट की, वार्ड नं० ७ में ७,०१४ पर ३ सीट हैं ।

गन्दी बस्ती निपातन योजनान्तर्गत इलाहाबाद में कार्य

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में सरकार की ओर से किन-किन बस्तियों को गन्दी घोषित किया गया है और उनमें से कौन-कौन सी बस्तियों को उजाड़ कर स्वच्छ बस्ती बनाया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा बनाई गई गन्दा तालाब, गन्दी बस्ती निपातन योजना की स्वीकृति, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३६१ के अन्तर्गत, सरकार द्वारा २७ जनवरी, १९६१ को दी गई । इस योजना में गढ़ी, नालबन्द टोला, नूर अली गंज, तथा शाहगंज की गन्दी बस्तियां सम्मिलित हैं । इन बस्तियों को नगर महापालिका ने साफ करके अभी तक स्वच्छ नहीं बनाया है ।

*१४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में गन्दी बस्तियों को समाप्त कर स्वच्छ बस्ती बनाने हेतु १९६०-६१ व १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कितना धन रखा गया था तथा उसमें से कितना-कितना धन १९६० से १९६३ तक व्यय हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रदेश में गन्दी बस्तियों को समाप्त कर स्वच्छ बस्ती बनाने के लिये राज्य के आय-व्ययक में किये गये प्राविधान और उसमें से हुए व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है:---

वर्ष	आय-व्यय-में प्राविधान	व्यय
	रु०	रु०
१९६०-६१	४८,५०,३००	४८,४९,९००
१९६१-६२	४५,००,०००	४७,०२,७५०
१९६२-६३	५५,००,०००	२,००,०००

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका ने किसी अपने पारित प्रस्ताव के द्वारा सरकार को इस स्कीम को ड्राप कर देने के लिये लिखा ? यदि नही, तो इसको तीन वर्ष तक चालू कर रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल --

जैसा कि उत्तर में बताया गया है सरकार ने २७ जून १९६१ को इसकी मंजूरी दे दी थी लेकिन यह भी माननीय सदस्य का कहना सही है कि मंजूरी के बाद भी महापालिका बिलम्ब कर रही है । बस्तियों का सुधार करने के लिये उनको बराबर सरकार की ओर से सुझाव दिये जा रहे हैं । लेकिन चूंकि वे स्वायत्त शासन वाली संस्था है इसलिये अपना काम स्वयं करने की अधिकारिणी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ६१-६२ में जो धन सरकार की ओर से दिया गया था, इन बस्तियों को हटाने के लिये उसमें से ६०-६१ में ४८ लाख रुपया दिया गया, ६१-६२ में ४५ लाख रुपया दिया गया। इसमें से क्रमशः ४८ लाख और ४७ लाख व्यय हुआ। लेकिन ६२-६३ में ५५ लाख रुपया दिया गया और उसमें से केवल २ लाख रुपया ही खर्च किया गया। यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसका तो यही मतलब है कि जिस कार्य के लिये उनको रुपया दिया गया, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया ।

नगरपालिका, फतेहपुर में परिसीमन

*१५--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगरपालिका, फतेहपुर की सीमावद्धि का प्रश्न सरकार के पास कब से विचाराधीन है;

(ख) उक्त सीमा की वृद्धि रुप-रेखा क्या है;

(ग) उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ;

(ध) उक्त संबंध में अन्तिम निर्माण कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

(क) २३ मई, १९६० से ।

(ख) वर्तमान सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण संलग्न है ।

(ग) सीमावृद्धि का विवरण तथा नक्शा स्पष्ट तथा पूर्ण न होने के कारण सितम्बर, १९६० में आयुक्त, इलाहाबाद मंडल से इन्हें नगरपालिका द्वारा सावधानी से बनाने को कहा गया । प्रस्तावित सीमावृद्धि में कुछ अन्य क्षेत्र सम्मिलित किये जाने अन्यथा सीमावृद्धि के मामले को स्थगित करने के संबंध में जनता की शिकायतों को भेजते हुए आयुक्त, इलाहाबाद मंडल ने अप्रैल, १९६२ में शासन को सूचित किया था कि उपरोक्त सीमावृद्धि की सूचना उन्होंने शासन के पास २० दिसम्बर, १९६१ के पत्र द्वारा भेज दी थी । शासन को २० दिसम्बर, १९६१ का पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण सीमावृद्धि के तमाम विवरण, नक्शे, इत्यादि की प्रतिलिपि मंगानी पड़ी । इस बीच सीमावृद्धि के संबंध में विभिन्न शिकायतों पर कार्यवाही होती रही । फरवरी, १९६३ में प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद शासन ने मामले का परीक्षण किया तथा सीमावृद्धि के पत्र वापिस भेज कर प्रस्तावित सीमावृद्धि का विस्तृत विवरण जिलाधीश को

टिप्पणी सहित मांगा गया। जिलाधीश फतेहपुर, आयुक्त इलाहाबाद मंडल की टिप्पणी तथा जनता की विभिन्न शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शासन ने सीमावृद्धि के मामल को फिलहाल स्थगित (held in abeyance) कर दिया है।

(घ) यह अभी ठीक-ठीक तो नहीं बताया जा सकता परन्तु सम्भावना है कि नगरपालिका के चुनाव हो जाने के बाद ही निर्णय होगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४८ पर)

फतेहपुर जिले को शक्कर का कोटा

*१६--श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की विभिन्न जिलों को पिछली दीपावली के अवसर पर कोई अतिरिक्त कोटा शक्कर का दिया गया ? यदि हां, तो फतेहपुर जिला को यह कोटा कितना एलाट हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। फतेहपुर को ३० मी० टन शक्कर एलाट किया गया।

*१७--श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)--

जिला फतेहपुर के जिला पूर्ति अधिकारी को उक्त कोटा सम्बन्धी आदेश कब प्राप्त हुआ तथा उक्त कोटे की शक्कर कब बांटी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर को उक्त आदेश २२ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हुआ। यह शक्कर १४ नवम्बर, १९६३ के पूर्व बांट दी गयी थी।

*१८-२०--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

(वापस ले लिये गये।)

छिबरामऊ टाउन एरिया

*२१--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ११ हजार से ऊपर की जनसंख्या तथा लाखों की वार्षिक आय वाली टाउन एरिया, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद को सरकार द्वारा नगरपालिका बनाये जाने का कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

प्रथम भाग: शासन ने टाउन एरिया, छिबरामऊ को नगरपालिका में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

द्वितीय भाग: टाउन एरिया कमेटी, छिबरामऊ के गत तीन वर्षों के व्यय के आंकड़े जिलाधीश से मांग गये हैं।

रायबरेली जिले के सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत

*२२--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जिला रायबरेली के सप्लाई विभाग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई प्रतिनिधि मण्डल खाद्य मंत्री से सन् १९६३ माह जुलाई-अगस्त, सितम्बर में मिला था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या मांग-पत्र दिया था और सरकार ने उस मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी नहीं ।

श्री रतीपाल---

माननीय मंत्री जी से एक डेपुटेशन मिला और उनकी दरख्वास्त पर जांच करा कर सप्लाई आफीसर का तबादला कर दिया गया और आज भी इस वक्त जो जांच चल रही है, वह किस अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यों तो हर जिले से रोज ही डेपुटेशन मिला करते हैं खास तौर से कोई इसके लिये नहीं मिला फिर यह बात तो जुलाई, अगस्त की है । जो कार्यवाही हो रही है वह अन्य सिलसिले में हो रही है ।

*२३--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

[२३ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२४--श्री मूल चन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---

[३० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फीरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के लिये सीमेंट

*२५--श्री भगवानदास यादवेन्दु--

क्या खाद्य मंत्री फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग के वास्ते उसकी सीमेंट व टीन की आवश्यकताओं को देखते हुये इस बात का सम्भावना पर विचार करेंगे कि उपरोक्त उद्योग को टीन व सीमेंट का कोटा जिले के कोटे में अलग कर दिया जाये जिससे उसके वितरण में शीघ्रता हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सम्भव नहीं है कि कांच व चूड़ी उद्योग के लिये सीमेंट व टीन का कोटा जिले के कोटे से अलग कर दिया जाय ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

माननीय मंत्री जी को इसके एलाउ करने में क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह कोटा डारेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के पास रहता है । इस प्रकार से अगर हर एक का कोटा अलग करने लगे तो कठिनाई हो सकती है । इसलिये यह संभव नहीं है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कुछ फैक्टरीज कुछ इंडस्ट्रीज को लगीं जिनको उसमें से दिया गया और वह भी इस तरह से दिया गया कि जिसने पहले एप्लीकेशन दिया था

उसको न देकर बाद वालों को दिया गया और उसमें काफी करप्शन व रिश्वतखोरी चली, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यदि आप उन आदमियों के नाम और पता दे देंगे तो अवश्य जांच करा लेंगे।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

माननीव मंत्री जी ने कहा था सार्वजनिक कार्य के लिये हमारे पास अलग कोटा है, तो उसको देखते हुए इस फैक्टरी के लिए सार्वजनिक कोटे के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे उनको सीमेंट वगैरह भी मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सार्वजनिक कोटा जो है वह जी० ए० डी० का कोटा होता है, उसमें से जनसाधारण व म्युनिसिपैलिटी आदि सब को मिलता है।

*२६--श्री भगवानदास यादवेन्दु--

[११ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२७--श्री दयाराम शाक्य--

[३० मार्च १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजियाबाद लैण्ड पालिसी

*२८--श्री तेजसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो लैण्ड पालिसी सरकार ने म्युनिसिपल सीमा के अन्दर की भूमि के लिये निर्धारित की थी वह किस दिन से लागू की गई है और कितने भूमि-पतियों ने उस पालिसी का अब तक लाभ उठाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर आने वाली भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई लैण्ड पालिसी १७ अगस्त, १९६२ से लागू की गई है। अब तक केवल ४ व्यक्तियों ने उक्त लैण्ड पालिसी का लाभ उठाने के लिये प्रार्थना की है।

श्री तेजसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी तरह की कोई लैंड पालिसी देहाती क्षेत्र के लिये भी सरकार ने बनायी है ? अगर है तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह तो म्यूनिसिपैलिटी से सम्बन्धित प्रश्न था। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई सूचना इस समय नहीं है।

*२९--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

[३० मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में सीमेंट का वितरण

*३०--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में सीमेंट के लाइसेंस प्राप्त कौन व्यक्ति या फर्म किन-किन स्थानों के लिए अधिकृत बिक्रेता हैं तथा क्या उनकी दुकानें अपने स्वीकृति निश्चित स्थानों में ही कार्य कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और वे किन स्थानों पर कार्य

[श्री रामकिशोर वर्मा]

कर रहे हैं तथा प्रत्येक को मास जनवरी, सन् १९६३ से जनवरी, १९६४ तक कितनी-कितनी मात्रा में वितरण के लिए सीमेंट का कोटा दिया गया तथा जिले का इसी अवधि में प्रत्येक मास का कोटा कितना-कितना सुरक्षित था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४९-१५२ पर)

*३१---श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि फतेहपुर जिले में सीमेंट की अधिकतर दुकानें शहरों में स्थित हैं जिससे उपभोक्ताओं को अपने सुदूर पूर्व यातायात तथा साधन विहीन क्षेत्रों में ले जाने में बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब, श्रम का अपव्यय तथा धन की बरबादी होती है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि दुकानें प्रत्येक विकास केन्द्र के मुख्यावास या सुविधाजनक स्थान पर हो जांय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां, यह सत्य है कि फतेहपुर जिले में अधिकतर दुकानें शहर ही में हैं। सीमेंट की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलवाना संभव नहीं है।

*३२---श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि जिससे कि फतेहपुर जिले के उपेक्षित एवं महत्वपूर्ण स्थानों, जहानाबाद, खागा, अमौली, जाफरगंज, चौडगरा में भी सीमेंट की दुकानें हो जावें, जिससे जन-साधारण को सार्वजनिक एवं निजी प्रयोग के लिए सुविधा से सीमेंट प्राप्त हो सके और उसका सदुपयोग हो ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

खागा मे सीमेंट की दूकानें हैं। जहानाबाद, अमौली, चौडगरा के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं परन्तु अपर्याप्त कोटा होने के कारण इन स्थानों पर सीमेंट की दुकानें काम नहीं कर रही हैं। जाफरगंज के लिये कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त दुकानें खुलना तभी संभव हो सकेगा जब राज्य सरकार का कोटा पर्याप्त मात्रा में बढ़े।

बदायूं जिले में भट्ठा मालिक पर मुकदमा

*३३---श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष, १९६२-६३ में सरकार द्वारा बदायूं जिले के किन-किन भट्ठों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिये गये तथा उन पर उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सिर्फ एक भट्ठा सर्वश्री ब्रजपाल गिरेन्द्रपाल के विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमा चलाने के आदेश दिये गये तथा उन पर मुकदमा चलाया गया।

गोरखपुर जिले में जंगली जानवरों से खेती की रक्षा

*३४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा, महाराजगंज, तहसीलों में जंगल के किनारे जो खेत किसानों के हर वर्ष जंगली जानवरों द्वारा बरबाद हो जाते हैं उनकी रोक थाम हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

गोरखपुर जिले के फरेन्दा, महाराजगंज तहसीलों में जंगल के किनारे के खेतों को जंगली जानवरों द्वारा बरबाद होने से रोकने के हेतु वन विभाग ने जंगली गायों को पकड़ने का ठेका नीलाम करने की नीति अपनाई है। ऐसे नीलामों में ठेकेदारों को पूर्ण सहूलियतें प्रदान की जाती हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन जंगली गायों को पकड़ सकें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय-

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो आपने अपनी नीति प्रतिपादित की है, वह कामयाब नहीं हो सकी है और हमारे यहां महाराजगंज व फरेंदा के गांवों में चूंकि अंग्रेजों के जमाने में वहां उनकी जमीन थी और उनके अन्तर्गत ये जंगल थे, तो उन्होंने वहां खाइयां बनवायी थीं और ऊंचे ऊंचे मेड़ बनवा दिये थे जिससे जंगली जानवर उधर से इस पार न आने पावें और खेती का नुकसान न कर सकें, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना को आधार मान कर फिर उन खाइयों को रिपेयर करायेंगे और किनारे किनारे कांटेदार तार लगाने का खर्चा सरकार अगर न बर्दाश्त कर सकती हो तो नील कांटे ही किनारे किनारे लगवाने का इन्तजाम करेगी जिससे कि जंगली जानवर उधर से न आ सकें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य-

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की जो योजना इस समय नीलाम करने की चालू है, आर्थिक दृष्टि से और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अभी यह फिजिबिल नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, चौथी योजना बनाते समय इस पर विचार कर लिया जायेगा कि पशुपालन विभाग इस चीज को अपनी योजना में शामिल कर ले।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)-

यदि सरकार उसका पूरा खर्चा वहन नहीं कर सकती, तो जो किसान अपने खेतों की रक्षा के लिये खाइयां बनवाना चाहें, उनको सहायता देने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यदि किसान अपने खेतों के किनारे खाइयां बनाते हैं तो उसमें सरकार को कुछ कहना नहीं है लेकिन सरकार के पास इस वक्त ऐसी कोई धनराशि नहीं है कि वह किसानों को उस काम के लिये अनुदान के रूप में दे सके।

विकास खण्ड, धौलाना में सीमेंट वितरण की शिकायत

*३५--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, धौलना (मेरठ) को जनवरी, १९६३ से फरवरी, १९६४ तक कितनी बोरी सीमेंट वितरण के लिये दी गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

४,४०६ बोरी सीमेन्ट दी गई।

*३६--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त विकास खंड को प्राप्त सीमेंट का वितरण किस आधार पर किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

विकास खंड, थौलना को प्राप्त सीमेन्ट का वितरण आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर किया गया ।

*३७--श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त विकास खण्ड अधिकारी की वितरण प्रणाली के खिलाफ जनता के रोष के बहुत से पत्र हाल ही में सप्लाई अफसर, मेरठ को प्राप्त हुये हैं? सरकार ने उन पर व उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की या करने का विचार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जिलाधीश की सूचना के अनुसार विकास खंड अधिकारी की वितरण प्रणाली के खिलाफ एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । जिला अधिकारी उस पत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सीमेंट बी०डी०ओ० को दिया गया था उसके विषय में उत्तर में दिया गया है कि उपलब्धि तथा आवश्यकता के अनुसार वितरण किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार का कारण यही है तो क्यों वितरण का कोई आधार नहीं बनाया जाता कि इतना सिंचाई के लिये, इतना व्यक्तियों को, इतना संस्थाओं को, इतना कृषकों को दिया जायगा ? इस तरह से बी० डी० ओ० के हाथ खुले छोड़ दिये गये हैं वह कि जिस को चाहें जितना दें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, यहां से यह आदेश है कि इस में से ७५ प्रतिशत विकास कार्यों के लिये दिया जाय और २५ प्रतिशत में जो व्यक्तियों के निजी छोटे मोटे काम हैं उनको दिया जाय । वह अपने डिसक्रिशन से लोगों की आवश्यकता देखकर देते हैं, अगर कहीं की शिकायत होगी कि डिसक्रिशन का ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो उसके विषय में में कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब यह है कि आपने वितरण के लिये कोई प्रिन्सिपल निर्धारित नहीं किये हैं...

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

उन्होंने तो उत्तर में बता दिया कि उपलब्धि तथा आवश्यकता के अनुसार वह वितरण करते हैं और उसी में गड़बड़ी होती है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो उन्हीं के डिसक्रिशन पर है कि वह लोगों की या संस्थाओं की आवश्यकता को देखकर वितरण करें ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गांवों में किसानों को छोड़कर जो बिना खेती वाले लोग रहते हैं उनके लिये सीमेंट के वितरण की क्या व्यवस्था की गई है और जहां तक मुझे मालूम है कि उन के विषय सरकारी आदेशों का अधिकारी लोग पालन नहीं करते कि वह उन को भी सीमेंट दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बिना खेती वालों को जिन्हें मकान ही नहीं बनाने हैं उन को किस चीज के लिये दिया जाय ।

श्री हरीसिंह—

बिना खेती वाले हमारे यहां मकान नहीं बंगलों में रहते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि मौजूदा सीमेंट का वितरण व्यवस्था में बड़ी असुविधा है और उसके बारे में आम शिकायत है तो क्या वह बी० डी० सी० की मीटिंग जो १५ रोज या फोर्टनाइटली होती है उसी में सारी एप्लीकेशन्स पर सीमेंट अलाट कर दिया जाया करे ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख की जिम्मेदारी न रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने अर्ज किया कि ७५ प्रतिशत तो प्लानिंग के लिये हैं और २५ प्रतिशत के विषय में जो फूड एडवाइजरी कमेटी है उसमें सुझाव रखे जा सकते हैं जैसे वह चाहे कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति की काश्त न हो लेकिन उसके पास मकान बनाने के लिये पैसा हो और उसे सीमेंट की जरूरत हो, तो उसे सीमेंट कैसे मिलेगा, ऐसा श्री हरीसिंह का प्रश्न था ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर वह मकान बनायेंगे तो उन को भी मिलेगा ।

श्री हरीसिंह—

पच्छिमी जिलों में आज इतने मकान किसानों के नहीं हैं जितने बगैर खेती वालों के हैं, उधर देहातों में हरिजन के पास भी कोठियां हैं । मेरा प्रश्न यह है कि उनके बारे सीमेंट वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उन के मकान हैं और मकान बनाने के लिये उन्हें भी सीमेंट चाहिये तो मिलेगा ।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास क्षेत्र में बी० डी० ओ० सीमेंट का परमिट जो देते हैं वह मकानों के लिये नहीं देते, निर्माण कार्यों के लिये देते है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आदेश तो यही है कि ७५ फीसदी प्लानिंग के लिये.....

श्री अध्यक्ष—

ब्लाक लेविल पर सिर्फ काश्तकारों को देने के लिये कायदा है, जिसके नाम खेत है उसको वितरित करने का कायदा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कायदा यह है कि पहले तहसीलदार देते थे, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा बी०डी० ओ० करे । अब ७५ फीसदी प्लानिंग के काम के लिये है और २५ फीसदी में कोई भी ले सकता है ।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया--

ब्लाक की आवश्यकता काफी बढ़ी हुई है अतः इसको ध्यान में रख कर ७५ फीसदी घटाकर ५० फीसदी करेंगे और दूसरी आवश्यकताओं के लिये २५ फीसदी से बढ़ा कर ५० फीसदी मंत्री जी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रश्न यह कि ब्लाक पर जो वितरित किया जाता है वह सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास खेत हों या जो तकावी लेते हों। साधारण जनसमुदाय जिसके पास खेत न हो उसको नहीं दिया जाता है, क्या ऐसी सूचना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री गयाप्रसाद--

मंत्री जी बतायेंगे कि नियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अधिक से अधिक कितना सीमेंट दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका कोई नियम नहीं है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

जो ७५ फीसदी सीमेंट दिया जाता है ब्लाकस में उसके वितरण के संबंध में यह आदेश हैं कि माइनर इर्रीगेशन वर्क के लिये ही दिया जाय और यही कारण से व्यक्तिगत लोगों को नहीं मिलता है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यहां से जो आदेश हैं वह बता चुका हूं। बाकी जिला स्तर पर फूड ऐडवाइजरी कमेटी में कोई सिद्धान्त तय कर लें उसी के मुताबिक हर जिले में हो जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि विकास के कार्यों के लिये जो ७५ फीसदी सीमेंट जाता है तो बी० डी० सी० द्वारा स्वीकृत जो अनुदान दिया जाता है उन कार्यों को विकास का कार्य मनाते हैं या जो प्राइवेट लोग मकान बनाते हैं उनको भी विकास का कार्य मनाते हैं। क्या काम आपका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो योजना के अन्तर्गत कार्य हैं।

लखनऊ जिले के देहाती क्षेत्र में सीमेंट न मिलने की शिकायत

*३८—श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)—

क्या यह बात सही है कि लखनऊ जिले में देहात के सीमेंट के दुकानदारों को सीमेंट नहीं मिलती ? इस वजह से देहाती जनता को सीमेंट नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं, प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*३९—श्री रामपाल त्रिवेदी—

क्या सरकार ने जिस प्रकार शहर में सीमेंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है उसी प्रकार जिले के देहात क्षेत्र में भी सीमेंट वितरण की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सीमेन्ट वितरण करने की जो व्यवस्था शहर में है वही देहाती क्षेत्र में भी है। शहर में जिस प्रकार आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर सीमेन्ट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरित की जाती है उसी प्रकार देहाती क्षेत्रों में तहसीलदारों तथा क्षेत्र विकास अधिकारियों द्वारा वितरित की जाती है।

*४०—श्री रामपाल त्रिवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कितनी सीमेंट वितरित की गयी और देहात के लोगों को कितनी दी गयी, जब कि देहात, शहर की जनसंख्या बराबर है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

लखनऊ शहर में जनवरी, १९६३ से दिसम्बर, १९६३ तक २,८१,०४५ बोरी सीमेन्ट वितरित की गई और देहात के लोगों को ४०,५५२ बोरी सीमेंट दी गई।

श्री रामपाल त्रिवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ महीने के अन्दर लखनऊ जिले में किसी ब्लाक को या तहसील को कितना सीमेंट दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस विशेष बात के लिये कि २ महीने में कितनी सीमेंट दी गयी, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ७५ परसेंट तो वे नियोजन कार्य के लिये देते हैं और २५ परसेंट वे अन्य कार्यों के लिये देते हैं। अभी माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि २ लाख ८१ हजार विकास के लिये ब्लाकों को और ४० हजार और कामों के लिये तो यह क्या २ लाख ८१ हजार का ४० हजार ७५ परसेंट है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसा कि मैंने अर्ज किया अक्तूबर तक तो नहीं हुआ। अक्तूबर के बाद इस ओर जोर दिया गया। नवम्बर से चल रहा है। ये रान. फिगर्स है जिसके कारण बढ़ती हुई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लखनऊ जिले में जो देहाती क्षेत्र का सीमेंट है वह शहर में ही अधिकारी गण वितरित कर देते हैं और देहाती क्षेत्र में पर्याप्त सीमेंट नहीं मिलता? क्या माननीय मंत्री जी इसकी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो कोटा होता है वह सब का सब ब्लाक्स को दिया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब तक सारे जिले में ७५ प्रतिशत प्लानिंग में और शेष २५ प्रतिशत अन्य कार्यों के लिये दिया जाता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिले का जो कोटा होता है उसका वितरण किस अनुपात से शहरों के लिये रखा जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सारे जिले का कोटा होता है।

श्री रामपाल त्रिवेदी—

क्या देहात में सीमेंट का देना दिखावे मात्र है। २८१ हजार बोरे सीमेंट शहर में वितरित किया गया और ४० हजार देहात में तो आपके हिसाब से ७५ प्रतिशत विकास के कार्यों में जाता है और २५ परसेंट अन्य कार्यों में तो देहातों को कितने अनुपात में मिला?

श्री अध्यक्ष—

उसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री लखन सिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा हरी सिंह जी ने कहा कि जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको तो सीमेंट मिलता ही नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो कुएं सिंचाई के लिये किसान अपने पैसे से बनाते हैं और गल्ला उत्पादन करते हैं तो क्या सरकार ऐसे आदेश भेजेगी कि उनको सीमेंट मिल जाये?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ७५ प्रतिशत सीमेंट डेवलपमेंट के काम में खर्च किया जाता है जिसमें बी० डी० ओ० अपने ही ढंग से देते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि बी० डी० सी० के अन्दर ही सदस्यों के ही सहयोग से वितरित किया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उनकी मीटिंग तीन-तीन और चार-चार महीने में होती है। तब तक क्या सीमेंट रखा रहेगा।

सुनारों को नौकरी मिलने में सुविधायें

*४१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश दिया गया था कि नौकरियों में स्वर्णकार उम्मेदवारों को प्राथमिकता दी जाय ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने तदनुकूल क्या कारगर कार्यवाई की ? क्या सरकार स्वर्णकारों की आर्थिक स्थिति को दयनीय होने से बचाने के लिये किसी विशेष योजना की बात सोच रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

केन्द्रीय सरकार का यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि उन व्यक्तियों को जो अपनी रोजी के लिये सोने के आभूषण बनाने के व्यवसाय पर १० जनवरी, १९६३, से कम से कम १ वर्ष पूर्व से मुख्यतः निर्भर थे और जो अपनी आय का अधिकांश भाग संबंधित व्यवसायों, तथा चांदी या जवाहरात का काम, से नहीं प्राप्त कर रहे थे अथवा जिनके अन्य व्यापार और व्यवसाय जैसे कि खेती बाड़ी आदि नहीं हैं, को जहां तक संभव हो आयु की सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताओं आदि में ढील देकर नौकरियों में रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जाय और सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों को स्वर्णकारों को रोजगार देने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। केन्द्रीय सरकार के इन सुझावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

जी नहीं।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या विशेष प्रकार के स्वर्णकारों को रोजी तथा नौकरी दिलाने के लिये कुछ ढील देने के सुझाव केन्द्रीय सरकार ने दिये हैं और ऐसे स्वर्णकारों की कोई सूची क्या माननीय मंत्री तैयार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, उनके द्वारा एप्लीकेशन भेजने की तारीख और बढ़ा दी गयी है और जब वे एप्लीकेशन भेजेंगे तो देखेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई सुझाव भेजे हैं कि ऐसे ऐसे स्वर्णकारों को ये ये सुविधायें दी जायें ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी कोई संख्या तथा विवरण तैयार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सबसे उनको मांगा है। प्रार्थनापत्र आने पर देखेंगे।

गाजीपुर जिले में स्वर्णिकारों को सहायता

*४२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजीपुर के कितने स्वर्णकार स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित हुये हैं ? अब तक प्रभावित स्वर्णकारों को क्या सहायता दी गई है ? यदि नहीं दी गयी है तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जनपद गाजीपुर में १,११७ स्वर्णकार नियंत्रण से प्रभावित हुये हैं। अब तक १०,१५० रु० १५ स्वर्णकारों को ऋण के रूप में स्वीकृत हुआ है, जिसमें २८०० रु० ४ स्वर्णकारों को प्राप्त हो चुका है। शेष स्वर्णकारों को ऋण प्रदान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रामपुर में संक्रामक चिकित्सालय न होना

*४३–श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम्पुर में कोई आई० डी० एच० कायम है? यदि हां, तो वहां कितना स्टाफ काम करता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रामपुर में २५.१.१९६४ से कोई आई० डी एच० कायम नहीं है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

*४४–श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९६३ से आज तक आई० डी० एच० रामपुर के द्वारा कितने मरीज देखे गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१.१.१९६३ से २४.१.१९६४ तक १११ मरीज देखें गये थे। यह सब असंक्रामक थे ।

*४५–श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि कितनी आबादी के शहर में आई० डी० एच० का होना जरूरी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसा कोई नियम नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

श्री सम्पूर्णानन्द कैम्प जेल, मिर्जापुर के डाक्टर भगतसिंह

१–श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सत्य है कि श्री सम्पूर्णा नन्द कैम्पजेल, मिर्जापुर के डाक्टर श्री भगत सिंह को गत ३० महीनों से वेतन नहीं दिया गया तथा इनके स्थानान्तरण का आदेश दिये जाने पर भी कोई रिलीफ करने नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। किन्तु अब उनका शेष वेतन ६ मार्च, १९६४ को दिया जा चुका है तथा दूसरा डाक्टर पहुंच जाने पर उनको २१ दिसम्बर, १९६३ को रिलीव कर दिया गया है।

जौनपुर जिले में सस्ते अनाज के व्यापारियों को ढुलाई भाड़ा

२–श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को जिन्होंने कच्ची सड़कों या रास्तों पर स्वयं पैसा देकरमाल ढुलवाया था उन्हें सन् १९५७ से १९६० तक का वह किराया अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जौनपुर जिले के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को जिन्होंने कच्ची सड़कों या रास्तों पर स्वयं पैसा देकर माल ढुलवाया था, उनके किराये के बिलों का भुगतान समय-समय पर किया जा चुका है और इस प्रकार का कोई भी बिल इस समय भुगतान के लिये शेष नहीं हैं।

पशु चिकित्सालय, हल्दौर के कम्पाउण्डर श्री बाबूराम के खिलाफ शिकायत

३—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम बाजपेयी, कम्पाउन्डर कितने वर्ष से मवेशी शफाखाने हल्दौर, जिला बिजनौर में काम कर रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

श्री बाबू राम बाजपेयी कम्पाउन्डर की नियुक्ति पशु चिकिसालय हल्दौर पर दिनांक ७ अप्रैल, १९५९ को हुई थी और उनका स्थानान्तरण उक्त पशु चिकिसालय से दिनांक ८ फरवरी, १९६४ को कर दिया गया था, इस प्रकार हल्दौर में चार वर्ष दस मास कार्य किया है।

४—श्री श्रीराम—

क्या मंत्री यह भी बताने कि की कृपा करेंगे कि इनके खिलाफ किसानों की कितनी और क्या शिकायतें अब तक रही हैं ?

श्री चरणसिंह—

श्री बाबू राम बाजपेयी कम्पाउन्डर के विरुद्ध ढेली गूजर के किसानों के दो परिवाद पत्र दिनांक ९ अगस्त, १९६३ तथा २४ अक्तूबर, १९६३ के प्राप्त हुये थे। उक्त पत्रों में, गांव में टीका लगाने के लिये कम्पाउन्डर द्वारा रुपये मांगने तथा किसानों के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के आरोप थे। आवश्यक जांच के उपरान्त कम्पाउण्ड को उचित सजा दे दी गई है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब विशेषाधिकार की अवहेलना की जितनी सूचनायें मेरे पास आई थीं उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है। जिनकी वे हैं कृपया वे उनको देख लें।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत चन्द्रबली सिंह जी की आयी है, उनको मैंने खाद्य मंत्री के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

माननीय गया प्रसाद जी ने जो नियम ५२ की सूचना भेजी है उसे १८ मार्च को इस विषय पर होने वाले वक्तव्य में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

शेष जो सूचनायें हैं उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है। उन पर जो आदेश हुये हैं उनको माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

कानपुर में एलगिन मिल के सम्बन्ध में मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

मिनिस्टर ने कहा है कि १८ को अपना वक्तव्य देंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरी जो सूचना है उसे आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने का आवश्यकता नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है ? पहले तो आप पढ़ दिया करते थे ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना स्वीकार नहीं होती उसे पढ़ा नहीं जाता । उचित कार्यवाही हेतु उसे खाद्य मंत्री के पास भेज दिया है ।

आश्वासन समिति के विशेष प्रतिवेदन पर होने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन आश्वासन समिति के सभापति द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसकी ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय श्रीपाल सिंह जी से) क्या आपका एश्योरेन्स का प्रतिवेदन बंट गया है ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जी हां ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आपने यह व्यवस्था दी थी कि प्रतिवेदन एक सप्ताह पहले सरकार के पास भेज दिया जाय जिससे वह तैयार होकर वक्तव्य दे सकें । मैंने आपत्ति की थी कि शायद आप ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २१६ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "समिति यदि वह ठीक समझे तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये हुए किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी । ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जाने चाहिए ।"

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया कि ठीक ही है । अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी व्यवस्था बदल दी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह व्यवस्था दी थी कि अगर सदन चाहे तो ऐसा हो सकता है । लेकिन जब उसने आपत्ति की तो मैं खामोश हो गया कि हो सकता है वह आपत्ति ठीक हो । अब २१७ के अन्तर्गत बयान करना है, असल बात यह है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, बयान के लिये जो नियम लागू है वही रखे जायं अन्यथा प्रश्न यह पैदा हो जायगा कि एक सप्ताह पूर्व भेजे गये प्रतिवेदन गोपनीय नहीं रह सकेंगे, समितियों के सभापतियों और सदस्य प्रिविलेज की अवहेलना के अधिकारी हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में आप ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह है कि "समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन को प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये हुए किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायंगे तब तक गोपनीय समझे जायंगे।" इसका अर्थ यह है कि कोई भी समिति अपने प्रतिवेदन को या किसी भाग को शासन को भेज सकती है और शासन के ऊपर यह भार है कि वह गोपनीयता का संरक्षण करे। किसी भी समिति से अगर प्रतिवेदन सरकार के पास चला जाता है, तो यह नहीं माना जायगा कि गोपनीयता भंग हो गई। सरकार के पास भेज देने से गोपनीयता भंग नहीं होती। उस समय में स्पष्ट नहीं था। २१६ में समिति के अधिकार की बात है वह भेजे या न भेजे, में आदेश नहीं दे सकता। इसलिये जो बात मेरे मुंह से निकल गयी थी, वह आदेश नहीं है, न रूलिंग है, सिर्फ समिति की इच्छा पर निर्भर है। अब २१७ के अन्तर्गत जो उपबन्ध है वह यह है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् यह हो सकेगा कि उसी दिन या कुछ दिन बाद माननीय मन्त्री जो अपना वक्तव्य दें तो मेरा ऐसा ख्याल है। उपनेता सदन को जो प्रतिवेदन आश्वासन समिति ने अन्तिम बार रखा है उसमें कुछ बहुत ही गम्भीर बातों की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार की तरफ से उन २,३ आक्षेपों पर जिसका कि प्रतिवेदन में माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा बहैसियत सभापति आश्वासन समिति के उल्लेख किया गया है, कुछ वक्तव्य आ जाय तो वह कब तक आ सकेगा।

माल मंत्री (श्री ठकुरसिंह बिसेन)—

अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक हफ्ता लगेगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है तो अगले सोमवार को उसके ऊपर वक्तव्य दे दिया जायगा।

कतिपय विषय

श्री अध्यक्ष—

(श्री टम्बेश्वरी प्रसाद के खड़े होने पर) आपने मुझे सुना नहीं, आप बातें कर रहे थे उस समय। विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है और जिन कारणों से किया है वह उन पर लिखे हैं वे उनको कृपया देख सकते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन यह है कि पहले जब भी विशेषाधिकार की सूचनाओं को आपने अस्वीकार किया है उनके कारण सदन में बताये गये हैं। मैं नहीं समझा कि अगर कोई मन्त्री सदन में गलतबयानी करें और वह साबित भी हो जाय तब भी आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। माननीय गृह मन्त्री ने जानबूझ कर सदन में गलतबयानी की और झूठ बोले . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, जब एक बात कही जाती है मेरी रूलिंग के सम्बन्ध में, तो मैं उलझन में पड़ जाता हूं इसलिये कि वह मेरे ही सम्बन्ध में होती है और मैं आपसे कह दूं कि आप आक्षेपात्मक बात न करें तो आप कहेंगे कि तुम गलत काम करते हो और हमें कहने भी नहीं देते लेकिन अगर एक शिष्टाचार सदन में रखना है तो जरूरत यह है कि आप मेरे पास आयें मुझे बता दें कि यह गलत काम मैंने किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और सदन में कहता हूं कि जब कभी मुझे अनुभव होगा कि मैंने गलती की है तो मैं सदन में आकर कह दूंगा कि मैंने

[श्री अध्यक्ष]

गलती की है, लेकिन अगर शिष्टाचार को आप कायम रखें तो जहां मैं आक्षेपों से बचा रहूंगा वहां मैं समझता हूं कि वह सदन के लिये भी एक गौरव की बात होगी।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

जब कभी कोई घटना सदन के सामने हुई है और उसकी सूचना जबानी दी जाती है तो आप ने कहा कि लिखकर दे दी जाय तो उससे यह समझा जाता है कि वह विशेषाधिकार की सूचना स्वीकार है क्योंकि जब कोई ऐसी बात जो सदन के बाहर तो जरूर हम समझते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते लेकिन जो घटना सदन के सामने हुई और आपकी जानकारी में है क्योंकि आप कुर्सी पर विराजमान हैं उस समय यदि सूचना को अस्वीकृत करना हो तो जब सूचना जबानी दी गयी थी उसको आप तत्काल कह देते कि अस्वीकृत है लेकिन जब आपने कह दिया सूचना लिखकर दो तो उसके मतलब यही हैं कि आप उसे स्वीकृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

हो सकता है कि किसी समय मैं अपना माइन्ड मेकप न कर सकूं और बाद में मैं मेक अप कर लूं लेकिन आपका यह ख्याल है कि सदन के समक्ष फौरन मुझे कोई व्यवस्था दे देनी चाहिये। मैं इसके ऊपर विचार करूंगा कि ऐसी आवश्यकता है नियमों के अन्तर्गत, तो मैं ऐसा कर दूंगा।

जिला बहराइच के चन्दनापुर सर्किल सोसाइटीज के सुपरवाइजर द्वारा सोसाइटी के बकायादारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

जिला बहराइच के तजवापुर विकास खंड के चन्दनापुर सर्किल सोसाइटीज के सुपरवाइजर के द्वारा बकाये की रकम की वसूल में कथित अत्याचारों की जांच, फैजाबाद के उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, से करायी गयी, और यह पाया गया कि श्री काशीनाथ मिश्र जी के "calling attention motion" में जो सुपरवाइजर के अमानुषिक व्यवहार की निन्दा की गयी है वह ठीक नहीं है। विलासपुर गांव के किसी भी बकाया दार को गनियापुर पकड़ कर नहीं ले जाया गया, बल्कि जिन बकायादारों ने यह कहा कि वे गनियापुर में रुपया अदा करेंगे वे अपनी स्वयं की इच्छा से वहां गये और अदायगी की। कुछ सदस्यों को अवश्य गनियापुर तक इसलिये जाना पड़ा कि उनके खाते की किताब सुपरवाइजर के पास गनियापुर में ही थी और उनकी अदायगी वहीं पर हो सकती थी। गनियापुर जाने में रात वहीं हो जाने के कारण इन लोगों को रात को वहीं रुक जाना पड़ गया पर किसी भी बकायादार को जबर्दस्ती न तो रोका ही गया और न ही कोई ज्यादती की गई।

२---श्री लालता को पेड़ से बांधकर उलटा लटकाने का आरोप पूर्णतया निराधार पाया गया। जांच के दौरान में उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्हें कुर्क अमीन के चपरासी ने दो बेंत मारे थे पर अन्य गांव वालों ने उनके इस कथन की पुष्टि नहीं की। अतएव उनका यह आरोप अविश्वसनीय प्रतीत होता है। पैसा वसूलने में अन्य किसी बकायादार के साथ भी कोई ज्यादती नहीं की गई।

३---यह भी असत्य है कि तीन दिन तक सभी बकायादारों को चेतना, तजवापुर ढोढोत आदि स्थानों पर बगैर अन्न जल दिये घुमाते रहे और बाद में जमानत पर छोड़ा गया।

४---मेडसी नाम का कोई व्यक्ति विलासपुर का निवासी नहीं है और न वह विलासपुर समिति का बकायादार ही है। श्री बाबू जो एक बकायादार था, जिसके पिता का नाम मेड़ई है

मृत्यु १५ वर्ष पूर्व हो चुकी है। श्री परशुराम ने मेड़सी नामक किसी व्यक्ति को न तो कोई कर्ज ही दिया और न ही उन्हें खरीदा। जांच के दौरान में यह जरूर मालूम हुआ कि बाबू ब्कायादार ने श्री परशुराम से १२० रुपये का प्रोनोट लिख्कर कर्जा लिया और उस कर्ज से समिति की देनदारी की अदायगी की।

५—अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि ब्काये की रकम की वसूली करने में जो कि ये पुराने देनदार बहुत दिनों से टालते आ रहे थे कुछ सख्ती अवश्य की गई थी, जिसकी कि आवश्यकता थी, पर किसी भी देनदार के साथ कोई अमानुषिक व्यवहार नहीं किया गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि लालता प्रसाद को दो बेंत मारे गये लेकिन चौकीदार ने मारा, यह सूचना माननीय मन्त्री जी को कहां से और कैसे प्राप्त हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जब उप निबन्धक, यानी डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज जांच करने गये थे तो उस जांच के दौरान में इसने कहा कि मुझे दो बेंत मारा लेकिन गांव वालों ने इसकी ताईद नहीं की।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि इस वसूली के सिलसिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर और कुर्क अमीन मय अपने चपरासी के साथ थे या यह वसूली केवल कोआपरेटिव सुपरवाइजर ने जारी कर रखी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह बहुत दिन के ब्कायेदार थे और उस ब्काये को वसूल करने के लिये कुर्क अमीन भी नियुक्त थे विशेष तौर से तो जाहिर है कि सुपरवाइजर और अमीन सब वहां डटे हुए थे ताकि किसी तरह से वसूली हो जाय, तो वह कहीं अकेले भी थे और कहीं स्टाफ के साथ भी थे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मन्त्री जी ने बताया है कि वहां पर किताबें और रसीदें नहीं थीं इस कारण उन लोगों को उस गांव में जाना पड़ा और वह कोई जबर्दस्ती उनको नहीं ले गये थे, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह वसूली करने गये थे और वसूली की किताब उनके पास नहीं थी, इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, उस सर्किल में पांच छः गांव थे। कई गांवों म वह गये थे। तो जिस गांव की यह बात है उस गांव में दूसरे तीसरे गांवों से होते हुए वह गये थे। गनियापुर में जाने की बात थी और जैसा मैंने बयान में पढ़ा है बिलासपुर के बकायेदार को चूंकि उसका खाता वहां नहीं था जिसकी कि वसूली की बात थी और उसने खाता जानना चाहा कि आने पाई से कितना रुपया उसे देना है, तो उन्होंने कहा कि यह गनियापुर में जहां कि खाता है वहां चलकर आपको दूंगा, वह गये और रात को बताया, चूंकि देर हो चुकी थी, इसलिये कुछ लोग तो वहीं रह गये और कुछ लोग चले आये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, अपने उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बहुत 'चूंकि' कहे। आपने कहा कि बिलासपुर से गनियापुर तक इसलिय उनको लाया गया कि वह स्वेच्छा से वहां आये क्योंकि वसूली के सिलसिले

[श्री कल्पनार्थसिंह]

की किताबें वहां नहीं थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कुर्क अमीन और कोआपरेटिव सुपरवाइजर दोनों एक साथ वसूली पर थे तो क्या वजह थी कि उस गांव से जहां के वह रहने वाले थे, वहां से दूसरे गांव का चक्कर उनसे क्यों कराया गया और क्यों ज्यादा देर तक उनको रोक रखा गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो बता दिया कि वे अपने कई गांवों के दौरे पर वसूली के लिये गये थे । तो बिलासपुर जो वे गये थे उनके साथ खाता नहीं था । कुछ किताबें थीं उनको वे हगनियापुर ही रख गये थे । लेकिन जब वे वहां गये तो उसका हिसाब ले गये थे कि वह अपना हिसाब देखकर अपनी अदायगी कर देगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस प्रकार की सख्ती की गई, उनको मुर्गा बनाया गया या और किस प्रकार की सख्ती की गई जिसका उन्होंने जिक्र किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यही सख्ती की गयी कि बार-बार उनसे तकाजा किया गया कि वह जल्दी इसकी अदायगी करें। यही सख्ती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कानून में इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई अदायगी नहीं करता है तो वारन्ट जारी किया जायगी और कुर्की की जाय तो क्यों नहीं सरकार ने वारन्ट या कुर्की का सहारा लिया बल्कि उनके साथ दूसरी तरह सख्ती की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वारन्ट और कुर्की जारी करने के पहले जो अधिकारी होते हैं वह इस बात का प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक तकाजा करके उससे वसूल कर लें ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि उसने कहा कि दो डंडे मारे गये तो क्या उन डंडों के निशान के लिये कोई डाक्टरी रिपोर्ट हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो उत्तर में बतला दिया कि जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने गांव वालों के सामने पूछा कि आया यह बात सत्य है तो उन्होंने कहा कि "नहीं" ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त अमीन वसूल करने के लिये पहुंचता है तो उस वक्त पर डिग्री हो जाती है और डिग्री हो जाने के बाद सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं रहता तो कुर्क अमीन और सुपरवाइजर साथ-साथ क्यों गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उस रकम की कुर्की जब हो जाती है तो उस समय कुर्क अमीन जाता है । बहुत जगह सुपरवाइजर को भी जाना पड़ता है । उससे रकम वसूल करने का प्रयत्न करते हैं ।

श्री कल्पनार्थीसिह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि बिलासपुर से गनियापुर जो लोग गये उनके पास खाते नहीं थे तो फिर वह किस लिये गये। इस काम के लिये वे लोग वहां गये थे और इसके लिये ही रात भर वह रहे तो फिर वह खाता साथ क्यों नहीं ले गये, इसका पूरा विवरण दीजिये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विलासपुर से जब वह गये तो उनके पास जो चार्ट था हिसाब उसको वे साथ ले गये कि उसको दिखलाकर बतला दिया जायेगा कि पूरा व्योरा किस प्रकार है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जब वे इसी कार्य के लिये गये, तो साथ में खाता क्यों नहीं ले गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कितना रुपया उनके जिम्मे बाकी है इसका वह चार्ट अपने साथ ले गये थे।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

मैं समझता हूं कि वह चार्ट नहीं ले जाते बल्कि सूचना देने के लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

जब चपरासी साथ थे तो क्या उनसे खाते नहीं मंगाये जा सकते थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह स्वयं चाहते थे कि अपना हिसाब अदा कर दें और देख भी लें। इसीलिये वहां गये थे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मन्त्री जी ने बतलाया कि रुपया वसूल करने की काफी कोशिश की गयी और ३० जून तक रुपया वसूल करने का नियम है। तो उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितम्बर में वसूली के लिये तेजी से कोशिश क्यों नहीं की गयी ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या अमीन या सुपरवाइजर ने इस बात की कोशिश की कि किसी को भेज कर खाते मंगा लेते और दिखा कर पैसा वसूल कर लेते ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

लालता के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है उसे मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं। उसका बयान मेरे पास है जिसे मैं पढ़ देता हूं। उसे सुपरवाइजर ने मारा है, और उसके साथ गलत व्यवहार किया है और उसका चेहरा रंग कर गांव भर में घुमाया है।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

आप पूछ लीजिये कि क्या लालता के साथ यह व्यवहार किया गया है ?

श्री रामआधार कनौजिया—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि लालता और रघुवीर का इस जांच के सम्बन्ध में बयान लिया गया है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लालता से स्वयं जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने पूछा कि उसके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया तो उसने कहा कि यह बात नहीं है। केवल कुर्क अमीन चपरासी ने दो बेंत मारे थे, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों....

श्री अध्यक्ष—

बस, रहने दीजिये।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि इन किसानों से तकाजा नहीं किया गया बल्कि उनको मुर्गा बनाया गया और अमानुषिक व्यवहार उनके साथ हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामआधार कनौजिया—

क्या जांच के वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने वह प्रार्थना-पत्र था जो अध्यक्ष, जिला बोर्ड को दिया गया है और क्या उस सम्बन्ध में कोई बयान लिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या यह सही है कि लालता सिंह उसी गांव के रहने वाले हैं और वहां से गनियांपुर तक वे पकड़ कर ले जाये गये और उनको मारा पीटा गया और यह कहना गलत है कि उन के पास खाते वहां नहीं थे क्योंकि जब कुर्क अमीन और सुपरवाइजर दोनों वहां मौजूद थे तो सरकारी रेकार्ड दूसरे गांव में किस के पास छोड़ दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—

सिर्फ इतना प्रश्न है कि गनियांपुर में रिकार्ड किसके यहां थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

लालता प्रसाद का जो बयान है मैं उसका रलवेन्ट पोर्शन पढ़ना चाहता हूं—

"मुझे बेत से मारा जिससे चार दिन तक सांस नहीं ले पाया। सुबह जब उठा तो दरवाजे के पास खड़ा किया और ठंडे पानी से नहलाया। मैं कमजोर आदमी बूढ़ा हूं, ठिठुर गया और आगे कहा कि मुंह में मूत दिया जायगा। दिन भर बैठाये रहे।

जिला बहराइच के चन्दनापुर सर्किल सोसाइटीज के सुपरवाइजर द्वारा सोसाइटी के १०३ बकायादारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

पुनः शाम को बिराहिमडीहा ले गये। दिन-रात न तो खाना मिला और न घर जाने दिया। मैं पहले ही से भूखा था।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी पुनः किसी उच्चाधिकारी को भेज कर इसकी जांच करायेंगे और असलियत का पता लगाकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांड़ेय—

आप कहेंगे तो मैं फिर इसकी जांच करवा दूंगा।

गृह मन्त्री द्वारा अपने भाषण में प्रयोग किये गये कुछ वाक्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं नियम ३०० (२) के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परसों माननीय मन्त्री ने वक्तृता के बीच में गृह मन्त्री बनने के लिये एक विशेष योग्यता का वर्णन किया। यदि वह प्रोसीडिंग में रह गया तो भविष्य में उसका दुरुपयोग और दुष्परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। अतः मैं आपके द्वारा माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि उक्त वक्तव्य के उस वाक्य को वापस ले लें तथा वह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय। वह वाक्य इस प्रकार है...

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें, मैं पहले देख लूंगा कि वह किस कांटेक्स्ट में प्रयुक्त हुआ है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप सुन लें तब तो पता चलेगा—"श्रीमन्, मैं तो गुंडा बदमाश हूं ही वरना गृह मन्त्री कैसे होता। मेरे लिये तो सुचेता जी ने एक सार्टिफिकेट दे दिया मुझे गृह मन्त्री बना करके।" इस वाक्य से यह अर्थ निकलते हैं कि गृह मन्त्री पद पर रहने के लिये यह आवश्यक है कि मुख्य मन्त्री की जानकारी में वह व्यक्ति गुंडा और बदमाश हो, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह वाक्य वापस ले लिया जाय या निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय ऐसे शब्द प्रयोग किये गये तो तत्समय आपत्ति करनी चाहिये थी। इस समय उस प्रश्न को उठाना और उसके सम्बन्ध में एक विवाद उत्पन्न करना, मैं समझता हूं, अनुचित है। दैट इज रूल्ड आउट।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप ही आज्ञा दे दें निकालने की।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देखूंगा। अगर उचित समझूंगा तो मुझे अधिकार है शायद ३०४ में....मैं उसे देख लूंगा। ऐसी बातें उठनी नहीं चाहियें, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा मालूम होता है कि कोई व्यक्तिगत बात हो रही है।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं कि कैसे और क्यों कहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको नहीं बुलाता। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता और यह ठीक नहीं है।

१९६४—६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

गृह उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से संबद्ध व्यय के अन्तर्गत ३,४८,१७,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४—६५ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, भारत एक शान्तिप्रिय देश रहा है जिसने न कभी किसी दूसरे देश की भूमि की ओर ताका है और न वह यह समझता था कि दूसरे देश उसको शांति के साथ रहने नहीं देंगे। जब भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ, उस समय हमारे यहां अशिक्षा, बेकारी, और गरीबी का आलम था और हमारे नेता उसको दूर करने में लगे हुए थे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन को यह सब अच्छा नहीं लगा और उसने भारत पर विश्वास घात के साथ हमला कर दिया। जब इस देश पर हमला हुआ तो उस समय यह प्रश्न सामने आया कि जो प्रदेश बार्डर पर स्थित है वहां पर एक ऐसा नागरिक सुरक्षा संगठन बनाया जाय जिससे संकटकालीन अवस्था में उससे सहायता ली जा सके या कभी दैवी आपदा भी आये तो वह काम कर सके। सन् ६२ में हमारे यहां सिविल डिफेन्स डिपार्टमेन्ट की स्थापना हुई और आज उसी के लिये हमने ३,४८,१७,६०० रुपये के अनुदान की मांगी की है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि गत वर्ष यह मांग ७ करोड़ ९ लाख, ३२ हजार १०० रुपये की थी। गत वर्ष यह योजना ३५ स्थानों के लिये थी, किन्तु भारत सरकार के निर्देशानुसार यह समझा गया कि इस योजना को केवल ९ स्थानों पर ही जारी रखा जाय, इसलिए इस मांग को कम कर दिया गया। इस मांग को ५ खन्डों में बांटाजा सकता है। हवाई हमले से बचाव के लिये २८ लाख ४३ हजार १०० रुपये, निर्माण कार्य के लिये २६ लाख ३ हजार, प्रकीर्ण व्यय ३६ लाख ९५ हजार ६००, अन्य व्यय जिसमें पी० आर० डी० भी आती है, के अन्तर्गत २ करोड़ ४८ लाख ३५ हजार ९०० रुपये, सरकारी कर्मचारियों का मंहगायी भत्ता आदि के अन्तर्गत ७ लाख ४० हजार का प्राविधान किया गया है। यह सब मिलाकर ३,४८,१७,६०० रुपये होते हैं।

श्रीमन्, नागरिक सुरक्षा संगठन ने जो अब तक कार्य किये हैं उसके अन्तर्गत ५०० अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह अधिकारी अपने-अपने स्थानों पर जाकर अन्य लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे लोग संकटकालीन अवस्था में देश की सेवा कर सकें। अब तक इन अधिकारियों द्वारा जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है वे इस प्रकार है— नागरिक सुरक्षा उपायों में, चुने हुए स्थानों में ६,३४९, अन्य जिलों में २४१५२। अस्त्रों के प्रयोग में, चुने हुए स्थानों में ६,९२९, अन्य जिलों में ३७,८८२। उपचार सेवा में, चुने हुए स्थानों में ३,४४८, अन्य जिलों में ८१६९। फर्स्ट एड के लिये ८,०६२ चुने हुए जिलों के लिये और ३२,३४९ अन्य जिलों के लिये। फायर फाईडिग सर्विस में ६,४१६ चुने हुए जिलों के लिये और २१,०५७ अन्य जिलों के लिये। इतने व्यक्तियों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

इस समय डायरेक्टर सिविल डिफेंस लखनऊ में रहते है, इसके अलावा अन्य ९ स्थानों पर भी इसके दफ्तर कायम कर दिये गये है। जैसा कि मैंने कहा कि ३५ स्थानों से घटा कर अब ९ स्थान कर दिये गये हैं। उनमें जिलाधीशों को कन्ट्रोलर सिविल डिफेंस नियुक्त किया गया है

और उनकी सहायता के लिये एक एक डिप्टी कन्ट्रोलर नियुक्त किया गया है। उनको थोड़ा सा स्टाफ दिया जाता है जिससे वे वहां का कार्य कर सकें और यह प्रशिक्षण जो बहुत ही आवश्यक अंग है उसको जारी रखें ।

श्रीमन्, हैड ३—प्रकीर्ण में ३६,९५,६०० का प्राविधान किया गया है। इसमें वेलफेयर आफीसर्स की नियुक्ति की जायगी । माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हमारे सैकड़ों जवान आफीसर्स और सिपाही इस लड़ाई में या तो मारे गये या लापता रहे तथा उनके परिवार वालों को तकलीफ रही। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि उनके परिवार वालों की देख-रेख के लिये १७ स्थानों पर वेलफेयर आफीसर्स की नियुक्ति करें ताकि वे उनके परिवार वालों से संपर्क स्थापित रखें और उनकी आवश्यकताओं को सरकार के सामने रख सकें जिससे उनकी उचित समय पर सहायता की जा सके। इनकी जितनी ही सेवा की जा सके उतनी ही थोड़ी है क्योंकि वे वीर सिपाही देश के लिये लड़ते हैं और अपनी जान देते हैं। वेलफेयर अधिकारी उन सब सिपाहियों के परिवारों की देख-रेख करेंगे जो इस समय मोर्चों पर हैं, लड़ाई में मारे गये हैं अथवा लापता हैं। ये १७ जिले निम्न प्रकार हैं—अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, पौढ़ी, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, बुलन्दशहर, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर मैनपुरी, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और वाराणसी ।

इसमें ५० प्रतिशत खर्चा भारतीय सरकार दे रही है। इसलिये इस पर प्रदेशीय सरकार को केवल १७ हजार रुपया ही खर्च करना पड़ेगा ।

इसका दूसरा अंग जो विशेष महत्व रखता है, वह सिविल डिफेन्स का है—होम गार्ड्स का है। इनको स्थापना होम गार्डस ऐक्ट, १९६३ के मातहत की गयी थी। इसकी १,२४० कंपनियां बनाना तय हुआ था जिसमें से १,१०५ कंपनी बन चुकी हैं। एक कंपनी में ११० होम गार्ड्स होते हैं। अब तक २७,१९० होम गार्ड्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अभी यह ट्रेनिंग चालू रहेगी इसलिये कि हम उन नौजवानों को, जो देश की सेवा करने के इच्छुक हैं, उनको अवसर देना चाहते हैं, एवं इसलिये भी जारी रखना चाहते हैं जिससे हमारी १,२४० कंपनियों की संख्या पूरी हो जाय। इसके अलावा एक मर्तवा ट्रेनिंग होने के बाद यह संभव है कि वे भूल जायं इसलिये उनको रिफ्रेशर्स कोर्स के लिये दुबारा बुलाना होगा, अतएव इस मद में खर्चा करना आवश्यक है। १८ वर्ष की उम्र से लेकर ४० वर्ष की उम्र तक की महिलायें व पुरुष जो भी इस समय तन्दुरुस्त हैं और इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, इसमें, सम्मिलित हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जनता ने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया और काफी संख्या में सब लोग इसमें भर्ती हुए। महिलायें भी पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी अपना नाम भर्ती होने में लिखाया। दो यूनिटें एक इलाहाबाद में और एक कानपुर में शीघ्र ही बनायी जायेंगी जो महिलाओं की होंगी ।

होम गार्ड्स से और काम लेने की भी आवश्यकता समझी गयी। मैं पिछले दिन पुलिस पर हुए डिबेट को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की। कुछ ने यह भी कहा कि पुलिस की मजबूरी है लेकिन अधिक ने आलोचना की और कहा कि वे उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। श्रीमन्, हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि पुलिस जनता की सेवा करे और कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो यह न चाहे कि उसके कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभायें। लेकिन फिर भी पुलिस की मांग, चौकियां व थानों की मांग आये दिन होती रहती है और वह इसलिये कि जनता समझती है कि चाहे पुलिस वाले गलत काम करें, कुछ भी करें, कम से कम उनके ऊपर भीड़ पड़ने पर या कोई संकट व आफत पड़ने पर पुलिस उनकी सहायता करती ही है। पुलिस तो हम पैसे की कमी के कारण बढ़ा नहीं सकते। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया था कि आप पुलिस के वेतन को क्यों नहीं बढ़ाते, पुलिस का वेतन बढ़ाना चाहिये। पुलिस का वेतन बढ़ाने की इच्छा मेरी भी है और हम भी समझते हैं कि उनकी अच्छी सेवा के लिये आवश्यक

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

है कि अधिक वेतन हो लेकिन वेतन के लिये पैसा चाहिये और पैसा अगर आ सकता है तो वह कर से ही। कर देने की क्षमता जनता की अधिक नहीं मालूम होती है। कम से कम माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं कि कर अधिक नहीं लगना चाहिये और सरकार भी कर लगाने के लिये कोई विशेष इच्छा नहीं रखती। इसलिये कि यदि वह कर बढ़ाती है तो इससे जनता को तकलीफ हो सकती है।

पुलिस के दूसरे कामों को पूरा करने के लिये हमारी सरकार का यह आदेश है कि ७ स्थानों पर होम गार्ड्स की एक-एक प्लैटून जिसमें ३३ होम गार्ड्स होते हैं, एक एक थाने में अन्धेरे पक्ष में जायगी और वह थाने में रहकर वहां के पुलिस अधिकारी की देख-रेख में काम करेगी और वहां जनता की चोर, डाकुओं से रक्षा करने का प्रयास करेगी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह केवल प्रयोग किया गया है इन सात जिलों में जो ये हैं—मेरठ, फतेहगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बलिया और फैजाबाद। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो इसको और आगे भी बढ़ाया जायगा। होमगार्ड्स के जो अच्छे वालंटियर्स हैं, अगर वे बन्दूक के लाइसेंस लेना चाहे तो उनको लाइसेंस दिलवाने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हर गांव में कुछ लाइसेंसी हो जायं ताकि उनमें कुछ बल हो जाय और वे चोर, डाकुओं का मुकाबला कर सकें।

इसके अलावा पी० आर० डी० को भी हमने कायम किया है और उनका प्रशिक्षण चल रहा है। इस संबंध में एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात थी कि पी० आर० डी० और होम गार्ड्स को एक कर दिया जायगा और पी० आर० डी० अपना अस्तित्व ही खो देगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों अपनी जगह पर बिलकुल अलग-अलग रहेंगे और जो जो सेवा उनके सुपुर्द है उसे करते रहेंगे। श्रीमन्, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो मांग सदन के समक्ष रखी गयी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। होमगार्ड्स और पी० आर० डी० का एक महत्व और गौरव है और वह देश की सेवा सही मानों में कर सकेंगे। अतएव मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को जो मैंने उनके समक्ष पेश किया है, स्वीकार करें।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं—

"अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, पक्षपात, सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता तथा लापरवाही पूर्ण सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।"

श्रीमन्, मैंने माननीय उप मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना लेकिन उनके भाषण से उनकी मुद्रा से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्वयं इतने मायूस और उदासीन हैं कि जिसकी अभिव्यक्ति वह नहीं कर सकते। आपने जिक्र किया कि यू० पी० एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो दुश्मन की निगाह में परे तौर पर है लेकिन इस बात का कभी अन्दाजा नहीं किया और ऐसा उनके भाषण से भी लगा कि दुश्मन की निगाह उनकी तरफ है, लेकिन क्या उनकी भी निगाह दुश्मन की तरफ है? आप को ज्ञात होगा कि इस देश पर जब भी हमले हुए हैं वह प्रायः उत्तर व पश्चिम से होते थे लेकिन उन हमलों का मुकालबा इंच-इंच पर होता था, हमारे बहादुर सिपाही, देशभक्त जवान, इंच-इंच पर लड़ते थे, वह हारते भी थे और हराते भी थे लेकिन अब की बार इतिहास विपरीत दिशा में दोहराया गया है। इस बार जो हमला हुआ वह उत्तरपूर्व से हुआ और ऐसे दुश्मन के द्वारा हुआ जो हमारा पड़ोसी था, जिसको हम अपना भाई मानते थे, जिसके लिये हमने जबरदस्त त्याग किया और त्याग यहां तक किया कि तिब्बत जैसा देश जो सांस्कृतिक धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से हम से हर तरह नजदीक रहा और आज भी है, लेकिन हमने उसकी कुरबानी उस पड़ोसी देश के लिये कर दी। फिर भी उसने उसका बदला इस रूप में दिया कि उसने हमारे

ऊपर नृशंस और निर्मम तरीके से आक्रमण कर दिया। वह काली घटा जो अक्तूबर, सन् ६२ म आई और जो अपने साथहमारी हजारों वर्गमील जमीन लपेट ले गई उसका रूप उग्रतर होता गया। जो हमारे मैदानों में बेरोक टोक उतरती चली आई और जिस दशा में उस समय हमारे वीर सिपाही थे यह सब को मालूम है, कहने की बात नहीं है। लेकिन जब हमारे सिपाहियों में दृढ़ता आई और वह दुश्मन को भगाने की कोशिश में थे और दुश्मन भाग भी रहा था उस समय उनको मौका नहीं दिया गया कि वे दुश्मन को रौंद दें। उस वक्त उसके शौर्य का तकाजा था कि उसे दुश्मन को मार भगाने का मौका दिया जाता लेकिन अफसोस मौका नहीं दिया गया। इससे हमारे सिपाहियों और सेनानियों की हिम्मत पस्त हुई और आज भी उनके दिल में टीस है, उनके हृदय में एक वेदना है कि मुल्क के लिये जो उन्हें करना चाहिये था और जितनी उनमें शक्ति थी, उसके मुताबिक वह कुछ नहीं कर सके।

मैं मंत्री जी का ध्यान बजट की तरफ दिलाऊंगा उन्होंने गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में ३ करोड़ ५५ लाख, १३ हजार रुपया कम कर दिया है। वह कमी किन मदों में की गई है—नर्सों के प्रशिक्षण और उनके भोजन को रद्द करने में, और आपातकालिक चिकित्सा को रद्द करने में। इन मदों को आपको कभी भी बन्द नहीं करना चाहिये था जैसे नर्सेज का प्रशिक्षण और उनको भोजन व्यय आपने बन्द किया। आज हमारे अस्पतालों में नर्सेज नहीं है। उनसे १८-१८ घंटे का काम लिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में भी आपने नर्सेज का प्रशिक्षण बन्द कर दिया। यह आपकी सतर्कता और सक्रियता का ज्वलन्त उदाहरण है।

एक काम आपने जरूर किया राष्ट्रीय संकट के नाम पर डी०आई०आर० का उपयोग आपने पर्सनल प्रीजुडिस के आधार पर, पार्टी बन्दी के आधार पर कुछ ऐसे तत्वों को कुचलने में जो आपके खिलाफ सर उठा रहे थे, किया जब कि डी० आई० आर० का उपयोग जखोरेबाजों के खिलाफ पंचमांगियों के खिलाफ और देश द्रोहियों के खिलाफ आपको सतर्कता से करना चाहिये था। मगर ऐसा न करके, आपने अभी अभी गुड़ सत्याग्रह से संबंधित किसानों पर जो आपको कर देते हैं, अपने बेटे भी देते हैं जो हिमालय की चोटियों पर जाकर देश को रक्षा करते हैं और आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत को बचाते हैं, डी०आई०आर० का प्रयोग किया है। यह एक अजीब स्थिति है कि इस देश की रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर ही आप कुठाराघात करना पसन्द करते हैं और देश के विरुद्ध जो ऐसे तत्व हैं, उन पर आपका हाथ भी नहींचल पाता। इस सचिवालय में, ऐसे लोग हैं जो आपकी खबरें बाहर देते है। इनके अन्दर देश की सुरक्षा की भावना जिस तत्परता से होनी चाहिये वह नहीं हो सकी है। मैं आपसे बताऊं ६ अक्तूबर १९६३ को इस सचिवालय में चोरी हुई और वह चोरी कागज की चोरी कही जाती है। यह घटना तो इत्तफाक से पकड़ ली गयी। इससे पहले भी ऐसी चोरियां यहां हुई हैं जिनमें यहां का सामान जैसे मेज कुर्सियां, टाइपराइटर और और चीजें बाहर जाती रही हैं। यह तो इत्तफाक ही था कि उस दिन चोरी पकड़ ली गयी लेकिन उस पर आज तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी सिवाय इसके कि अदालत में मुकदमा चल रहा है कि भविष्य में ऐसी घटना न घट सके। यहां जो फाटक हैं, उन फाटकों पर पहले सी० आई० डी० और आर्मड पुलिस रहा करती थी लेकिन अब उसमें शिथिलता आ रही है अब आपको बताऊं, इन फाटकों में फाटक नं० ९ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। उस पर १५ जुलाई, सन् ६३ को १२।। बजे से लेकर ३ बजे तक कोई गार्ड भी नहीं रहा और वह खालो पड़ा रहा। उस फाटक पर जो आदमी था वह किसी अधिकारी विशेष के यहां काम कर रहा था। उस समय वह फाटक खाली रहा। जहां हम बैठे हैं, हमारी सरकार का केन्द्र स्थल है। हमारी सेक्रेटेरियट ही जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर की सुरक्षा का भार हम कैसे वहन कर सकते हैं।

आपको विदित होगा कि आंतरिक अराजकता इस प्रदेश में फैलती जा रही है और फैलने की तरफ सक्रिय रुप से उन्मुख है। गोरखपुर में हथगोला फेंका गया, १३ या १४ मार्च को।

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

गत सप्ताह रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशाप में आग लगी। देहरादून में विस्फोट किया गया है। यह स्थिति ऐसी है जो इस बात की द्योतक है कि हमारे मुल्क में व्यापक पैमाने पर साजिश हो रही है। तेलंगाना में सशस्त्र क्रान्ति की लपट उठी थी और वह लपट अभी तक धीरे-धीरे भूसे की आग की तरह अन्दर अन्दर जल रही है। यह दूसरी बात है कि आचार्य विनोबा भावे ने उसको बुझाने की कोशिश की और सारे देश में केवल एक गांव के कारण चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उन जज्बात पर काबू पाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। मैंने ऐसा इसलिये कहा कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो गरीबी, भूखमरी और जहालत को आधार मानकर राजनीतिक पहल करते और जिनका संबंध उनसे लगाया जा सकता है। ऐसी हालत पैदा हो सकती है कि मुल्क में एक जबरदस्त विस्फोट हो और सारा देश तहस नहस हो जाय।

पी० आर० डी० और होम गार्ड का सवाल उठाया गया। पी० आर० डी० के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई इसलिये कि उसमें काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो देशभक्त हैं और जिन पर संकट के समय भरोसा किया जा सकता है। पर उनके प्रति उपेक्षा की दृष्टि है। सारे बजट में साढ़े ८७ हजार रु० का प्रावीजन किया गया है, इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि किस प्रकार पी०आर० डी० को अलग रख कर उसके अस्तित्व को सरकार कायम रखना चाहती है। पी० आर० डी० को ऐसी स्थिति में रख दिया गया है कि वह अपने आप कालकवलित हो जाय। इलाहाबाद में एक कैम्प हुआ उसमें डी० ओ० पी० आर० डी० इत्तफाक से अपना बैज लगा कर चला गया। वहां के कमान्डेन्ट ने उसको गिरफ्तार कर लिया और आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। होम गार्ड्स में वस्तुतः भर्ती नहीं हो रही है, केवल फिक्टीशस फीगर्स रखी जाती है। बहराइच में प्रयागपुर में एक कैम्प हुआ जिसमें कहा जाता है घी और चीनी के बोरों की चोरी हुई। इसमें भ्रष्टाचार और चोरी की कम गुंजायश होनी चाहिये लेकिन वह पाप जिसके कारण कि यहां का पुलिस विभाग बदनाम है इसके अन्दर भी धीरे-धीरे घुस रहा है उसका कारण महज पी० आर० डी० होमगार्ड और पुलिस का गठबन्धन है। इसके डायरेक्टर वृद्ध आदमी है, राष्ट्रीय संकट ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो अपनी जिन्दगी के अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा में हों, वह दुश्मन के मुकाबले में खड़े होने की जुर्रत करें यह समझ में नहीं आता। वह इसको चला नहीं पा रहे हैं और उनका एक ऐंटी पी० आर० डी० ऐटीट्यूड बन गया है। वह चाहते है इस स्कीम को खत्म कर दें क्योंकि पी० आर० डी० में काम करने वाला जवान इस मुल्क के लिये अपना खून पसीना बहा चुका है। वह जेल की यातनायें भोग चुका है। इसलिये उसको वेदना होती है जब उसके सामने गांव का किसान, मजदूर या गरीब आदमी परेशान किया जाता है। पुलिस के खिलाफ वह आवाज उठाने की कोशिश करता है। उसको डायरेक्टर महोदय पसन्द नहीं करते है। जब आप पुलिस में थे तब भी आप पी० आर० डी० को समाप्त करना चाहते थे और अब इमरजेन्सी आ गई तो उसके अन्दर रह कर पी० आर० डी० को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी-अभी पारित विधेयक में पी० आर० डी० को होमगार्ड में मर्ज करने की बात थी लेकिन सदन ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस बजट में साढ़े ८७ हजार रु० रख करके पी० आर० डी० के साथ उन्होंने सौतेली मां का-सा बरताव कर रखा है।

राष्ट्रीय संकट में हर आदमी को जागरुक रहना चाहिये लेकिन सरकार जागरुक नहीं है। काम इसने क्या किया? एक काम तो इसने यह किया कि हर सिनेमा घर में अभिनय के अन्त में राष्ट्रीय गान की व्यवस्था की वह भी ढंग से नहीं हो पाता है। जिस समय राष्ट्रीय गान होता है कुछ लोग जाते रहते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं, यहां तक पुलिस अधिकारियों को भी देखा गया है कि वह खड़े नहीं होते हैं श्रद्धापूर्वक सुनने और झण्डे को सलामी देने की तो बात ही और है। पता नहीं इस देश का चरित्र किस हद तक गिरेगा। लोग आज भी राष्ट्रीय गान की हालत में सावधान नहीं रह सकते।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने नागरिक सुरक्षा समिति बना दी है। ऐसे लोगों का समूह तैयार किया है जिनके पास कुछ काम काज नहीं था। जो राजनीति से कुछ हटे हुये लोग थे। आपने देखा होगा कि यहां पार्कों में ट्रेंचेज बना दी गई थीं जिनके संबंध में माननीय प्रधान मंत्री

जी ने कहा था कि ये चूहेदानी क्यों तैयार की गई है ? परिणाम हुआ कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद उनको पाट दिया गया । सड़कों पर बिजली के खंभों पर काले-काले ढक्कन लगा दिये । वह भी १०-५ दिन ही रहे। पता नहीं कि इस राष्ट्रीय संकट की बेला में किस पूंजीपति को मालोमाल किया गया । इन कामों के सिवाय राष्ट्रीय संकट के प्रति इन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई ।

इसके अलावा, श्रीमन्, जहां तक खर्चे की बात है, ३० जनवरी, १९६३ के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के आधार पर केंद्रीय सरकार ने सारे प्रदेशों को निम्नप्रकार से रुपया दिया था—आंध्र को ५५.३, बिहार को ५४.४, गुजरात को ४२.७, काश्मीर को १५.६ केरल को ३२.८, मध्य प्रदेश को ६५.८, मद्रास को ७.८, महाराष्ट्र को ८०.८, मैसूर को ५१.२ उड़ीसा को ३२.५ पंजाब को ३९·५, राजस्थान को ३६.९ और उत्तर प्रदेश को ८९.४ करोड़ रुपया दिया गया । लेकिन पता नहीं इस रुपये को किस तरह से इस्तेमाल किया गया । श्रीमन्, यह रुपया उत्तराखंड में खर्च करने के लिये दिया गया था । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रुपये को किस तरह से खर्च किया गया । उत्तराखंड की स्थिति आप जानते हैं कि वहां पर पूल्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन है जिसका चार्ज चीफ मिनिस्टर साहब के पास है । जब से वह मुख्य मंत्राणी हुई हैं तब से आज तक क्या उनको किसी दिन मौका मिला कि वह वहां जाकर देखें कि वहां की क्या स्थिति है ? जहां तक मैं समझता हूं आप एक दिन भी वहां तशरीफ नहीं ले गयीं । हमारे गृह मंत्री जी भी नहीं गये हैं । एक दिन गोचर मेले में तशरीफ ले गये थे । जब से वे गृह मंत्री हुये हैं, मेरा ख्याल है कि एक भी महीना ऐसा नहीं है जब वे जौनपुर न गये हों । मैं चाहता हूं कि आप कम से कम महीने, दो महीने में २-४ चार रोज का मौका निकाल कर उत्तराखंड तशरीफ ले जायं ।

उत्तराखंड की परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय है । वहां पर एक भोटिया जाति होती है उसमें हरिजन भी होते हैं और ऊंची जाति के लोग भी होते हैं । उसका सारा कामकाज तिब्बत में होता था । अब वह बंद हो गया है और वे बेकार घूम रहे हैं और उनको कोई कामकाज नहीं दिया जा रहा है । इसी प्रकार से और लोग भी हैं, जो बहुत परेशान हैं और उनमें बड़ा असंतोष फैला हुआ है । वह यहां तक कह देते हैं कि जैसे इधर रहने में वैसे सही उधर रहने में, कोई फर्क नहीं पड़ता । उनके अन्दर देशप्रेम ऐसी चीज घर नहीं कर पाई है । उनके लिये रोजी-रोटी ही सब कुछ है । रोजी मिल सके तो वे कहीं भी रहें । कोई बात नहीं है । श्रीमन्, जब किसी देश के नागरिकों में यह भावना पैदा हो जाय तो यह बड़ा भयावह है । यह हमारा सेंट्रल जोन पड़ता है । आपने देखा कि लद्दाख और नेफा में दुश्मन को ऐसे लोग मिल गये, लेकिन इतनी तादाद में नहीं मिल सके जिसका वे सदुपयोग कर सकते । लेकिन सेंट्रल जोन में उनको ऐसे आदमी नहीं मिले जिससे वे आगे बढ़ने की हिम्मत करते । यद्यपि वह बाराहोती में हम से थोड़ी दूर पर ही पड़े हुये हैं । माना नीति ऐसे दर्रे हैं जहां से हमारे आदमी आते और जाते थे और अपना रोजगार करते थे । बाराहोती १०० वर्ग मील का इलाका ऐसा है जहां केवल घास पैदा होती है और पहले हमारे गड़रिये वहां जाते थे । हमारा मिलिटरी पेट्रोल वहां रहता था किंतु दुख: है वह अब बन्द हो गया है । थोड़े समय तक सिपाही मुफ्ती ड्रेस में वहां रहता था, वह भी बन्द हो गया है । अब वह नो मेंस लैंड हो गया है । यह बात भी है कि दुश्मन जाने हुये रास्ते से ही नहीं उतरता है । ऐसे रास्ते से भी आता है जिसका आपको पता तक न हो । यही बात नेफा में हुई । हमारी फौज घेर ली गई । ऐसे रास्ते से वे आये जिसका कि हमारी फौज को गुमान तक न था ।

श्रीमन्, यह एक साधारण सी बात है कि जब कोई किसान खेत खरीदता है तो वह अपने खेत की मेड़ डांड़ को देखता है और पता लगाता है कि उसका कहां तक एरिया है। लेकिन आजादी के बाद से आज तक हमारी सरकार ने वहां का कोई सर्वे तक नहीं कराया । अंग्रेजों के जमाने के पिटेपिटाये सर्वे हैं । अंग्रेज काम करते थे और उनको दिलचस्पी थी, इसलिये उन्होंने नक्शे

[श्री केशरी प्रसाद पांडेय]

बनाये । लेकिन हमारी सरकार के पास कुछ भी नहीं है जिससे मालूम हो सके कि हमारा इलाका कहां-कहां तक है । नतीजा यह होता है कि लोग धड़ाधड़ अन्दर घुसे चले आते हैं और चले जाते हैं । श्रीमन्, अभी कुछ दिन की बात है कि दो चीनी हमारे इलाके में तशरीफ लाये । उनको पकड़ कर जब हमारी पुलिस चौकी पर ले जा रही थी, उस समय वे घोड़े पर चल रहे थे और हमारी पुलिस पैदल चल रही थी, वे हमारी पुलिस को चकमा देकर चले गये और उनका कुछ पता न चला । सवाल यह है कि आप इंतजाम नहीं कर सकते हैं, हमारा सहयोग नहीं चाहते हैं तो फिर रास्ता क्या है ? मैं आप से उत्तराखंड के उन दुर्गम पहाड़ी रास्तों जैसे धेश-धड़ांग, रूपकुंड और कर्वेड़ीघाटी आदि के बारे में कहना चाहता हूं जिनका आपको पता नहीं है, किंतु जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इन रास्तों से लोग आते जाते हैं और आपके रहस्यों का पता लगा ले जाते हैं । आपको उनकी तरफ सख्त नजर रखनी चाहिये । दुश्मन कोई ऐसी चीज न कर सके जिससे आपको परेशानी हो जाय ।

सड़कों के निर्माण की बात हो रही है । उत्तराखंड के लिये २८ करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है । इस रुपये का उपयोग किस प्रकार और किसके माध्यम से किया गया, किसी को ज्ञात नहीं । राष्ट्रीय संकट की आड़ में निजी संकट दूर करने में लोग लगे हैं । इससे जनता में क्षोभ व्याप्त है । वहां के २२ ठेकेदारों को पेमेंट नहीं किया गया । उन्होंने माननीय नेगी जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया और उनसे उम्मीद की थी कि वे शायद उस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन अभी तक कोई कार्य-वाही नहीं की गयी । लोगों में बहुत असंतोष है और वह असंतोष कोई व्यापक रूप न ले ले इसलिये मैं आगाह करना चाहता हूं कि वहां के जो ठेकेदार हैं, जो सड़कों पर काम करनेवाले मजदूर हैं, उनकी ओर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाय और उनका पैसा उन्हें तुरन्त दिया जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पहाड़ी पर रहा हूं । मैं जानता हूं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन यह अपराध वहां शुरू हो गया है और इस हद तक कि लेखपालों की नियुक्ति के लिये ८ सौ रुपया, क्लर्क की नियुक्ति के लिये ४ सौ रुपये और लिटरेट चपरासी की नियुक्ति के लिये २०० रुपया तक लिया जाता है ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

क्या यह सारे बार्डर एरिया में है या किसी खास जगह ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

यह पाप तीनों जिलों चमौली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में हो रहा है । वहां के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं । जिनके पास पैसा है वहां पैसा देकर नौकर हो गये हैं और जो गरीब हैं उनको नौकरी में जाने का मौका नहीं मिलता है । वह बेकार पड़े हुये हैं । इनकी स्थिति शोचनीय है । गरीब हरिजन पहाड़ी खोहों में रहते हैं और जब तिजारत वगैरह करने के वास्ते बाहर जाते हैं उन्हें अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है । पहाड़ पार तिब्बत की ओर उधर जाने का रास्ता उनके लिये खुला हुआ होता है ऐसे लोग आज भी उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है जो बिल्कुल बेघरबार के हैं, चारों तरफ दाने दाने के लिये, कपड़े लत्ते के लिये, दवादारू के लिये परेशान हो रहे हैं, वे हमारे लिये बड़ी घातक चीज सिद्ध हो रहे हैं बनिस्बत दुश्मन के, जो हमारी सीमा के उस पार पड़ा हुआ है । मन में इस परेशानी और अभाव के कारण गुस्सा है । परेशानी चेहरों पर देखी जा सकती है, उनके अन्दर यह भावना घर कर रही है कि जैसा इस तरफ वैसा उस तरफ । वह अत्यन्त घातक स्थिति है । हमें सतर्कता से इस स्थिति का मुकाबिला करना है ।

जहां तक सिंगापियों का प्रश्न है, केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार करोड़ों रुपया उन पर खर्च करती चली जा रही है और उसके खर्च करने के बावजूद भी हम यह देख रहे हैं कि हमारे काबू में स्थिति नहीं आ रही है । कारण उसका क्या है ? जनता का मनोबल हम उठा नहीं पाते । एक ऐसा समय था जब हम लोग एक होकर खड़े हो गये थे और दुश्मन सहम

गया था । देश का प्रत्येक व्यक्ति खोमचेवाले, रिक्शावाले, फैक्टरियों में काम करनेवाले और खेतों में खून पसीना एक करने वाला किसान एक होकर खड़े हो गये थे और दुश्मन को भागना पड़ गया था। चीन का वापस जाना आपकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वह प्रदर्शन था इस देश की एकता का, एक आवाज का और इस देश के लोगों की देशभक्ति का । लेकिन वह मनोबल आज दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है । उसको उठाने के लिये आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्राविजन नहीं है । किसी प्रकार का कोई कार्य-क्रम गांवों में नहीं लिया जाता, किसानों के ऊपर आप धावा बोल देते हैं, जिससे पैसा मिज सकता है, उससे पैसा नहीं मिलता है । पूंजीपतियों से पैसा लिया जाय, सरकारी कर्मचारियों से अगर वह पैसा नहीं दे सकते, तो उनसे खून लिया जाय, जवानों को खून की जरूरत पड़ती है और किसानों से उनका बेटा लीजिये । किसानों का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी फौज में भर्ती होकर उसने क्या नहीं कर दिखाया है । पहले के फौज की भर्ती दूसरी थी आज की दूसरी है । पहले जो भर्ती होते थे उनके पेट में दाना नहीं होता था, भूख की ज्वाला से पीड़ित दुःखी मानव जो जिंदगी से बेजार होते थे, फौज की शरण लेते थे । मां बेटे बिना खाये सो जाते थे, यह उनके लिये कोई नयी बात नहीं होती थी । फिर भी अपनी झोपड़ी का मोह उन्हें बरबस बांध रखता था । आखिर यह सब कब तक ? अन्त में तन और पेट का पीड़ा से आजिज आकर, सभी ममता छोड़कर जिंदगी की अंधेरी घाटी में विलीन होने का निश्चय, आज के भूखमरे और कल के सैनिक, को करना पड़ता है । उससे वह भूलती नहीं जब रात-रात भर वह जागता रहा इसलिये कि छप्पर चू रहा था, रात भर वह पेट के बल पड़ा रहा इसलिये कि खाने को उसके पास कुछ नही था । श्रीमन, इनसारी दिक्कतों को अपने दिल में रखकर वह फौज में भर्ती हुआ और आज उसकी जिम्मेदारी है देश की रक्षा करने की । आज इस देश की अस्मत, इस देश की इज्जत उसकी सुरक्षा का भार उसके गर्वीले हाथों में है । लेकिन वह कोई पत्थर का आदमी नहीं है उसके अन्दर भी भावनायें हैं, जजबात हैं । वह जिस समय यह देखता है कि उसके पीछे कोई पुरसाहाल नहीं है, आज गांव में उसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे पहले थी तो उसका दिल कांप जाता है । वह सहज ही सोचने लगता है हम आठ हजार से सोलह हजार फुट की ऊंचाई पर अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करें और देश का नागरिक, समाज उसके प्रति इस तरह उपेक्षा की भावना रखे । इससे वह कांप उठता है, जिसके अदर काफी परेशानी पैदा होती है । उसका इजहार अगर वह करे तो बड़ी परेशानी की स्थिति पैदा हो जायगी ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन नवजवानों के प्रति आपको अत्यन्त सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ेगा । इनके परिवार के लोगों की दवादारू मुफ्त होना चाहिये, इनकी जमीन की मालगुजारी माफ होना चाहिये, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुफ्त होनी चाहिये और साथ ही यह जब मैदान में हों तो इनका पूरा इंतजाम होना चाहिये । अच्छी तरह से इनको आश्वस्त करना चाहिये यदि तुम उस मोरचे पर हो तो यहां घर का मोर्चा हम संभाले बैठे हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि डिफेंस को प्रोडक्शन से लिंक अप कर दिया जाय, वह प्रोडक्शन चाहे खेती का हो, चाहे रोजगार का हो और चाहे साइंटिफिक हो क्योंकि इनको बिना सम्बद्ध किये हुये हमारा काम चलने वाला नहीं । इसके लिये किसानों से बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त करना होगा । आज का संकट ऐसा नहीं है जब कि फौजे पानीपत में लड़ा करती थीं या हस्तिनापुर और बगल में किसान अपना खेत जोता करता था । दिल्ली में बादशाहतें आयीं और चली गयीं । लेकिन आज के युग में सारा देश लड़ता है टोटल वार जिसको कहते हैं । ऐसी स्थिति में किसान को सारी सुविधा जब तक नहीं दी जायगी तब तक उत्पादन बढ़ाने में उसका मन लगेगा नहीं और अगर वह खिन्न रहा, उदासीन रहा तो उसका असर सारे राष्ट्र पर पड़ेगा । इसलिये जितना सुख और सुविधा हम उसको दे सकें वह देनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं आपका ध्यान उस पहाड़ी इलाके की तरफ और अपने पूरे प्रदेश के सोशल आर्डर की तरफ दिलाना चाहता हूं, सामाजिक और आर्थिक न्याय की तरफ आज आप

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

देखें, समाज कि स्थिति उस इलाके में अर्थात् उत्तराखंड में कैसी है? आज भी वहां छुआछूत का बोलबाला है। वहां चांडाल और हरिजन के साथ आज भी कोई खाना खाना, पानी पीना या उठना बैठना पसन्द नहीं करता, लोगों को आज भी उसमें गुरेज है और यह स्थिति आज भी इस प्रदेश में और वहां पर कायम रही तो कोई काम चलने वाला नहीं है फिर एक साथ बैठकर और कन्धे से कन्धा मिलाकर इस देश की रक्षा नहीं हो सकती। श्रीमन्, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए।

जहां तक सवाल विद्यार्थियों और नवयुवकों का है मैं आपसे चाहता हूं कि आप सिविल डिफेंस को अपने कालेजेज और अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का एक विषय मंजूर कर लें क्योंकि यह चीज केवल आज के लिये नहीं है, यह तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जो एक दिन, दो दिन या एक वर्ष, दो वर्ष के लिये नहीं है बल्कि आपको तो १०० वर्ष के लिये तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिये निरन्तर प्रयत्न करना पड़ेगा, जवान तैयार करने पड़ेंगे और जवानों के अन्दर नागरिक सुरक्षा की भावना, देश की सुरक्षा की भावना, देश भक्ति कूट-कूट कर भरनी होगी और मिलिटरी ट्रेनिंग उनको शुरू से देनी होगी क्योंकि आप देखते हैं कि एन० सी० सी० और ए० सी० सी० बच्चों की जमात होती है। इन लोगों से उतना काम नहीं चलेगा जितना गांव के रहने वाले अनपढ़ किसान और मजदूरों से चल सकता है। यह लड़के अपना कैरियर बनाने, अच्छा वेतन पाने और कमान्डर के रूप में रोब गालिब करने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं किन्तु गांव के रहने वाले किसानों के बच्चे आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसलिये उनके प्रशिक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः गांव के रहनेवाले किसान और मजदूर प्रशिक्षण के लिये, उनको मिलीटरी माइडेड बनाने के लिये कुछ प्रोग्राम वहां पर शुरू किया जाना चाहिये।

आपने कहा कि होमगार्ड को पुलिस के साथ कर देंगे और वह गांव में जाकर अपना काम करेगा। पुलिस को जो आज नेकनामी है वह सब जानते हैं। यदि होमगार्ड या पी० आर० डी० को इनके साथ नत्थी किया जायगा तो वह भी इसमें सन जायेंगे और उस बदनामी से बचना उन के लिये कठिन हो जायगा। जो पौधा हम लगाने जा रहे हैं उसमें कीड़ा लग जायगा। आपको चाहिये कि आप पी० आर० डी० को प्रोत्साहन दें। गांव के बच्चों और उनके जरिये से गांव के जवानों को प्रशिक्षित करें। लड़ाई के जमाने में फौज की भर्ती की जाती है। उन लोगों को फौजी अनुशासन और तरीके मालूम नहीं रहते हैं। उनको ७८ सप्ताह की ट्रेनिंग दे देते हैं। और रास्ते भर ट्रेनिंग देते हुये फ्रंट तक पहुचा देते हैं। २ सप्ताह में उनको बन्दूक स्लोपआर्म करना, २ सप्ताह में उनको गोली चलाना-मस्केटरी, २ सप्ताह में उनको बैनेट चार्जिंग करना, सिखाकर अन्त में फील्ड पर भेज दिया जाता है। इसी तरह से आप गांव के जवानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उनको प्रशिक्षित करके देश की रक्षा में तत्पर कर सकते हैं। जब वक्त आयेगा तो आपको टटोलना नहीं पड़ेगा, केवल आपकी एक आवाज पर गांव के जवान उठ खड़े होंगे और देश की रक्षा के लिये अपना तन, मन, धन न्योछावर कर देंगे।

मंहगाई का बढ़ता हुआ कदम प्रदेश के लिये संकट का विषय है। आज ही आपने स्वतंत्र भारत मे पढ़ा होगा कि लखनऊ के बाजार में गेहूं १।। सेर और १। सेर एक रुपये का बिक रहा है। यह वास्तव में दमतोड़ महंगाई है जिसके लिये आपको सोचना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफसे काश्मीर में एक रुपये का ३ सेर चावल दिया जाता है औरदूसरी सुविधायें दी जाती हैं उसी तरह यदि सारे प्रदेश को नहीं तो उत्तराखंड के रहनेवाले लोगों को सबसिडी के रूप में १ रुपये का ३ सेर गेहूं और १ रुपये की ३ सेर दाल देने की व्यवस्था करें। यदि आप ऐसा न कर पायें तो वे भूखे, नंगे और बेकार लोग ज्यादा कष्टदायक होंगे बनिस्बत दुश्मन के। डिफेंस के सिलसिले में जो हमारी सरकार ने उपक्रम किया है वह नगण्य है इस माने में कि जितना संकट हमारे देश पर आया है उतना संकट यदि किसी और देश पर आया होता तो वह अधिक सम्यक रूप से काम करता मैं आपको बतलाऊं कि १९६२ में इगलैंड के लोगों ने अपने यहां ३,७२,२५६ आदमी तैयार किये जब कि उसी जमाने में हमने ३,२८,२५०

आदमी तैयार किये और उत्तर प्रदेश में १२,३६,३६० कुल आदमी तैयार किये गये। श्रीमन्, जो मुल्क खतरे को समझता रहता है वह उस खतरे का मुकाबला करने के लिये प्रयत्न करता रहता है। हम इस तरफ गाफिल हैं। हमको ऐसा मालूम होता है कि खतरा कम हो गया है, खतरा हिमालय के उस पार चला गया है। इसलिये हम राहत की सांस ले रहे हैं। यह स्थिति हमारे और सरकार के लिये अच्छी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ, कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुकन्दीलाल जी, अब आप दो बजे बोलेंगे। अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हीतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लिये बड़े गौरव की बात समझता हूं कि मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला। अपना भाषण प्रारम्भ करने के पहले मैं जो अनुदान पेश हुआ है उसको पढ़ सुना देता हूं—कि राष्ट्रीय संकट के सम्बन्ध में व्यय के अंतर्गत ३,४८,१७,६०० रुपये की जो मांग है उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

इस समय हम में से कोई भी सदन का सदस्य ऐसा नहीं है जो इस बात को महसूस न करता हो कि हमारे सारे देश और इस स्टेट की रक्षा उस प्रांत पर निर्भर है जिसकी बाबत यह मांग पेश की गयी है।

अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मांग पर बोलने का मेरा अधिकार क्या है। जो हमारे सूबे का आखरी गांव माणा है जो तिब्बत से सबसे निकट है उससे ४८ मील की दूरी पर चमोली में मेरा जन्म हुआ था और मैं सारे उत्तराखंड के जिलों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी स्थिति को समझता हूं। अभी मैं केसरीप्रसाद जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहाड़ उत्तराखंड के निवासियों की बाबत बहुत कुछ कहा है और उनकी इच्छा है कि उनके लिये क्या क्या किया जाय। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिसकी बाबत यह मांग पेश हुई है मैं भ्रमण कर चुका हूं। दो मर्तबा अपने मुख्यमंत्री जी के साथ और दो मर्तबा इस्टीमेट कमेटी की उत्तराखंड समिति है उसके साथ। पिथौरागढ़ और धारचूला, जोशीमठ, उत्तर काशी और उससे आगे की तरफ, सब ओर हम घूमचुके हैं और उस क्षेत्र की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं।

दुर्भाग्यवश थोड़ी देर के लिये मैं आंखें दिखाने सदन के बाहर चला गया था, सदन में प्रवेश करने पर एक प्रश्न माननीय केशरी प्रसाद जी का मैंने सुना कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री ने अभी तक उत्तराखंड के दर्शन तक नहीं किये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनके पूर्व जो मुख्य मंत्री थे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का दौरा किया था, उनके लिये क्या कहने को छोड़ दिया करते थे। क्या आपने उनको कुछ कहने के लिये छोड़ा था? देखना यह चाहिये कि वहां की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उनकी ओर सरकार ने ध्यान दिया या नहीं। मुझे खुशी है कि माननीय केशरी प्रसाद जी को इस क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान है। सन् १९६० में सरकार ने अपने सुभीते के लिये इस पर्वतीय क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया था—एक को उत्तराखंड नाम दिया था। दूसरा उसके नीचे का हिस्सा अलग कर दिया था। हम लोग जितने भी पहाड़ के निवासी हैं सब की यह इच्छा है कि सरकार नीचे का जो हिस्सा है वहां की उन्नति की ओर भी अधिक ध्यान दे। जब तक आप नीचे की दशा को नहीं सुधारेंगे, आप ऊपर पूरी उन्नति नहीं कर सकते, न वहां सड़कें आदि ही बना सकते हैं। हम जितने पहाड़ के रहने वाले हैं; यह चाहते हैं कि आप इस नीचे के क्षेत्र की ओर पहले ध्यान दें।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

हमारे यहां जो पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर एक विशेष जाति के लोग रहते हैं जिन्हें भोटिया कहते हैं। यह लोग ६ महीने तो हम लोगों के साथ रहते हैं और बाकी शेष दिनों में तिब्बत व्यापार करने के लिये चले जाया करते हैं। उनका सारा व्यापार तिब्बत में होता था। लेकिन चूंकि आज कल उनको वहां जाने को तथा वहां व्यापार करने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, यह आज बहुत जरूरी हो गया है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाय, उनके लिये ऐसे साधन पैदा किये जायं जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। उनको भेड़ पालने के लिये कर्ज दिया जाता है, भेड़ें भी दी जाती हैं, इसके अलावा और भी सुविधायें देने की जरूरत है। गढ़वाल के भोटिया बसें भी चलाने लग गये हैं और ट्रांसपोर्ट में काम करने लग गये हैं। हमारी सरकार उनकी ओर बहुत ध्यान दे रही है। उनके लिये मलारी में बार्डर भोटिया गांव में इन्टर माइग्रेटरी, कालेजों की स्थापना की गई है। उनकी सब से बड़ी मांग यह है कि जहां उन्हें पालने के लिये भेड़ें दी जाती हैं तो जाड़ों में जब उन्हें भाभर में चुगाने के लिये नीचे लाते हैं तो वहां जंगल के अधिकारी कहते हैं कि तुम इन्हें यहां नहीं चरा सकते हो। वे कहते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो और तुम्हारा यहां चराने का हक नहीं है। सरकार को उन्हें यह हक देना होगा। वरना वे भेड़ पाल कर ऊन का उत्पादन नहीं कर सकेंगे।

केशरीप्रसाद जी ने जो बहुत-सी बातें उत्तराखंड के लिये कहीं, वे होनी चाहिये। सरकार से भोटिया लड़कों को वजीफे दिये जा रहे हैं, लखनऊ में ही ३, ४ भोटिया लड़के डाक्टरी पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ अच्छे मेकैनिकल इंजीनियर्स भी हो गये हैं। अभी जब हमारी एस्टीमेट्स कमेटी उत्तर काशी गई थी तो हमने देखा कि एक भोटिया लड़का वहां डेवलपमेंट अफसर है। वहां उसने काफी उन्नति की है। कहने का तात्पर्य यह है कि भोटियाओं के लिये सरकार ने एक नया रास्ता खोल दिया है। केशरीप्रसाद जी ने संकेत भी दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से २८ करोड़ रुपया खास कर इस उत्तराखंड की उन्नति के लिये रखा है। अब हमें जो उनके नुमाइन्दे हैं और सरकार को यह देखना है कि उस रुपये का पूरी तरह से सदुपयोग हो और रुपया लैप्स न हो। काम जल्दी पूरे किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने राष्ट्रीय संकट जैसे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

श्रीमन्, राष्ट्रीय संकट का विषय एक ऐसा मौलिक विषय है कि जब तक मूल रूप से उसके बारे में चिन्तन नहीं किया जायगा तब तक हम उसका निराकरण कर सकें, इसमें सन्देह है। हम जानते हैं कि पिछले साल चीन ने हमारे देश पर हमला किया और उसके पश्चात् यह एक नये प्रकार का सेक्शन या विभाग खोल कर उसके अन्दर हमें व्यय निकालने की आवश्यकता पड़ी। चीन का आक्रमण क्यों हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना होगा। वैसे तो हमारी सरकार उसे कम्युनिस्ट चीन का आक्रमण कहने में थोड़ा संकोच करती है परन्तु जनसंघ तो इसके बारे में बिलकुल साफ-साफ कहता है कि चीन का आक्रमण उस समय तक नहीं था जब तक कि चीन कम्युनिस्ट या लाल नहीं हुआ था। वास्तव में यह लाल चीन, रैड चायना, का आक्रमण है और उसी की पृष्ठ-भूमि में सब बातें सोचनी पड़ेंगी। मैं कम्युनिस्ट चीन का शब्द इसलिये प्रयोग करता हूं कि कम्युनिज्म शब्द दुनियां भर की एक बला हो गया है। हमारे प्रदेश में भी कम्युनिज्म के लाल झंडे को लेकर नारा लगाने वाले लोग मौजूद हैं। चीन का समर्थन करने वाले लोग भी हमारे यहां मौजूद हैं। पिछले साल जब कम्युनिस्टों को निर्णय करने का प्रश्न आया तो यहां के लोग यही नहीं तय कर पाये कि कम्युनिस्टों ने हमला किया या नहीं।

वह कहते थे कि कम्युनिस्ट देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। जैसा कि चीन को लाल झंडे में उसे स्वयं का लड़ाई लड़नी पड़ी थी वह तरीका यहां भी सम्भव है उससे हमें निपटना चाहिये। राष्ट्रीय शक्तियों को कमजोर करना इन लोगों का मुख्य काम हो गया है। इस ओर सरकार का विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, यहां पाकिस्तान का बटवारा जब हुआ तब से वह हमें दुश्मन करके मानने लगे हैं। आसाम और त्रिपुरा इत्यादि में जो मुसलमान पाकिस्तान से अवैध रूप से आ गये हैं वह तो एक अलग समस्या है ही, लेकिन ऐसे लोग वहां के, (पाकिस्तान के) हमारे प्रदेश में भी बहुत से हैं। पहले ही से सरकार का पासपोर्ट लेकर बहुत से ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जिनका समय खत्म हो गया है लेकिन वह यहीं बने हुए हैं और सरकार उन्हें ढूंढ और पकड़ नहीं पा रही है, ताकि उन्हें पाकिस्तान को वापिस भेज सके। चीन को हम दोस्त मान कर चलते थे लेकिन अब वह और पाकिस्तान, ये दो हमारे दुश्मन हो गये हैं। हम तो अपने देश में डेमोक्रेसी को लेकर चलने वाले हैं लेकिन उन्होंने दुश्मन का रूप धारण कर लिया है। इन दोनों दुश्मनों की विचारधारा और धर्म का आधार लेकर अपने देश में और प्रदेश में लोग मौजूद हैं।

एक घटना घटी कश्मीर में बाल सम्बन्धी, और उसे लेकर हजारों हिन्दू बंगाल में काट दिये गये। जो कोई इन बातों की उपेक्षा करते हुए चलेगा वह देश की और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। इन दोनों देशों के आक्रमण का साथ देने वाली पंचमांगी शक्तियां जो यहां मौजूद हैं, लेकिन और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन दोनों देशों में आपस में मेल भी हो गया है। कम्युनिस्टों की वह तरकीब फेल कर गई कि हम हमला करेंगे और तुम तैयार रहना। यहां के लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना अधिक थी और वे लोग विद्रोह नहीं कर सके। अब उनका वेक्ट हो गया है धर्मान्धता की भावना लिये हुए मुसलमानों से और यह हमारे देश के लिये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यह जरूर है कि बाहर के आक्रमण से तो हमारा केन्द्रीय सरकार निपटेगा, परन्तु प्रादेशिक सरकार का कार्य भी आन्तरिक सुरक्षा का है जो कम महत्व नहीं रखता है। दोनों तरह की बातें यहां हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर हिन्दू-मुसलिम दंगे करने वाले लोग भी यहां मौजूद हैं। जहां कोई जरा सी बात हुई, पाकिस्तान या चीन पहुंच जाती है वही पुराना सैबोटाज का ठेकाना शुरू हो जाता है, जैसे रेलगाड़ियां पटरी से उतर रही हैं और कितनी जगह बम विस्फोट हो रहे हैं। हवाई जहाजों में हमारे सैनिक जो लापता हैं या मारे गये हैं उसके बारे में, भले ही हमारा गवर्नमेंट ऐसा न माने, परन्तु हम तो यही मानते हैं कि वह भी सैबोटेज के शिकार हुए हैं।

और बातों को छोड़ दें। कानपुर को देख लें। अभी म्योर मिल में ५ दिन की हड़ताल हो गई। हड़ताल की बात तो अलग है, वह आवश्यकता पर हो सकती है परन्तु एक भावना भिड़ाने की यह है कि लड़ा दीजिये, गाली दीजिये, मार दीजिये। औद्योगिक स्थानों पर इनका काफी जोर है जो देश के लिये बहुत खतरनाक बात है। दूसरी मिल भी बन्द हो गई है। रोजाना २ लाख रुपये का घाटा हो रहा है। इसके अन्दर भी कोई न कोई बात छिपी हुई है। इन दोनों दृष्टियों से हमको देखना होगा, और वैसा ही प्रयास हमको करना होगा। जहां तक बार्डर के जिलों का ताल्लुक है, उसकी जिम्मेवारी तो केन्द्रीय सरकार की है, लेकिन जो आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य है वह आपको करना है। आपके हर जिले के अन्दर ऐसे तत्व हैं जो कभी भी आप को परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिये हर जिले में होम गार्ड्स संस्था को आप को रखना चाहिये। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक समाचार हमारे रेडियो पर आने से पूर्व ही पाकिस्तान रेडियो से ब्राडकास्ट हो गया। इस चीज को हमें स्पेशल ट्रान्समिटर्स लगा कर डिटेक्ट करना चाहिये। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

सरकार ने जो यह होम गार्ड्स का काम लिया है, इसको तो और भी अधिक व्यापक होना चाहिये था। मैं सरकार पर इस बात का लांछन लगाता हूं कि उसने इस सम्बन्ध में

[श्री रक्षपाल सिंह]

जानबूझ कर उपेक्षा की है। पिछले साल भी इसके लिये बजट मांगा गया था लेकिन जब कि दूसरे महकमों में एक्सेस खर्चा किया गया इसमें सारा का सारा पैसा बच गया। जितने भी कार्य, चाहे वह नर्सेज का ट्रेनिंग का ही क्यों न हो, सब के सब कार्य रह ही गये, सरकार उनको कर न सकी। राष्ट्रीय संकट के समय में सरकार की ओर से इस प्रकार का उपेक्षा उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त जो राष्ट्र में जाग्रति चीनी हमले से हुई थी, उसको कांग्रेस के आन्तरिक झगड़ों के कारण आपस में लड़कर मिटा दिया और उसका दुष्परिणाम स्पष्ट ही है कि इसके बजट में जो रुपया रखा गया था, उसमें से खर्च नहीं किया गया। इसलिये मेरा सुझाव है कि होमगार्ड्स की व्यवस्था हर जिले में होनी चाहिये।

इसके अलावा १८ साल से लेकर ४० साल तक के नागरिकों को आप कम से कम लेफ्ट-राइट करना, बन्दूक संभालना और गोली चलाना जरूर सिखा देना चाहिये। इसके लिये पुलिस और फौज के रिटायर्ड लोगों की सेवायें ली जा सकती हैं। इससे १८ से ४० साल तक का वर्ग हमारे देश में देश रक्षा के लिये तैयार हो जायगा।

आज राष्ट्रीय संकट का समय है। इस समय हमें अपने अन्दर मातृ-भूमि की भावना को जोरों के साथ भरना होगा। यह सोचना कि वे तो पहाड़ी भू-भाग हैं, वे तो काम के नहीं हैं, इस भावना से काम चलने वाला नहीं है। इस भावना से देश की रक्षा नहीं हो सकती। देश के ऊपर प्रत्येक नागरिक को बलिदान होने के लिये तैयार होना है। इसी भावना को लेकर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों की दशा में सुधार की बात सबसे महत्वपूर्ण है। मजदूरों की जितनी भी मंहगाई आदि की मांगें हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिये। तभी आपके उद्योगों में शान्ति रह सकती है और मजदूर पूरी शक्ति लगा कर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस इम्पार्टेन्ट डिबेट पर बोलने के लिये कुछ टाइम दिया। मुझे खुशी है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस के ऊपर काफी तवज्जह दी है और उसके लिये एक अच्छी खासी रकम का इन्तजाम इस बजट में किया है। लेकिन मुझे शिकायत है कि सिविल डिफेंस के सिलसिले में जो सबसे जरूरी था, उस पर आज तक यू० पी० गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे सकी, वह है कारतूसों की सप्लाई पब्लिक को। जाहिर है कि अगर हमारी पब्लिक के पास असलहा व कारतूस न हों तो वह अपना बचाव नहीं कर सकती। आज यू० पी० गवर्नमेंट पब्लिक को काफी असलहा के लाइसेंस देती चली जा रही है लेकिन उनके लिये कारतूसों की सप्लाई का कोई माकूल इन्तजाम नहीं कर रही है। आज आमतौर पर कारतूस का रेट साढ़े ३ सौ से ४०० रु० सैकड़ा तक है जब कि ५५–५६ में ४०–५० रु० सैकड़ा मिलता था। तो वाकई में बहुत बड़ी कमी है जिसे सरकार को देखना चाहिये। जाहिर है कि लड़ाई जब होगी तो वह हाथ पैर से या गुल्ली डंडे से नहीं होगी, उसके लिये आर्म्स ऐण्ड एम्युनिशन की जरूरत होगी, जिसकी आज बहुत बड़ी कमी है।

आर्डिनेन्स फैक्टरीज जो सामान बनाती हैं वाकई उनके रेट्स ऐसे हैं जो कम जरूर हैं लेकिन जितना एम्युनिशन वे बनाती हैं वह जरूरत का ५ प्रतिशत भी नहीं है। लिहाजा सरकार से मेरी गुजारिश है कि वह पब्लिक के पास १५७ किस्म के मुख्तलिफ असलहा का कारतूस पहुंचाने का माकूल इन्तजाम करे वरना सिविल डिफेंस बिल्कुल बेकार साबित होगा।

इसके अलावा जरूरी यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिये कि वह कोआपरेटिव बेसिस पर या इनडिवीजुअल बेसिस पर जैसा भी मुनासिब समझे एम्युनिशन का कारखाना गवर्नमेंट आफ इंडिया से वह यहां कायम करवाये और तब तक के लिए इम्पोर्ट करवाए वरना यह बहुत बड़ी कमी रह जायगी। यू० पी० के लिये या किसी सूबे के लिये जो बार्डर का सूबा है, इस तरह की कमी बड़ी खतरनाक होगी। यह नहीं होना चाहिये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई गलती करे

और उसको हम लोग सफर करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मेरा खयाल है कि यू० पी० गवर्नमेंट इसके लिये पूरा ध्यान जल्द ही देगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, सिविल डिफेंस के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, इसमें दो बातें मेरी समझ में नहीं आयीं। एक तो यह कि इसजेंसी में ऐसी कौन सी कमी हो गयी, खतरे में ऐसी कौन सी कमी महसूस होने लगी कि इस ग्रांट में ३ साढ़े ३, करोड़ रुपये की कमी हो गयी। दूसरी बात यह कि जहां तक राष्ट्रीय संकट का सम्बन्ध है उस सिलसिले में ऐसी कौन बात हो गयी जो इसके लिमिटेशन में कमी हो गयी। माननीय मंत्री जी जब खड़े हुए अनुदान पेश करने के लिए, तो उन्होंने वहीं शुरू किया कि हमारे पड़ोसी देश ने हम पर हमला किया और आगे उसकी आशंका है। ये सब चीजें तो हम भी जानते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे खयाल में नहीं आ रही हैं और अगर ऐसी बातों पर हम यहां बहस न करें जो कि हमारे सूबे के मुताल्लिक न हों तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यह सभी जानते हैं कि इस हमले के बाद हम लोगों का नुकसान हुआ और वह इस वजह से हुआ कि वह हमला गफलत में किया गया। हमें कोई आशा नहीं थी कि उत्तर प्रदेश पर या किसी दूसरे सूबे पर चीन की तरफ से हमला होगा।

भारत सरकार की तरफ से एक पम्फलेट हम लोगों को मिला है जिसमें ४७ से ६२ तक की स्थिति को बतलाया गया है। उससे मालूम होता है कि जून, ५५ में बाराहोती पर चीनियों ने अपनी फौज भेजी। हम लोगों को कुछ पता नहीं चला जिससे ज्यादा परेशानी व दिक्कत का सामना करना पड़ा और पता होने के बाद जो कुछ भी नतीजा रहा वह आपके सामने है। यह बात बिल्कुल साफ है और इस पम्फलेट में यह लिखा हुआ है कि "जब तक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का मनोबल ऊंचा रहेगा तब तक वह राष्ट्र आगे रहेगा।" मनोबल पर ज्यादा जोर दिया है और हकीकत है कि इस हमले का एक सबसे बड़ा असर इस बात पर पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी में जो जनता की आस्था है और उसका जो मोरेल है, जो उसका मनोबल है कहीं वह न घट जाय और जो जनतन्त्र को कामयाब बनाने का मकसद है वही कहीं हमारा फेल न हो जाय और वह यह साबित कर सकें कि कम्युनिज्म अच्छा है। इसलिये हमें सबसे पहले देखना होगा कि किसी भी हालत में हमारे यहां की जनता का मनोबल न गिरने पाये।

मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा मंत्री जी से कि किसी भी लड़ाई के लड़ने के लिये यह जरूरी है कि मुल्क के पास पैसा हो, उसके पास मैनपावर हो और मरीजों के लिये खून वगैरा इकट्ठा हो और खास तौर से जब कि हमारा मुकाबला एक ऐसे मुल्क से हो जिसके पास २५ लाख आदमी एट आर्म्स तैयार हों और १ करोड़ २५ लाख आदमी हर वक्त रेडी हों कि जो १ महीने की ट्रेनिंग के बाद जंग में झोंके जा सकते हैं और जिसके पास ४०० हवाई जहाज हों और उसके मुकाबले में हमारे पास क्या है वह मैं इस वक्त नहीं कहता। लेकिन हमारा मुकाबला एक ऐसे मुल्क से है जिसकी पुश्तें लड़ते हुये बीत गईं और उनको जब लड़ने के लिये कोई और नहीं मिला तो उन्होंने अपने यहां ही खानाजंगी करके अपनी प्यास बुझाई। वह लोग गुरीला जंग में एक्सपर्ट हैं। इन हालात में हमें सोचना होगा कि ऐसे दुश्मन के मुकाबले के लिये हम भी अपने यहां वह तरकीब अख्तयार करें जिससे हम गुरीला लड़ाई का मुकाबला कर सकें और गफलत के शिकार हम दोबारा न हो सकें।

मैं कहता हूं कि मैन पावर जहां से भी मिल सके उसे आप इकट्ठा करें, जहां से पैसा मिल सके आप लीजिये, जहां से खून मिल सके आप बेशक लें, लेकिन वह बगैर जनता के मनोबल पर बुरा असर डाले हुये आप लें। अगर आप जायज तौर पर इन चीजों को जुटायेंगे तो जनता के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

मनोबल पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमने पिछली बार यहां देखा कि जब इन चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत हुई तो पटरी से ऐसा पहिया उतरा कि हम इसको ठीक से असेसमेंट न कर सके कि कहां से हमें खून, पैसा और मैनपावर मोड़िया करना चाहिये। मैनपावर हमें अपने देहातों में मिलेगी और किसान बखुशी आप को अपना लड़का देगा। आप ने उनके लिये होमगार्ड्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। लेकिन क्या उनके ट्रेनिंग सेन्टरों को आपने देखा है जहां कि जाड़े में वह लोग एक सूती कमीज में ट्रेनिंग लेते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि शुरू में जितने आदमी ट्रेनिंग में नाम लिखाते हैं उनमें से ज्यादातर २-३ दिन के बाद ही छोड़ कर चले जाते हैं। क्या इसका कोई रिकार्ड मंत्री जी ने रखा है? आप को उन्हें गुरीला जंग की ट्रेनिंग के लिये हर तरह की फेसेलिटी देना होगी, आप को उनमें एक जोश व जज्बा पैदा करना होगा कि वह अपने देश की रक्षा के लिये इस ट्रेनिंग को लेने आये हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब दूसरी लड़ाई हुई थी उस वक्त बावजूद इसके कि बहुत से फोर्सेज भर्ती के खिलाफ यहां काम कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने वह तरीके इस्तेमाल किये कि उनको मैनपावर की कमी नहीं हुई।

आज भी गांव-गांव में जहां से कि आप को मैनपावर मिल सकती है वहां की जनता के दिमाग में आप इस बात को न बिठा सकें कि यह देश तुम्हारा ही है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। आप ने सूचना विभाग के द्वारा एक रिसाला निकाला है 'बज उठी रणभेरी' जो सिर्फ ६-७ पेज का छपता है लेकिन क्या वह इस अहमियत का है कि उसको देख कर उसको पढ़ने के लिये ग्रामीण जनता एट्रेक्ट हो? कोई भी उसे नहीं पढ़ता, जैसा उसमें कागज है, टाइटिल है उसको देखकर ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उसको पढ़ना बेकार है, उसमें कोई काम की चीजें नहीं आतीं। जब कि दूसरे देशों में ऐसी चीजें प्रचार के लिये आर्ट पेपर पर बढ़िया फोटो देकर छापी जाती हैं जो बहुत एट्रेक्टिव होती हैं। उनमें लोग दिलचस्पी लेते हैं और दिल चाहता है कि उसके पन्ने लौट कर देखे जायं कि उसके अन्दर क्या लिखा है।

लेकिन हमको सिविल डिफेंस के प्रचार की जरूरत है इसके लिये हर नागरिक को तैयार करना है। लेकिन अभी तक उनके दिल दिमाग में असर नहीं कर पाये हैं कि तुम्हारे से देश की रक्षा होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हर ग्राम सभा में सूचना विभाग के जरिये ऐसी ऐट्रेक्टिव फिल्म स्ट्रिप बनायी जायं जिससे गांव की जनता उनको देखे पढ़े और उसमें जोश पैदा हो और समझे कि देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है।

मैंने देहातों में देखा कि गांव का आदमी होमगार्ड में भरती के लिये जाता है तो यह लोग उसको अभी तक यह नहीं समझा पाये कि तुम्हें लाम पर नहीं जाना है बल्कि अपने यहां ही रह कर सेवा करना है। वह आज भी समझता है कि उसे लाम पर जाना पड़ेगा। न उसको कपड़ा मिलता है न जूता मिलता है न खाने को अच्छी तरह मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह भाग कर वापस आ जाता है। इन बातों की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा।

मेरा सुझाव है कि १,००० मील लम्बा जो हमारा बार्डर है हम नहीं कह सकते किस जगह से चीन घुस आये। अगर यह समझें कि बर्फों से इनफिलिट्रेशन होगा यह गलत बात होगी। डा० के आई० सिंह फाउंडू से निकल कर पीकिंग पहुंच गये। दलाई लामा तिब्बत से भारत चले आये। इस तरह से चीन भी किसी जगह से घुस सकते हैं। इसके लिये हमको राडर का इंतजाम करना होगा ताकि हवाई हमले का इंतजाम हो सके। केन्द्रीय सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिये और अगर न दे सकें तो अपने पास से तीन हवाई जहाजों का एक इक्विपमेंट रिकानाइसेंस दल अपने पास रखना चाहिये जो हर आलटरनेट डे पर उड़कर हमको खबर देता रहे कि कहीं से इनफिलट्रेशन तो नहीं हो रहा है, हमारे बार्डर पर कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा न हो कि आपको पता ही न चले। फ्रन्ट का तमाम नक्शा हमारे पास हर समय तैयार रहना चाहिये ताकि पूरा इन्फार्मेशन मालूम हो सके। चीन ने तिब्बत पर जब हमला किया तो पहले उसने सड़क बनायी लेकिन जो हमारा सड़क फ्रन्ट पर जाने वाला है वह अभी तैयार नहीं हो सकी। पहाड़ पर

बेरोजगारी की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये । अगर वहां बेरोजगारी दूर नहीं कर सके तो अंदेशा है कि जो लोग इनफिलट्रेट करें वह लोगों को वहां के डिमोरेलाइज करें । ऐसी हालत में सिविल डिफेंस और एयर रेड प्रीकाशन की गांव में ट्रेनिंग देनी चाहिये । होम गार्डस और पी० आर० डी० के लोगों को मिलिटरी के रिटायर्ड आदमियों के जरिये ट्रेनिंग दिलायें और वह फिर गांव-गांव में लोगों को ट्रेन्ड करें ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं । मैं उत्तराखंड का निवासी हूं इसलिये जब मैंने उत्तराखंड के बारे में बातें सुनी तो मेरी इच्छा हुई कि कुछ कहूं । सरकार की तरफ से जो काम वहां हो रहा है वह सराहनीय है । वहां की जो समस्यायें हैं उनके बारेमें सरकार सतर्क है, वहां होमगार्ड का काम तेजी से चल रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां की बहुत सी बातें गोपनीय हैं । इतना मैं सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि वहां बड़ी तेजी से फौजी शिक्षा के बारे में काम हो रहा है, हर एक व्यक्ति को जो १८ से ४५ साल के बीच में है फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है, पी० आर० डी० की योजना भी चल रही है, वहां के लोग अपना कर्तव्य अच्छी तरह से समझते हैं और वे देशभक्त भी हैं । हां, इतनी प्रार्थना मेरी जरूर है कि विरोधी दल के लोग जब वहां जाते हैं, सरकारी कर्मचारी भी इन्सान हैं, उनसे गलती होती हैं, तो उन गलतियों को इस तरह से जनता में पेश न करें जिससे उनमें असंतोष पैदा हो । विकृतें सब जगह होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय ऐसी जगहों पर जहां दुश्मन खड़ा है, वहां ऐसी हालत पैदा न करें जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो ।

कटौती के माननीय प्रस्तावक ने कहा कि सरकार केवल गरबियांग, माना नीति और निलंग है के पासेज को जानती है । मैं उनको बताऊं कि वहां १७ पासेज हैं, सारा इंतजाम उन पासेज पर है । हमारे होम गार्ड के लोग, पी० आर० डी० के लोग गांव में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में तथा शान्ति बनाये रखने में लगे हुए हैं और सफलता से काम हो रहा है । माननीय पांडेय जी ने ठीक कहा है कि मनोबल लोगों का ऊंचा रहना चाहिये, उनके दिल दिमाग को जीतना है तभी वे देश की रक्षा कर सकते हैं ।

अब मैं दो विषयों के बारे में कहना चाहता हूं । पहला यह कि जो भी अफसर वहां जायें वह ऐसे हों जिनकी धर्मपत्नी और वह स्वयं वहां के लोगों से घुल मिल जायें । आसाम में मैं जब ऐज स्काउट् गया था, अंग्रेज वहां डी० एम० था मैंने देखा कि वह जिस तरह से वहां के लोगों से घुल मिल कर रहते थे, उनके रस्म रिवाज में शामिल होते थे, उससे वहां के लोगों के मन को जीत लेते थे । मैं यह देख कर चकित हो गया । हमारे अफसर वहां गये, हम लोग हिन्दू हैं और उनमें भी हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं आदि-आदि, इस तरह की जाति-पाति के भेद-भाव रखते हैं । जितनी जल्दी हम इस सिस्टम का खत्म कर सकें उतना ही जल्दी हम तरक्की कर सकेंगे । यहां यानी आसाम के लोगों का कहना है कि पहले अफसर हमसे मिलकर रहते थे । पर ये अफसर लोग हमारे रस्म और रिवाजों और डाइजोर्स सिस्टम को अच्छा नहीं समझते और ये लोग हमें समझते हैं कि हम लोग जंगली हैं । इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ है । इस लिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वे जिस अफसर को उत्तरा खंड में भेजे वह ऐसा हो कि वहां के रहने वालों में घुल मिल कर रहे । उनकी स्त्रियां भी वहां की स्त्रियों से घुलमिल कर रहें, जो भी गरीब आदमी, जो भी बिना पढ़ा-लिखा आदमी उनके पास जावे उसकी अच्छी तरह से सुने और उसकी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । वहां के बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको दुनियां के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है । उन्हें मोटर साइकिल आदि का भी ज्ञान नहीं है । अगर वे लोग कोई गलत दरख्वास्त देते हैं तो उसको ठीक करवा देना चाहिये । अगर उनके दिल और दिमाग को जीतना है तो यह करना पड़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि जो लोकप्रिय अफसर हों और जिनकी पत्नी भी

[श्री कृष्णसिंह]

उनसे (उत्तराखंड की स्त्रियों से) अलग न रहे बल्कि उनमें ही घुलमिल कर रह सकें, उन्हीं को वहां पर भेजें।

शिक्षा के बारे में वहां बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है। खूब प्रचार हो रहा है। सरकार ने वहां पर काफी हाई स्कूल खोले हैं। हर एक ग्राम सभा में बेसिक स्कूल हो गया है। लड़कों की संख्या काफी बढ़ रही है लेकिन होगा यह कि ५-६ साल के पश्चात् बहुत तादाद में लड़के शिक्षित होकर नौकरी ढूढ़ेंगे। इस लिये शिक्षा में ऐसा मोड व क्रान्ति आ जावे कि जो भी लड़के मैट्रिकयूलेशन कर के निकलें वे लघु व घरेलू धंधों (इन्डस्ट्रियल कनसर्न) में एब्जार्ब हो जावें। सर्विस न मिलने से वहां असन्तोष होगा क्योंकि नौजवान जब देखेंगे कि खेती बाड़ी को भी शिक्षा नहीं मिलती और नौकरी भी नहीं मिलती तब वे निरुत्साह होंगे। हमारे क्षेत्र के लिये मैंने यह भी कहा था कि वहां एक ऐग्रीकल्चर कालेज होना चाहिये। अगर यह नहीं हो सकता तो कम से कम वहां के हाई स्कूल में ऐग्रीकल्चर सेक्सन ही खोल दिए जाये तब ही वहां के लड़के खेती-बाड़ी में ध्यान देंगे और हम उनके असन्तोष को मिटा सकेंगे।

आर्म्स लाइसेन्स के बारे में निवेदन है कि वहां पर लाइसेन्स हर आदमी को मिलना चाहिये। जब कोई व्यक्ति दरख्वास्त देता है तो वह कार्यालय में गायब हो जाती है, पता नहीं चलता कहां चली गयी। जब प्रार्थी दफ्तर में जाता है तो कार्यालय के लोग उससे ऐसी बात करते हैं जैसे कोई फारेन कन्ट्री से आने वाले के साथ बात करते हैं। उन लोगों को ठीक से जवाब नहीं मिलता। और जब वह दरख्वास्त पटवारी के यहां जाती है तो वह कहता है कि इतने पैसे लाइये तब हम तुम्हारी दरख्वास्त पर तुम्हारे माफिक रिपोर्ट लिखेंगे। फिर तब वह दरख्वास्त तहसीलदार के पास जाती है। तहसीलदार जो कि पुराने रूल्स का हिमायती है कहता है कि सब को लाइसेन्स नहीं मिलेगा। वे लोग जो माकूल मालगुजारी देते हैं, व धनाढ्य उनको ही लाइसेंस मिलना सम्भव है। अगर रूल्स में कोई रुकावट है तो मैं चाहता हूं कि चूंकि फौजी शिक्षा उनको मिली हुई है और देश के लिये वे लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनमें देश प्रेम है उन सब को लाइसेन्स मिलने में जो रुकावट है, वह दूर की होनी चाहिये। तिब्बत के लोग वहां पर आये जो दुर्दशा वहां के (तिब्बत) के लोगों की है वे बताते हैं। उत्तरी खंड के रहने वाले अपने देश की सुरक्षा, अपने चर्चों, अपने मन्दिरों, मस्जिदों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये जान देने को तैयार है। उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा की है। इसलिये उन लोगों को आर्म्स लाइसेन्स देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। जो भी दरख्वास्त दें, उनको लाइसेन्स मिलना चाहिये।

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय केशरीप्रसाद पांन्डेय द्वारा प्रस्तुत कटमोशन का समर्थन करता हूं। मेरा कहना यह है कि इमर्जेंसी का मतलब यह होता है कि पूरे देश के नेशनल डिफेन्स के लिये टोटल मोबिलाइजेशन हो। उस समय नार्मल कंडीशन और नार्मल लाज नहीं रहते हैं और व्यक्तिगत इंटरेस्ट को नेशन के लिये सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। तो क्या हमारे देश के अन्दर आज यह हो रहा है? या आज से पहले जब चीन का आक्रमण हुआ था, तब यह हालत थी?

मेरा यह विचार है कि नेशनल इमर्जेंसी को सरकार ने अपनी पार्टी के लिये, पूंजीपति ने मुनाफे के लिये और ब्लैक मार्केटियर ने रुपया कमाने के लिये इस्तेमाल किया है और आज भी यही हो रहा है। दिल्ली की सरकार ने तथा इस सरकार ने इस बात को माना है कि इमर्जेंसी में जब रुपया जमा करने की जरूरत थी तो मजदूर ने रुपया दिया, प्रोडेक्शन बढ़ाया, किसान ने अपने बेटे फौज के लिये दिये और रुपया दिया, उनकी औरतों ने सोने-चांदी के जेवर दिये लेकिन पूंजीपति को जितना धन देना चाहिये था उसने नहीं दिया। सरकार ने इस के लिये क्या कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की। क्या सरकार ने यह किया कि पूंजीपति को १ हजार रुपया माहवार वह देती और २,३ परसेंट उनका मुनाफा तय कर देती और बाकी सब रुपया नेशनल डिफेन्स फंड में ले लेती? ऐसा नहीं किया गया।

पारसाल ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स हुई। मालिक, मजदूर तथा किसान ने यह तय किया मजदूर हड़ताल नहीं करेगा और न मालिक मजदूर को निकालने की कोई कार्यवाही करेगा। जितने मुकदमें होंगे उनको मजदूर वापस ले लेगा और आर्बिट्रेटर मुकर्रर होगा और जो फैसला होगा वह दोनों को मान्य होगा। माननीय गुलजारी लाल नन्दा ने ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में कहा कि मालिक ने इस चीज को नहीं माना और इस बात को १६ महीने हो गये कानपुर के मिल मालिक ने सम्पूर्णानन्द एवार्ड को नहीं माना। पूंजीपतियों ने यह किया कि मिलिटरी के लिये जो गांठें भेजी उनमें वेस्ट काटन भर दिया लेकिन डी० आई० आर० की कार्यवाही उन पर नहीं हुई। जर्मनी से कम्बल आये वे कलकत्ते के मार्केट में बिके। कांट्रेक्टर के खिलाफ केवल यह कार्यवाही की गयी कि लिस्ट से उसे निकाल दिया गया और कोई भी इमर्जेंसी की कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं हुई।

अगर हमारे देश की रक्षा को मजबूत करना है तो उसका एक तरीका है फौज के पीछे सप्लाइज को मजबूत करना है और जनता को संतुष्ट करना चाहिये।

श्रीमन्, इसके लिये एक ही तरीका है कि यहां जनता संतुष्ट हो। उसको पेट भर खाना मिले, पहनने को कपड़ा मिले और रहने को मकान मिले तथा उसके बाल-बच्चे का अच्छी तरह से इंतजाम हो। तब यह चीज हो सकती है। लेकिन आज जनता चिल्ला रही है और उधर किसान चिल्ला रहा है कि उसकी फसल बरबाद हो गई है, मजदूर चिल्ला रहा है कि महंगाई बढ़ रही है उसकी मजदूरी बढ़ाई जाय और सरकारी कर्मचारी भी महंगाई के कारण महंगाई भत्ते के लिये चिल्ला रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आप और बात छोड़ दीजिये केवल मिलिटरी प्वाइंट आफ व्यू से लीजिये। अगर किसान का बेटा लड़ाई पर है, उसको खबर मिली कि पाले से उसके यहां की फसल बरबाद हो गयी है और उसके बीबी बच्चे भूखे मर रहे हैं तो क्या उसमें उत्साह बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ सकता है। इसलिये इन चीजों का आपको हल ढूंढना होगा, उनको तय करना होगा पड़ेगा।

हर बार हमारे मंत्री जी खड़े होकर कह देते हैं कि क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि जहां पैसा है वहां से आप लेते क्यों नहीं हैं? आज आप देखेंगे कि किसी पूंजीपति ने एक कारखाना खोला था तो उसके दर्जनों कारखाने हो गये और जो पूंजीपति लखपती थे वे आज करोड़पति हो गये हैं। इनसे रुपया क्यों नहीं लेते हैं? आप अपने लिये मत लीजिये लेकिन नेशनल डिफेंस फन्ड के लिये लीजिये। जमींदारी जब आपने समाप्त की थी तो बान्डस दे दिये थे इसी तरह से आज आप इन पूंजीपतियों को भी बांड्स दे दीजिये और कह दीजिये कि क्या इंडस्ट्री देश की कुर्बानी से बड़ी है? उनसे रुपया लीजिये और मजदूरों की हालत को सुधारिये। त्रिदलीय सम्मेलन में कहिये कि सबको मान्य होगा। कोई न माने तो उसको बंद कर दीजिये। अगर आपने २/४ पूंजीपति भी बंद कर दिये होते तो मामला तय हो जाता। मजदूरों को तो आपने बंद कर दिया है लेकिन पूंजीपतियों को नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करेंगे, मुझे शक है कि यह कुछ करने नहीं जा रहे हैं। क्या इसी तरह से प्यूपिल्स वार लड़ी जाती है? मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, अगर मैं यह कहूं कि वह ज्यादा सीरियेस भी नहीं है। पार्लियामेंटरी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी उसमें माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि इस इमर्जेंसी से तीन फायदे हुए हैं। एक तो टैक्स वसूल करने में मदद मिली है, दूसरे पैदावार बढ़ाने में और देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिली है। शीतलवादे से पूछा गया कि क्या हमारा कांस्टीट्यूशन इसको परमिट करता है तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कांस्टीट्यूशन इसको परमिट नहीं करता।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

यह ठीक नहीं है कि अगर कोई आवाज उठाये तो उसको इमर्जेंसी के नाम पर दबा दें। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पूंजीपतियों को पकड़ते नहीं हैं जिनके पास रुपया है। न गरीब की हालत सुधारते हैं और न इस तरह के एलीमेंट्स को आप कुछ कंट्रोल करते हैं। आप डरते हैं कि अगर कहीं इनको पकड़ा तो कहीं चुनाव का मामला न गड़बड़ हो जाय। इससे मामला गड़बड़ नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आप तय कीजिये कि जितने पूंजीपति हैं उन पर जितना बकाया है वह सब उनसे वसूल किया जायगा। समाजवाद का मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि तो जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनसे पैसा लीजिये और उसको सिविल डिफेंस में लगाइए, उससे मजदूर और किसान की हालत सुधारिये। यह करके देखिये, सारा देश आपके साथ खड़ा होता है या नहीं। और फिर देखिये कि ये जो फूट डालने वाले एलीमेंट्स हैं वह कितने आइसोलेट होते हैं? लेकिन अगर आपका परपज यही होगा कि पार्टी का कुछ मामला इसके जरिये बढ़ा ले तो महीने दो महीने यह चीज चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी।

मैं चाहता हूं कि देश मजबूत हो और देश की सुरक्षा हो और हमको न अमेरिका, न रूस न ब्रिटेन किसी पर आश्रित न होना पड़े। आज आप देख रहे हैं कश्मीर के मामले पर क्या हो रहा है? वह अमेरिका और ब्रिटेन जिनके लिए हमारे भाई चिल्लाते थे कि ब्रिटेन और अमेरिका के गोद में चले जाओ, वह क्या कर रहे हैं सिक्योरिटी कौंसिल में कश्मीर के मामले पर? इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि देश अपना है, इस देश को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जिसके पास रुपया हो उससे रुपया लीजिए, जिसके पास मेहनत हो, उससे मेहनत लीजिए, पैदावार बढ़वाइए और जो जवान हैं उनको देशभक्त बनाइए। इस तरह से देश मजबूत हो सकता है। यही केवल एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान माननीय मंत्री जी देंगे, वैसे वह जानते हैं बहुत-सी चीजों को, लेकिन जरा कड़ेपन से कार्य करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राष्ट्रीय संकट से सम्बन्ध अनुदान के समर्थन के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, यही एक ऐसा विषय है जिसके लिए हम जितना भी बलिदान करें, जितना भी त्याग करें, जितनी भी कुर्बानी करें, चाहे वह फौज के स्तर पर हो, चाहे वह नागरिक स्तर पर हो, वह कम ही कम है। कम ही कम से मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी जिस तरह की स्थिति है और जिस शत्रु से हमारा मुकाबिला है और जिस तरह का आज वातावरण है जिस तरह की तैयारी शत्रु कर रहे हैं उसके देखते हुए वह कम ही है और राजनीति का एक उसूल भी है कि शत्रु के मुकाबिले में अपनी शक्ति को कभी अधिक मत समझिये, जब तक शत्रु पर हम विजय न पायें, तब तक अपनी शक्ति को कम ही समझना चाहिए और बराबर उसको बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह राजनीति का एक उसूल है। इन शब्दों के साथ, मैं इसका पूरे तहेदिल से हार्दिक समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ व्यावहारिक बातें हैं जिनको मन्त्री जी के सामने रखना बहुत आवश्यक समझता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, पिछले वर्ष वह विषय मेरे सामने भी आया था और माननीय गुप्ता जी, जब चीन ने आक्रमण किया था, सन् ६२ में जोशीमठ गये थे, वहां उनके सामने भी वह बातें आयी थीं। मेरे सामने भी वह बातें आयीं और लिखकर आयीं। मैंने डिफेन्स मिनिस्ट्री तक को लिखकर भेजा लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक पत्र को छोड़कर बाकी पत्रों का जवाब भी नहीं आया।

मैं बद्रीनाथ निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं। माननीय उप मंत्री जी कह रहे थे कि हमारा प्रदेश बार्डर का है। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं उस सीमा से आया हूं जो बिलकुल बार्डर से मिला हुई है और बार्डर है। माना पास, बाराहोती, और श्री बद्रीनाथ पुरी, इस क्षेत्र में हैं। पिछली जनवरी में जब विधान सभा बन्द थी तो जोशीमठ से बायीं तरफ बाराहोती मार्ग पर जहां तक ठंड में मैं आ जा सकता था वहां तक मैं गया और वहां की हालत देखी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि फौज के व्यवहार से कहीं-कहीं लोगों में नाराजगी है और मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं; क्योंकि वहां से उत्तर नहीं आता है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था किन्तु जिस तरह से कुछ स्थानों में कभी कभी-फौज के लोगों में से कुछ के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वह बहुत बुरा कहा जा सकता है। उनके मन में यह भावना पैदा हुई है कि हम जिनको रक्षक समझते हैं वे ही अगर इस तरह का व्यवहार करने लगे तो यह बड़े खेद की बात है। वे इस बात से नाराज हैं। दूसरी बात यह उनके मनमें आई कि जिनको हमने अपने आभूषण दिये उनका व्यवहार यदि इस तरह का हो तो यह और भी दुख की बात है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चमोली हेड क्वार्टर के पास एक जगह है बदुला पटी बडे में है। वहां पर फौज ने अपना कैम्प गाड़ा और वहां लोगों की जमीन ली गई। पहले तो उन्होंने विरही नदी के किनारे कैम्प डाला था, लेकिन बाढ़ आने से वह वहां से हटकर बंडपटी में बदला नाम की जगह पर चले गये, परन्तु अभीतक उन लोगों को उसका कोई कीमत नहीं मिला, फसल का कीमत नहीं मिली और न उत्तर ही मिला। जोशीमठ के इलाके में सन् १९६० में जमीन ली गई थी और वहां पर कैम्प लगाये गये थे, लेकिन उसका आज तक कीमत उनको नहीं मिली और न उसका उत्तर ही दिया गया। इससे लोगों की मनोभावना पर असर पड़ता है।

यहां पर केशरी प्रसाद जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। वे राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। हर इतिहास में हर तरह के व्यक्ति हुये हैं। इस देश में जयचन्द भी हुये हैं और अंग्रेजी जमाने में जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो इस तरह के आदमी थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे। क्या उस जमाने में लोगों ने देश के साथ गद्दारी नहीं की? क्या कांग्रेस के इतिहास में ऐसे लोग नहीं आये जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की? ऐसे लोग सब जगह हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस जिले का रहनेवाला हूं उसका इतिहास एक वीरों का, ऋषिमुनियों का इतिहास है। उन लोगों ने विदेश में जाकर भी लोगों की आजादी की रक्षा की है। जब विदेशों में उन्होंने कुरबानी की तो अपने देश की रक्षा करने के लिये वे तैयार हैं और रहेंगे। क्या वे अपने देश की रक्षा के लिये कुरबानी के लिये तैयार नहीं होंगे?

आपने होमगार्ड कैम्प लगाये, लेकिन यह देखा गया है कि उनके पास बन्दूकों की कमी है, वर्दी की कमी है। इस फोर्स को इस तरह से खड़ा कीजिये कि उनके पास सब सामान हैं। इससे लोगों में उत्साह पैदा होता है। इसके हेड जो जिलों में हैं उनके नीचे वो अफसर हों। मुझे यह बताया गया है कि उनको कम तनख्वाह मिलती है और भत्ता भी कम है। पहाड़ों पर जो मिलना चाहिये उससे कम मिलता है। मैं यह समझता हूं कि उसको बढ़ाया जा सके तो अच्छा है। उन होमगार्ड के सैनिकों के पास वर्दी होनी चाहिये। उससे अनुशासन की भावना, स्फूर्ति व चुस्ती पैदा होती है।

यहां पर भोटिया लोगों के विषय में कुछ भाइयों ने चर्चा की। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उनको बसाने के लिये कदम उठाने की बहुत शीघ्रता से बड़ी जरूरत है। ये लोग बाराहोती के पास व मानापास में रहते हैं। उधर की घाटी में ये रहते हैं और अच्छा व्यापार पहले करते थे। अब उनकी दशा बहुत खराब हो गई है। उनका व्यापार बन्द हो गया है जिसके कारण वे बेघरबार हो गये हैं। जैसे हमारी हिन्दू जाति के दूसरे लोग हैं वैसे ही ये लोग भी हिन्दू राजपूत हैं। उत्तरकाशी की निलंग जादुंग घाटी में भी ये लोग रहते हैं।

[श्री योगेश्वर प्रसाद खड़ूड़ी]

पिथौरागढ़ के गरवियांग घाटी में भी ये लोग रहते हैं । ये सारे बार्डर एरिया में फैले हुए हैं । इनकी समस्या बड़ी भारी समस्या है और उनकी समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझकर सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना व हल करना चाहिये । उनकी पुनर्वास की समस्या एक बड़ी भारी समस्या हो गई है। वैसे तो वे व्यापारी हैं, लेकिन अब उनका व्यापार तो बन्द हो गया है । अब सरकार को उनकी किसी उद्योग में लगाना चाहिये जिससे उनकी जीविका चल सके । उनकी दशा बहुत खराब है । वे व्यापार में सफल हो सकते हैं या और किसी काम में उनका लगाया जाना बहुत आवश्यक है । असल में वह अब बेकार हो गये है । तिब्बत से उनका व्यापार समाप्त हो गया है और खेती उनके पास है नहीं । छः महीने वह गरम घाटियों में रहते हैं और ६ महीने ऊपर चले जाते हैं जो काम अब समाप्त हो गया है। पिछले दिनों बार्डर पर कुछ गिरफ्तारियां हुई है और उस तरफ सरकार को कुछ और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । देश में तमाम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन उधर तो बद्रीनाथ केदारनाथ में नाना, वेशों के लोग जा सकते हैं, इसलिये सरकार को सचेत रहना चाहिये ।

आज भारत का स्वाभिमान जागा है । जो आजादी की कीमत समझते हैं वे हर कीमत पर आजादी की रक्षा करने के लिये तैयार है । सरकार ने बार्डर डिवीजन कायम करके एक बहुत अच्छा काम किया है । वहां कुछ नहीं हो रहा है इससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि और तेजी से काम हो और वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो और उनको रोजगार दिया जाय । मैं समझता हूं कि यह कहना कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, अन्याय है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि जैसा सरकार का उद्देश्य है और जिस तेजी से वह काम कराना चाहती है उस तेजी से काम नहीं हो रहा है और इस बात को मैं अपने रक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं । ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की रोड मिलिटरी ने ले ली है, लेकिन उसका हाल जगह जगह बहुत खराब है । देवप्रयाग मोटर स्टेशन पर पुल का हाल बहुत खराब है और जोशीमठ और पीपल कोट के बीच में सड़क बहुत बुरी है। यातायात के लिये इस सड़क की बहुत आवश्यकता है, इसलिये इसे जल्दी सुधारने का प्रयत्न होना चाहिये ।

मैं अन्त में विश्वास दिलाता हूं कि देश की आजादी के लिये उत्तराखण्ड के निवासी जागरूक और सचेत हैं और उसके प्रहरी है और हम मरते-मरते अपनी कुर्बानी कर के भी अपनी,अपने प्रदेश और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री रामअवतार कनौजिया (जिला बहराइच):—

आज का विषय श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण है और शायद ही कोई सदस्य इसका विरोध करने का साहस करेगा, लेकिन जहां तक इस देश की सुरक्षा का प्रश्न है, मुझे इस विषय में अवश्य कुछ निवेदन करना है। जैसा कि मंत्री जी ने होमगार्ड की ट्रेनिंग के विषय में आंकड़े दिये उनसे पता चलता है कि १,२४० कंपनियां बना कर लोगों को ट्रेनिंग देने का आयोजन किया गया है । हर कंपनी में ११० व्यक्ति होंगे, लेकिन दुख है कि १ लाख ३६ हजार ४०० का जो हमारा लक्ष्य था उसमें से २७ हजार १९० की प्राप्ति हुई यानी १२.७ प्रतिशत उसमें कामयाबी मिली । इससे यह विदित होता है कि सुरक्षा के विषय में हमारी सरकार कितनी जागरूक है । इसलिये यह जरूरी है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ।

मान्यवर, होमगार्ड्स की जो ट्रेनिंग लोगों को दी गयी वह लकड़ी की बनी राइफिलों के द्वारा दी गयी, असली राइफिल तो उन लोगों को देखने तक को नहीं मिली । इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बुलट्स दी गयीं उनका भी उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ । उसका पता ही नहीं कि किस तरह से उपयोग हुआ ।

मान्यवर, देश की सुरक्षा का प्रश्न आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है । केवल विचारधारा पर आश्रित रहकर रक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता, उसके लिये हमें ठोस कदम

उठाने की जरूरत है। किसी आइडियोलाजी पर देश की सुरक्षा का प्रबन्ध होना असंभव है। उस ओर हमारी प्रैक्टिकल एप्रोच होना चाहिये। हमेशा को जो ट्रेनिंग दी गयी है, इसे कोई प्रैक्टिकल एप्रोच नहीं कहा जा सकता। यह देश का दुर्भाग्य है कि काफी वर्षों तक अंग्रेजों के मातहत गुलाम रहे। अंग्रेजों ने अपने समय में हमारे नौजवानों की शान को बन्दूकों आर्म्स ऐक्ट पास करके मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन दुख इस बात का है कि आज इतने वर्षों की आजादी के बाद भी वह आर्म्स ऐक्ट अब भी मौजूद है। हालांकि यह केन्द्रीय विषय है, परन्तु मेरा निवेदन है कि यह आजाद मुल्क के लिये एक बहुत बड़ा कलंक है, इसे तुरन्त खत्म किया जाना चाहिये। इससे यह प्रश्न उठेगा कि अशांन्ति का भय हो जायेगा लेकिन मान्यवर, यहां रोजाना लोगों को लाइसेन्स दिये जाते हैं और उनके प्रार्थना पत्रों पर यह लिखा रहता है कि वे लोग उनका उपयोग अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिये ही करेंगे। अपने प्रार्थना के फार्मों पर यह लिखता है कि वह बन्दूक अपनी जानमाल की रक्षा के लिये चाहता है। तो जब लाइसेन्स देने की मंशा ही यह है तो मैं नहीं समझता कि इस ऐक्ट की क्या जरूरत है। मेरा विचार है कि इसको खत्म किया जाय। हमारे निकट के मुल्क अफगानिस्तान में भी ऐसा कोई ऐक्ट नहीं है। वहां जुर्म भी ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। देहात में भी यदि किसी के पास बन्दूक रहती है तो कोई डाकू उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।

मान्यवर, इस देश का पुराना इतिहास है जिसकी तरफ मैं नजर डालना चाहता हूं। प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है—

"Rocket appears to be of Indian invention and had long been used in native armies when European came first in contact with them."

इसका मतलब यह है कि अस्त्र-विद्या और बाण विद्या जो इस देश की बहुत पुरानी विद्या है उस तरफ हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि इस ओर भी विशेष रिसर्च करके जल्दी कदम उठाने की जरूरत है।

जहां तक आन्तरिक सुरक्षा का संबंध है पुलिस के बजट में मौका नहीं मिला। चूंकि मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस हमारी आन्तरिक सुरक्षा में सफल हो सकती है? उसके लिये दो नमूने हैं, जिससे मुझे शंका है। बेहड़ जिला मैनपुरी में एक थाना ऐसा कायम किया गया था जो कि डाकुओं से बचाने के लिये था, डाकू ज्यादा थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि वह हटाया जा रहा है ताकि कहीं डाकू उसे लूट न लें। अगर ऐसे ही डाकुओं के डर से सुरक्षा के स्थानों को जहां से जनता के सुरक्षा करने का प्रबन्ध किया है हटाया जायगा तो आगे चलकर इस कठिन अवस्था में वह देश की सुरक्षा में कहां तक काम दे सकेगी। होमगार्ड में जो सुरक्षा के संबंध में अनुदान है मैंने सदन में कहा कि इस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिये, लेकिन निवेदन है कि इसका जो व्यय हो उसकी तरफ विशेष नियंत्रण की जरूरत है। मैंने बहराइच में देखा कि जैसा कि पयागपुर का दल जब ट्रेनिंग में चल रहा था उसमें चीनी, आटा, घी वगैरह बहुत कुछ इधर उधर करके लोगों ने आपस में बांट लिया। डी० एम० ने जांच की है, पता नहीं क्या हुआ। अक्तूबर, १९६३ में पी० आर० डी० के ग्रो मोर फूड़ के सिलसिले में विशेश गंज ब्लाक में रबी का कैम्प हुआ था। जहां तक मुझे याद है गवर्नमेन्ट से ८०० रुपये का सेक्शन था —केवल १७ व्यक्तियों पर ७५० रु० व्यय दिखाया गया—जांच की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने जो अनुदान आज पेश है उस पर मुझे बोलने के लिये मौका दिया। जो हमारे गृहमंत्री द्वारा अनुदान पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं

[श्री राजनारायणसिंह]

और जो केशरी प्रसाद पान्डेय द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे बड़ा दुख है कि आज भी कटौती पेश करते हुए केशरी प्रसाद जी द्वारा जौनपुर और गृह मंत्री बाकी नहीं बचे। श्री शिव प्रसाद जी का संबंध गृह मंत्री से है। हमारे जौनपुर से दो राजा और पान्डेय जी का एक संबंध है और इन दो राजाओं का पुराना संबंध तीन-छः की तरह, तीन का मुंह एक तरफ छः का दूसरी तरफ था, पर इधर कुछ समय से छः तीन हो गया और उसमें हमारे केशरी जी एक बिचौलिया हो गये।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, अब डिबेट का रुख दूसरी तरफ को जा रहा है। कल भी ऐसा हुआ था कि माननीय गृह मंत्री ने सारा समय जौनपुर के बारे में कहने में लगा दिया था और उन्होंने सारे प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहा। अब श्री राजनारायण जी भी वही चीज शुरू कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर ही बोलें।

श्री राजनारायणसिंह—

जब शिवप्रसाद जी अपना भाषण दे रहे थे तो आपने कहा कि बड़ी मायूसी के साथ। लेकिन यह आपको समझना चाहिये कि जब सदन के सामने कोई मंत्री किसी चीज को रखता है तो बड़ी गंभीरता के साथ रखता है। माननीय पान्डेय जी को यह बताना चाहिये था कि देश की सुरक्षा में कमी क्या है, पुलिस की क्या कमियां है, लेकिन उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, केवल जोगेन्द्र सिंह और रोडवेज के कन्डक्टर के संबंध में ही बताते रहे। गृह मंत्री जी ने अगर जोगेन्द्र सिंह को हटाया तो वह उनकी निगाह में क्रान्तिकारी कदम नहीं था और रोडवेज के कंडक्टर को पकड़ा तो वह भी क्रान्तिकारी कदम नहीं था।

आज सदन के सामने जो अनुदान लाया गया है उसमें प्रान्तीय रक्षा दल भी शामिल है। प्रान्तीय रक्षा दल और होम गार्ड्स का एक संबंध है, वह होमगार्ड्स को सहायता देने के लिये रखा गया है। रियासत हुसेन साहब ने कहा कि जो होमगार्ड थे उनको जाड़े के दिनों में ट्रेनिंग दी गयी, लेकिन जाड़े के वस्त्र नहीं दिये गये इसके अतिरिक्त जो नौजवान लड़ रहे हैं और लड़ने के लिये जा रहे हैं उनको समुचित सहायता नहीं दे जाती है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि इस प्रकार से वे देश के मनोबल का ढिंढोरा पीट रहे हैं? क्या उनसे मनोबल बढ़ेगा? हरगिज नहीं बढ़ेगा। मैं तो आपसे यह आशा करूंगा कि २० अक्तूबर १९६२ को कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से शत्रु का मुकाबला करने के लिये हम संगठित हो गये थे जिसको देखकर विरोधियों के छक्के छूट गये थे, जिसको देखकर विरोधी ने अगर हार नहीं मानी तो पीछे तो हट ही गया था।

उत्तराखन्ड के संबंध में बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम वहां सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षा देने की हमें आयोजना करनी चाहिये। माननीय गृहमंत्री ने ७ दिन वहां का दौरा किया, सब चीज को देखा होगा, अब पहाड़ के रहने वाले माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उसको विचार कर वहां का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

होमगार्ड्स की देहातों में भी बहुत आवश्यकता है। जब देश को कोई खतरा होता है तो बहुत-सी शक्तियां बदअमनी पैदा करने की कोशिश करती है। होम गार्ड्स के द्वारा हम उसको रोक सकेंगे। होमगार्ड्स को अच्छे-अच्छे शस्त्र-अस्त्र मिलने चाहिये। गांवों में जो लोगों के पास भाले गंडासे आदि है उनसे देहात की रक्षा नहीं हो पा रही है, बल्कि वह ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है कि जिससे हमारे संगठन का और हमारा बहुत-सा समय इन लोगों की देख-रेख में व्यतीत हो जाता है और उससे जो फायदा हमें उठाना चाहिये वह फायदा हम नहीं उठा रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, उस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिये।

जो उत्तराखन्ड के एकीकरण की बात हमारे बैरिस्टर साहब ने कही कि उत्तराखन्ड १९०७ में दो हिस्सों में बंटा था और उसका एकीकरण होना चाहिये, तो श्रीमन् इसमें सार है और वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देनी चाहिये और वह सहूलियत इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे वे संगठित होकर आगे बढ़ें, उनका मनोबल बढ़े और वह मनोबल इस तरह से बढ़े कि वे अपने को सुरक्षित रख सकें और मुल्क की रक्षा करने में सहायक हो सकें।

एक और बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जो होम गार्ड्स संगठन गांवों में हो रहा है, उसको आज उधर से बोलने वाले हमारे भाइयों ने यह संज्ञा दी है कि उसमें तो अपना एक संगठन करने की बात है या उसको हम ऐसी संज्ञा दे रहे हैं कि वह अपना एक निजी संगठन हो। श्रीमन्, वह निजी संगठन नहीं है। उसमें कुछ ऐसे लोग आना चाहते हैं जो कि संगठन के सहायक न होकर उस संगठन के विनाश के लिये आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जिससे वे लोग यह संज्ञा इसे देते हैं कि होम गार्ड्स का संगठन अपने लिये हो रहा है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे यहां अन्नाभाव बहुत है और वह राष्ट्रीय संकट का एक कारण हो गया है। इस होम गार्ड्स के संगठन से हम उस संकट से भी छुटकारा पा सकते हैं और वह इस तरह से कि आज जो अन्न के वितरण की व्यवस्था है। यदि हम इस संगठन के जरिये इसका वितरण कराने की कोशिश करें तो हमें आशा है कि उसमें हम काफी सफलीभूत हो सकेंगे, क्योंकि होम गार्ड्स के जो सिपाही हैं वे हम ही लोगों में से हैं और गावों में से ही हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि उन्हें इस संगठन में लेकर हम अन्न संकट से बचने में सफल हों। "जय हिन्द"।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब हम १४ तारीख को दिल्ली से आ रहे थे तो गाड़ी में अखबार पढ़ने से मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के इस हाउस ने श्री केशरी सिंह (श्री केशव सिंह) को ७ दिन की सजा दी है। श्रीमन्, आज तक इस देश की किसी असेम्बली में इस तरह की घटना नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय आप उस विषय पर बात न करें। संबंधित विषय पर ही बोलें।

श्री रतीपाल—

श्री केशवसिंह मेरी पार्टी का आदमी है, उसके बारे में तो मुझे कहने दीजिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, इस समय उस पर आप नहीं बोल सकते। आप अनुदान के बारे में कहें।

श्री रतीपाल—

वह भी देश का ही वर्कर है ...

श्री उपाध्यक्ष—

इस विषय पर आप कुछ न कहें, अनुदान पर ही बोलें।

श्री रतीपाल—

वह भी राष्ट्र का ही आदमी है, वह भी सच्चा भक्त है। उसको इस असेम्बली ने सजा दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अनुशान पर ही बोलें, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते ।

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, आज यह सरकार जिस सुरक्षा की बात करती है और जिस मनोबल की बात करती है वह देश का मनोबल किसके द्वारा डाउन हुआ है ? यह जिम्मेदारी सरकार की ही है । इस सरकार ने अपने चारों तरफ दुश्मन बना रखे हैं और सबसे बड़े-बड़े दुश्मन इसने बना रखे हैं । एक तरफ से चीन पीठ पर छुरा मारने को तैयार है और दूसरे तरफ सीने पर छुरा मारने के लिये पाकिस्तान तैयार है । यह सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की और नेहरू सरकार की है । देश की जनता ने समय आने पर और लड़ाई के मैदान में अपने मनोबल का परिचय दिया है, यहां की स्त्रियों ने अपने सुहाग के जेवर तक उतार कर दे दिये, लेकिन आप जरा इस मंत्रि मंडल के लोगों का टोटल करें कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिये क्या दिया है ।

इसके अलावा इसी सदन में तमाम सवाल हुए कि आज जब कि देश को सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है तो ऐसे समय में भी इन कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के नाम पर इकट्ठा करके लाखों रुपया खा लिया और यह सरकार चुपचाप बैठी रही । गरीबों पर संकट काल का नाम लेकर डी० आई० आर० लगाया जाता है, लेकिन कभी एक भी कांग्रेसी पर सुरक्षा के नाम पर नाजायज तौर पर रुपया इकट्ठा करके खाने के एवज में डी० आई० आर० लगाया गया ? कोई कांग्रेसी पकड़ा गया जिसने यह सब किया है ? मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि हम लोग सुरक्षा के काम में आगे हैं । इस सरकार की क्या नीति है, कोई इसकी नीति नहीं है । कौन से आधार पर आप देश को बचाना चाहते हैं ? कौन से आधार पर आप सुरक्षा करना चाहते हैं ? हमारे यहां ५ अपोजीशन के और तीन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और वहां पर होम गार्ड स्कीम इसलिये असफल नहीं हुई, क्योंकि वहां पर विरोधी दल के लोग होमगार्ड में नहीं लिये जा रहे हैं । मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं और यह सही बात है कि वहां पर जनसंघ, समाजवादी दल और स्वतंत्र दल के लोगों की मेजारिटी है, वही सब जीत कर आये हैं और इसीलिये वहां पर इनमें से एक भी भर्ती नहीं किया गया और होमगार्ड का संगठन न हो सका । मैं इसके लिये उनको चैलेन्ज कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल नहीं है, आप आगे अपनी बात कहें ।

श्री रतीपाल—

पांडे जी ने पूछा इसलिये मैंने कहा । अगर आप देश के लिये कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश पर आफत के वक्त पार्टीबाजी न हो जिस तरह से कि चीनी आक्रमण के वक्त सब ने कांग्रेस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाया, नेहरू जी के नेतृत्व में सब एकमत हुए । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने सुरक्षा कोष में कितना पैसा जमा किया है । आज जिस देश में प्रधान मंत्री २५ हजार रुपया रोज व्यय करे वहां पर गांव के चौकीदार को जिसके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है ५ रुपया माहवार दिया जाता है । क्या ऐसे ही मनोबल बढ़ेगा ? और ऐसे ही देश की सुरक्षा होगी ? आप खुद तो पंखे की हवा में बैठकर आराम करें और दूसरे आपके लिये मुसीबत उठावें । यह होमगार्ड पहले अंग्रेजों ने बनाया था और देश की जनता का दमन करने के लिये उस वक्त उन्होंने इसको बनाया था । अच्छा हो कि आप इस होमगार्ड के दल को फौजी अफसरों के अधिकार में दे दें, वर्ना जैसे पुलिस के अफसर लोगों को हवाई जहाज बनाते हैं यह भी हवाई जहाज बनाने में ही इन से काम लेंगे और वही भ्रष्टाचार फैलेगा जैसे कि पुलिस वाले भ्रष्ट हैं ।

पुलिस की छुआछूत में होमगार्ड फंसा तो पुलिस की-सी हालत हो जायेगी । राइफल, वर्दी की क्या हालत है ? जाड़े में उनके पास कपड़े नहीं हैं । आपने बी० डी० ओ० को साइकिल

ऐलाउन्स दिया, इनको भी दीजिये । हर पुलिस कांस्टेबुल को एलाउन्स साइकिल का दें । होम गार्ड के लोगों की वर्दी, भोजन आदि की व्यवस्था करें ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, मैं सुबह से बैठकर, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो रहा था उसको ध्यानपूर्वक सुनता रहा और मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि भवन के सभी माननीय सदस्य मूल प्रश्न से हटकर इस अनुदान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं । इसलिये मैं उचित समझता कि मैं वस्तु स्थिति सदन के सामने रख दूं । यह बात ठीक है कि हमारे ऊपर जो आक्रमण हुआ वह अचानक हुआ और हम उसके लिये तैयार नहीं थे, हम नहीं समझते थे कि इस प्रकार आक्रमण होगा । उसका कारण यह था, और यदि दूसरे शब्दों में कहूं कि आक्रमण से दो बातें सिद्ध हुईं । पहली यह कि जो हम बहुत दिनों से या जब से हमारे इतिहास की प्राप्ति है तब से यह सोचते रहें कि उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है वह हमारा संतरी है और इसलिये उस ओर से कोई आक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन जो आक्रमण हुआ उसने इस बात को दिखा दिया कि उस ओर से भी अब आक्रमण हो सकता है । दूसरे यह भी था कि हम शान्ति प्रिय लोग थे, हम यह समझते थे कि किसी देश पर हमारी कुदृष्टि नहीं है तो अकारण कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण नहीं करेगा । यह विश्वास हमारा सदियों से था और उसी विश्वास पर हम अपना कार्यक्रम बनाते थे, लेकिन चीन के आक्रमण से यह बात सिद्ध हो गई है कि यदि हम अपने देश में शान्ति से अपना जीवन व्यतित करना चाहते हैं तो किसी देश को विस्तारवादी नीति हम न अपनायें, अपनानी भी नहीं चाहिये तब भी अपने भी देश में शान्तिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम सैनिक दृष्टि से इतने मजबूत रहें कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत न करे । ये दोनों चीजें हैं और शायद इसी कारण से बहुत से लोग यह कहते हैं कि चीन का आक्रमण एक प्रकार से हमारे लिये बड़ा शिक्षाप्रद भी हो गया है । वे शायद इस दृष्टि से भी कहते हैं कि हमको दो कठोर नसीहतें मिलीं ।

यह बात ठीक है कि जब आक्रमण हुआ हम ऐसे अस्त-व्यस्त हो गये, क्योंकि हमने उस आक्रमण को समझ कर कोई अपने देश मे तैयारी नहीं की थी । हमारा गरीब मुल्क था और जिस समय हम स्वतंत्र हुये थे हमको विरासत में खाली अपने देश को गरीबी मिली थी और इस कारण जिस प्रकार भी संभव हो सकता था हम इसी बात के प्रयत्न में लगे हुए थे, हमारे नेता भी लगे हुए थे और सारा देश लगा हुआ था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी गरीबी दूर करने में सफल हों, लेकिन जब आक्रमण हो गया और जो बातें मैंने अभी कहीं कि हमको ये कठोर नसीहत मिलीं, उसमें आवश्यक हो गया कि हम अपनी जनता को इस प्रकार से संगठित करें कि यदि भविष्य में हमारे ऊपर यह आपत्ति आ जावे तो हम जिस प्रकार से पहले आक्रमण में अस्त-व्यस्त हो गये, हमारा सब ढांचा बदल गया, उसी तरह से न होने पाये और इसी संदर्भ में इस बात का प्रयत्न किया जाने लगा कि हम अपनी सम्पूर्ण जनता को किसी तरह से इस प्रकार से संगठित करें । स्कूलों में, और कालिजों में उसी विचार से उसी संदर्भ में यह किया गया कि यहां एन० सी० सी० और ए० सी० सी० में उन सब को ट्रेनिंग दी जाय । जो बच्चे स्कूलों और कालिजों में हैं उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग मिल जाय । आपत्ति काल में वे हमारे लिए लाभदायक हो सकें । स्कूलों और कालिजों में यह किया गया ।

जनता में आप जानते हैं कि हमारे यहां प्रान्तीय रक्षा दल बहुत दिनों से, मैं समझता हूं, हमारे प्रान्त में बहुत दिनों से, चलाया गया और जैसा हमारे पान्डेय जी ने कहा था ठीक है उसमें हमारे वे नौजवान आयें जो कि देश की लड़ाई में शामिल हुए थे। हम यह चाहते हैं थे कि देश की रक्षा में उनसे सहयोग लिया जाय जिनका इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है । इस लिये प्रान्तीय रक्षा दल का निर्माण किया गया है । यह आक्षेप उन्होंने किया, लेकिन यह आक्षेप निराधार है कि निरन्तर यह प्रयत्न होता रहे कि प्रान्तीय रक्षक दल किसी प्रकार तोड़ दिया जाय । होम गार्ड का जो बिल आपके सामने रखा गया था उसमें इस बात का प्रावीजन किया

[श्री हरगोविन्द सिंह]

गया था कि यह प्रान्तीय रक्षादल और यह दोनों मिलकर एक संस्था बन सकें, लेकिन उसका मतलब यह नहीं था कि कोई प्रान्तीय रक्षा दल को हम हजम करना चाहते हों या वह कोई आजाद संस्था हमारे आदर्शों के प्रतिकूल थी जिसकी वजह से हम उसको तोड़ना चाहते थे। सच बात तो यह है कि हम यह समझते थे कि स्थिति अब ऐसी है कि हम होम गार्ड्स की व्यवस्था स्थाई रूप से अपने देश में हमको बनाये रखनी होगी इसलिये होम गार्ड्स तथा प्रान्तीय रक्षक दल में रहे।

दूसरा कारण यह भी था कि जब होम गार्ड्स की स्कीम केन्द्रीय सरकार से आई तो हमने इस बात का प्रयत्न किया कि होम गार्ड्स की स्थापना जो वह हमारे प्रदेश में चाहती थी तो प्रान्तीय रक्षक दल को ही बगैर उसका नाम बदले हुए उसका रूप दे दें और वही कार्य हम प्रान्तीय रक्षक दल से लें जो होम गार्ड्स से केन्द्रीय सरकार चाहती थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे नहीं माना। ऐसी अवस्था में हमको एक होम गार्ड्स की संस्था बनानी पड़ी। पहले उन्होंने १ लाख होम गार्ड्स के लिये इजाजत दी, लेकिन हमारी प्रान्तीय रक्षक दल की संस्था बड़ी भारी संस्था थी, एक लाख से ज्यादा बड़ी थी। उसने कुछ सराहनीय कार्य भी किये थे और उससे हमको प्रेम भी था और हम उसको हटाना भी नही चाहते थे। तो बड़ी मुश्किल से डेढ़ लाख होमगार्ड्स की अनुमति हमको केन्द्रीय सरकार ने दी। अनुमान ऐसा है और कहा जाता गया था कि होम गार्ड्स के लिये केन्द्रीय सरकार जो खर्चा होगा उसका ५० प्रतिशत वह देगी। इस लिये पान्डेय जी ने जो अक्षेप किया था वह निराधार था। हम यह जरूर चाहते थे कि इसमें ऊंचे किस्म की ट्रेनिंग होगी और थोड़ा खर्चा भी बाहर से मिलेगा, थोड़े स्थान भी निकलेंगे और अगर प्रान्तीय रक्षक दल को उसके साथ सम्मिलित रखेंगे तो उसमें यह संभव हो सकेगा कि उनके लिये कुछ एवेन्यूज निकल सकेगें। इसलिये हमने इस बात का प्रयत्न किया कि दोनों संस्थाओं के अलग-अलग रहते हुए भी इस प्रकार का एक कोआर्डिनेशन उनमें रखें जिससे हमारे प्रान्तीय रक्षक दल के नवयुवकों को कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, लेकिन अपोजीशन यह अपना धर्म समझता है कि जो बात इधर से कही जाय उसका विरोध अवश्य किया जाय लिहाजा उसका विरोध किया गया। चूंकि मेरी नीयत साफ थी और मैंने यह सोचा कि यह आक्षेप मेरे ऊपर आ रहा है कि प्रान्तीय रक्षक दल को मिटा देना चाहता हूं, इसलिये मैंने दोनों को अलग रखा और आज भी वह अलग हैं।

हमारे प्रान्तमें इस बात का जाल बिछाया गया कि कि कालेजेज तथा स्कूल्स में एन०सी०सी०, ए० सी० सी०, पी० टी० सी० के जरिये मिलीटरी ट्रेनिंग अथवा सेमी मिलीटरी ट्रेनिग किसी न किसी प्रकार प्रत्येक बालक को मिल जाय। राजनीतिक दलों की तो थोड़ी-थोड़ी ट्रेनिंग है, लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल, होम गार्ड्स और विलेज वालंटियर फोर्स आदि की स्थापना इस लिये की गई जिससे प्रत्येक आदमी जो एज लिमिट में हों, जो इस शिक्षा से फायदा उठा सकें, उसको शिक्षा दी जाय। इसी नीति के अनुसार आपका यह होम गार्ड्स चालू किया गया।

इसमें इमर्जेंसी की बात कही गयी। इसी लिये प्रारम्भ में मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि जो सचमुच में इस अनुदान द्वारा मूल प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत था, उससे अलग हो करके अनेक ऐसी बातें जिनका कोई इससे संबंध नहीं है, कहीं गयी। यदि श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो चूंकि वे बातें कही गई हैं, इसलिये हम भी थोड़ा-सा जिक्र कर देना चाहते हैं। इमर्जेंसी जब इस देश में घोषित हुई तो यह अपनी जगह पर ठीक है कि पहले ऐसा जरूर मालूम हुआ कि इस देश में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपस के मन मुटाव या भेद के कारण देश की रक्षा में मुंजिर होना चाहता है। प्रत्येक आदमी जिस भी क्षेत्र में रहता हो वह उद्यत हो उठा कि वह अधिक से अधिक अपना योगदान देश की रक्षा में दे, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दूसरा नक्शा दिखाई देने लगा और ऐसा मालूम होने लगा कि इमर्जेन्सी का प्रयोग हमारे देश में इस तरह से हो रहा है जैसे कि हमारे यहा कहा जाता है कि गांव में जो सब से कमजोर आदमी होता है, उसकी भैंस व्याय गई तो सब लोग बाल्टी लेकर दौड़ते हैं कि भैंस दुह लें। उसी तरह से जितनी राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने समझा कि इससे फायदा उठाकर अपनी राजनीति को शुद्ध कर लें।

श्रीमन्, मैं ठोस प्रमाण रख सकता हूं। पहली आवाज यह निकली कि इमर्जेंसी में कम्पोजिट गवर्नमेंट यानी हर पार्टी की मिली जुली गवर्नमेंट बननी चाहिये। ऐसा दुनियां के हर देश में होता है इसलिये यहां पर भी कम्पोजिट गवर्नमेंट बननी चाहिये। श्रीमन्, इसका बड़े जोरो से नारा लगाया जाने लगा और उनकी तरफ से उठा, लेकिन देश के सामने प्रश्न यह था कि यदि युद्ध के समय में देश की रक्षा में, इससे कुछ सहायता मिले तब तो यह बिलकुल ठीक है क्योंकि यह देश सबका है, हमारा भी है और आपका भी है। (व्यवधान) आपके कुछ भी नही है। आप किसी भी देश को अपना नहीं मानते हैं। पहले मदर लैंड आपकी भाषा में नहीं था। लड़ाई हो रही हो, देश उसके लिये तैयार न हो, तैयारी की जाती हो, उसके लिए सज्जा और सामग्री एकत्रित की जाती हो, दुनियां का जो वातावरण था उसमें हम यह जान भी सकते थे कि किस तरह से हमको थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती थी, उससे भी हम अनभिज्ञ नही थे, तो उसमें जब यह हो गया कि नहीं शायद इसकी सम्भावना तो अब नहीं है तो फिर करवट बदली और एक तरफ से तो यह चला कि नहीं, लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं, पूरा अपना योगदान देंगे लेकिन यह आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसको हटाओ, उसको हटाओं, यह करो, वह करो, एक तरफ से तो यह चला। जो डिफेन्स फंड क्लेक्ट किया जाने लगा उसमें मैं आज भी दावे से कहता हूं कि जिसको बड़ा गुर्रा है कि हमने लड़ाई में बड़ी मदद की है वह जरा बताये कि उस पार्टी ने क्या दिया है। तो अब वहां से भी बात खिसकने लगी। (व्यवधान)

भाई झारखंडे राय यह कह रहे हैं कि सिवाय कम्युनिस्टों के और लोगों ने कहा। तो हां, उस समय मुल्क के कम्युनिस्ट बेचारे बड़े चपकलिश में पड़ गये। इसलिये कि एक ओर तो वह देश जिस तरफ वह देखते थे आक्रमणकारी हो गया और दूसरी ओर अब यह क्या करें। तो इन्होंने एक नीति अपनायी कि जवाहरलाल तो ठीक हैं, उनके साथ तो रहना चाहिये और बाकी सब कांग्रेसी खराब है। तो इन्होंने यह नीति अपनायी और आपस में दो दल कर दिया। एक दल तो यह कहने लगा कि हम तो भारत के साथ हैं और एक यह कहने लगा कि नहीं, यह चाइना तो ऐग्रेसर है ही नहीं और उसी समय इनमें भी लेफ्ट और राइट दो दल बन गये। यह इसी दौरान में इनके यहां बने और इनके प्रस्ताव अगर एक के बाद एक देखे जायं तो यह इस बात की बेहद कोशिश करते थे कि कहीं हमारे मुंह से यह न निकाल जाय कि चाइना ऐग्रेसर है। (व्यवधान) और इसमें भी ऐसा मालूम हुआ कि यह दो दल शायद एक राय से तो नहीं बने, इसलिये कि एक तो अगर हमको लड़ाई का कुछ सामान मिल सकता था तो अमेरिका से, ब्रिटेन से या कामनवेल्थ कंट्रीज से मिल सकता था। तो यह जो हमारे साथ रहे तो इन्होंने कहा कि नहीं, उधर मत देखिये, अमेरिका बड़ा कैपिटलिस्ट है, उस से मत कुछ लीजिये वह जो अपने को इस देश का कह कर लड़ाई में हमारे साथ हुये वह तो यह कहते थे और उनको छोड़ ही दीजिये कि जो चाइना को ऐग्रेसर ही नहीं कहते थे। वह तो थोड़ी बहुत संख्या में जेल वगैरह में बन्द किये गये और उसका प्रोपेगेंडा यहां से रूस तक किया गया, प्रवदा में निकला कि कैसे बन्द किया जाता है। तो मेरी समझ में यह आया, मैं गलत हो सकता हूं और अगर गलत होऊं तो माफी भी मांग लूंगा कि उद्देश्य दोनों का एक ही है। सिर्फ आपस में अलग-अलग इसलिये हो रहे हैं कि उद्देश्य की पूर्ति में कमी नहीं आने वाली है। जैसे साथ रहे, वैसे न रहे। तो यह एक वातावरण पैदा हुआ। ऐसी अवस्था में आज डिफेंस की बात करना, मैं आपसे पूछता हूं? आप यह तो कह रहे हो, आज इमरजेंसी को लीजिए। बावजूद इसके आप जानते हैं कि इमरजेन्सी २० अक्तूबर को जितनी थी उस से कई गुणा ज्यादा आज हो गई है पाकिस्तान की वजह से, लेकिन आपका ही दल है जो यह कहता है कि इमरजेन्सी खत्म करना चाहिये। आप इसलिये कहते हैं कि इमरजेन्सी खतम करना चाहिए चूंकि हम लड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और हम बड़े भागने वाले लोग हैं, कोई जुर्रत नहीं है, इसलिये आप इमरजेन्सी को खत्म करने की बात कहते हैं।

आज की अवस्था में जो भाषण इस सदन में हुये उसके अलावा और आप किस तरह से मदद कर सकते थे? यह कहना कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, जनता का मनोबल खत्म हो गया

[श्री हरगोविन्दसिंह]

इससे जनता का मनोबल बढ़ने वाला नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि चाहे इधर के हों या उधर, किसी को एक शब्द भी ऐसा नहीं कहना चाहिये जिस से हमारा दुश्मन यह समझे कि हमारे घर के लोग ही इस तरह की बात करते हैं। जो यहां पर जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं वह जनता के द्वारा ही इस प्रकार से यहां पर बोले जाते हैं कि इस देश में कोई मनोबल नहीं है और यहां की सरकार देश की रक्षा नहीं करना चाहती है। मैं नहीं समझता था कि इस अनुदान के सम्बन्ध में इस तरह की बातें यहां पर कही जायेंगी।

पटेल साहब ने एक सभा में एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी। एक बल की बाबत कहा था कि एक गाड़ी पर बड़ा सामान लदा जा रहा था और उसके नीचे-नीचे एक जानवर जा रहा था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वह यह समझता था कि यह सारा बोझ हमारे ही ऊपर है। ऐसे ही यहां पर कहा जाता है। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। जो चाहे कहा जाय, लेकिन कम से कम मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर कुछ और न हो सके तो कम से कम ऐसी बात यहां पर न कही जाय कि हमारी जनता का मनोबल टूटा है।

आखिर इससे बढ़ कर और अधिक हम क्या सबूत दे सकते हैं कि हमने देश को मजबूत करने के लिये थोड़ा बहुत किया है? १,२०० कम्पनी बनानी हैं जिनमें १,१५० कम्पनी बन चुकी हैं और बनाने जा रहे हैं। यह सही है कि हमको सामान नहीं मिलता है। पहले भी हमने लिखा कि हमको बन्दूक दी जायं। हमारे होम गार्ड के पास नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बन्दूकें बन रही हैं वह आर्मी में जा रही हैं। जो कपड़ा फौज के लिये होता है वह भी फौज को जा रहा है। वह नहीं दे सके तो हमने लाठ की बन्दूक से ही सिखलाया। आगे भी सिखाते रहेंगे। अगर हमको सामान न मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सिखाना नहीं चाहते हैं। रुपया हमारे पास है। वह लैप्स हो रहा है लेकिन सामान नहीं मिलता है। हम क्या करें? थोड़ी बहुत बन्दूकें मिली हैं तो ७, ८ जिलों में हम होम गार्ड की कन्टीन्यूएटी सुरक्षा के काम के लिये करना चाहते हैं, लेकिन यह कहना कि आपकी नीयत नहीं है, आप खराब हैं इससे देश का कार्य बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है और यह एक बड़े खतरे की बात है? यह मनोवृत्ति। अगर केवल कुर्सियों का मोह हो तो यह तभी मिलेगी जब प्रजातन्त्र रहेगा, जब देश रहेगा। आपने सोच लिया और मैं नेताओं के भाषण पढ़ कर बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि चीन देश को निगल तो जायेगा नहीं, इसलिये असली लड़ाई यही है कि कुर्सियों पर नजर रखो। मैं तो इस पर बोलने वाला नहीं था, लेकिन इंटरवीन कर गया। प्रार्थना यही करूंगा कि कम से कम वातावरण दूषित न कीजिये। दूषित वातावरण से देश का बड़ा नुकसान हो जाता है। कितनी ही सेना, हथियार और सामग्री आपके पास रहे, लेकिन अगर मनोबल न रहेगा तो देश लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। लड़ने के लिये दृढ़ता पहली चीज होती है।

अभी पांडेय जी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि वहां पासेज कितने हैं। उनको पता होगा और हम जो तमाम मिलिटरी लगाये बैठे हैं उसका हमको पता नहीं होगा। आप सोचिये कि लोग क्या समझेंगे कि यहां बैठने वालों को इस बात का ही पता नहीं कि हिन्दुस्तान और चीन के बीच कितने दर्रे हैं। इस समय जब देश संकट से गुजर रहा है, हमको एक-एक शब्द तौल कर बोलना चाहिये, ताकि उससे दुश्मन को प्रोत्साहन न मिले।

अभी यूसुफ साहब बोल रहे थे। कहा कि वे सीतलवाद साहब के यहां चले गये कि इमर्जेन्सी में यह हो सकता है या नहीं। आपको क्या गरज थी? अरे, अगर आप इसकी आवश्यकता समझते हैं कि यह चीजें सुगमता से हमको प्राप्त हो सकती तो यह देश के लिये बड़ा कल्याणकारी होगा। देश की रक्षा में उससे सहायता मिलेगी, लेकिन आपको तो दूसरी बात की ही पड़ी है। हर रोज एक दरख्वास्त आ जाती है कि १५,००० किसानों को लेकर प्रदर्शन करना चाहता हूं, कौंसिल हाउस के सामने भूख हड़ताल करना चाहता हूं। आखिर क्यों? आप इस से देश को कितना तैयार कर रहे हैं? आप इस बात को अपने से ही पूछिये।

आज जब रोज ही अखबार में आप पढ़ते हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से हम पर हमला करना चाहता है, वह इस कोशिश में है, आप १५ हजार का जलूस निकाल कर "सरकार निकम्मी" के नारे लगा कर, भूख हड़ताल करके कितना मनोबल तैयार कर रहे हैं ? इससे देश की समस्या हल होने वाली नहीं है । जब मैं कहता हूं तो आपको दुख होता है । ईश्वर जाने होता भी है या नहीं । इस तरह की बात कहना और करना उचित है नहीं और खास कर उस समय जब कि लोगों को देश पर के संकट के लिये तैयार रखना है । यह ठीक है कि उनके बराबर संकट हम और आप सह नहीं रहे हैं, लेकिन जहां आपको उत्साह देना चाहिये, उनका मनोबल ऊंचा करना चाहिये वहां आप उनको निरुत्साहित कर रहे हैं ।

चलो यह नारा लगाकर कि खाना नहीं है, दिल्ली चलो । यह क्या है ? एक भाई की यह बड़ी फिक्र है, मालूम होता है कि रावण के खानदान में खाली कुंभकरण था जो सुना था कि बहुत खाता था । अब लिखे-पढ़े आदमियों के सामने उनकी बात सुनकर ग्लानि होती है । एव साहब ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर एक बहुत ही होमोजिनिटी भी है कि जैसा लीडर वैसे ही उसके फालोअर---कोई अन्तर दोनों में नहीं है ।

कहा गया कि २५--२६, हजार रुपया रोज प्राइम मिनिस्टर खाता है । अब किस श्रेणी में रखूं ? देश-द्रोहियों में रखूं या देश-प्रेमियों में रखूं ? लेकिन है । जनतंत्र है । कोई रोना नहीं है । हमारे नेताओं ने जनतंत्र यहां स्थापित किया है । उसमें तो ये भाई लोग जो हैं हमारे ही भाई हैं । ये तो जनतंत्र को मान नहीं सकते हैं, न इनको मैं जनतंत्रवादी मानता हूं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप जनतंत्र की हत्या न करें । (व्योवधान)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सदन में जो कार्यवाही चल रही है उसका बहुत बड़ा महत्व है और उसका संबंध हर नागरिक से है...

श्री उपाध्यक्ष---

भाषण न कीजिये, क्या व्यवस्था का प्रश्न है वह पूछिये ।

श्री लखपतराम शर्मा---

पहले सुन तो लीजिये । यह जो चर्चा चल रही है तो और लोगों को भी समय मिलना चाहिये कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकें या यह समय केवल मंत्री जी के लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिये ।

श्री हरगोविन्द सिंह---

मैंने पहले ही आपसे क्षमा मांग ली थी । चूंकि बहुत सी बात कही गयीं जिनका इस अनुदान से कोई संबंध नहीं था तो मैं यह नहीं चाहता था कि यह भ्रम रहे कि हमारा कोई उत्तर नहीं है, हमारा कोई पक्ष नहीं है । इसलिये आपकी आज्ञा से मैंने यह कहा, मैं स्वयं स्वीकार करता हूं । आरंभ से ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन चूंकि इतनी बातें कही गयीं इसलिये मैंने वह पक्ष जसका कोई संबंध इससे नहीं था वह रखने का प्रयत्न किया । और कुछ नहीं कहना है । जरा सत्य बात कड़ू लगती है, पर जब उधर से कहा जा रहा था तो बड़े मजे से हमने सुना था । इनका भाषण सुनकर हम तो प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करो, क्योंकि यह जानते नहीं है जो कुछ यह कह रहे हैं । अंग्रेजी में कहावत है---

"God forgive them because they don't know what they say".

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि नागरिक सुरक्षा का बजट जो पहले ७ करोड़ का था वह इस साल घटा कर साढ़े ३ करोड़ का कर दिया गया है। उस समय जब चीन का हमला था तो ७ करोड़ का बजट था और आज जब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर खतरा पैदा किये हुये हैं, तब साढ़े ३ करोड़ का बजट कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मुझे खेद है कि माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे तो वे स्वयं विषय से बाहर बोल रहे थे। जब वे बोल रहे थे तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि वे फारेन एफेयर्स पर बोल रहे हैं, फिर मैं यह समझा कि वे राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण कर रहे हैं, मगर होम-गार्ड्स पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम पुलिस को क्रिटीसाइज करते हैं, मंत्री जी कहते हैं इस तरह से पुलिस का मारेल नीचा हो जायगा, पुलिस फोर्स कैसे काम करेगा? जब हम पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स की आलोचना करते हैं, यह कहते हैं वे डीमारेलाइज्ड हो जायेंगे। नागरिक सुरक्षा की आलोचना करते हैं, वह कहते हैं सुरक्षा खतरे में हो जायगी। अब आप ही बताइये हम फिर किसी की आलोचना करें?

श्रीमन्, मनोबल बढ़ाने की बात कही जाती है। मनोबल किस तरह बढ़ेगा? हमसे कहा जाता है कि मच्छरयों मारो, यह काम यों करो, वह काम यों करो, क्या इससे मनोबल बढ़ेगा? मनोबल ने क्या दिया है--घूस, बेइमानी और परमिट कोटा। मैं अपने जिले की बात करता हूं। मेरे यहां आपकी पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार नेता हैं। वे ९ बजे सप्लाई दफ्तर जाते हैं और शाम को साढ़े ५ बजे वापस आते हैं। रोजाना उनका यही काम है। मैं पूछता हूं कि क्या इससे मनोबल बढ़ेगा? मैं अपने ही जिले की बात करता हूं। मेरे यहां इनकी पार्टी के लोग थानों में जाकर थानों का मनोबल ऊंचा करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप सोचें कि क्या इससे मनोबल बढ़ेगा? माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में ४० मिनट का समय जौनपुर के बारे में ही दे दिया। माननीय मंत्री जी तो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

श्रीमन्, १९५४ में पार्लियामेंट में यह कहा गया कि हम हमले का मुकाबला करने के लिये पूर्णतया तैयार हैं, मगर जब हमला हुआ तो कहा कि हम तैयार नहीं थे। आज इन्होंने अनुदान को घटाकर साढ़े ३ करोड़ कर दिया, कल अगर प्रदेश या देश के लिये खतरा उत्पन्न हो गया तो कहेंगे कि हमें क्या पता था कि यह खतरा आ जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कम्पोजिट गवर्नमेंट बनाने का जिक्र किया था। मैं भी नाम नहीं लेता, मगर उस समय पार्लियामेंट में विरोधी पार्टियों ने ही नहीं कहा था, वरन् पूरी पार्लियामेंट ने यह कहा था कि यह आदमी गद्दार है, इसको निकाला जाना चाहिये। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हम भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं सबजैक्ट के बाहर जा रहा हूं, लेकिन चूंकि मंत्री जी उसके बाहर बोल गये हैं, इसलिये उत्तर देना पड़ रहा है। मैं एक मिसाल दूं। हमारे एक भाई ने चार्ज लगाया कि कोई सदस्य ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में मकान है, लेकिन आपने उसको एलाउ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने उनका नाम बताने से इन्कार कर दिया था।

श्री शिवेन्द्रप्रताप--

लेकिन मंत्री जी को उसकी जांच तो करनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप नाम बतायेंगे? नहीं बतायेंगे तो, ऐसी चीजें एलाउ नहीं की जा सकतीं।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

यह बहुत जिम्मेदारी के साथ चार्ज लगाया गया था नाम बताना पार्लियामेंटरी पद्धति के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? कहीं आग लगती है, कहीं बम का विस्फोट होता है, कही पर्चे बंटते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को पता नहीं लगता। इससे यही साबित होता है कि आपको इसकी चिंता ही नहीं है। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हमारा मतलब मनोबल नीचा करना नहीं होता। हम तो प्रशासन की खामियों और कमियों को बताना चाहते है। हम इस सदन में पूरे यू० पी० से चुनकर आते हैं, हर एक को कुछ न कुछ चीजें मालूम होती हैं। हम चाहते हैं कि उनको मंत्री जी को बतायें, लेकिन मंत्री जी कह देते हैं कि हम मनोबल नीचा कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने जो होम गार्ड्स का प्रयत्न किया है वह सराहनीय है, लेकिन केडटों की जो ट्रेनिंग हो रही है वह उपयुक्त नहीं है। १०–१५ दिन में यह समाप्त कर दी जाती है। बस कवायद परेड और पीछे इसका कोई पुरसां हाल नहीं। हमारे यहां जिला सीतापुर में सिटी बैटेलियन की संख्या १२०–१२२ लिखी हुयी थी लेकिन जब मैंने उसको जाकर देखा तो कुल १३ आदमी थे। संख्या तो केवल कागजात पर ही घटती बढ़ती रहती है। क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात को देखने की कभी कोशिश की है कि जो संख्या कागजात में दिखाई जाती है उतने लोगों की ट्रेनिंग होती है ? जो सामान उनको दिया जाता है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं ? आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से, मेरा विचार है कि होम गार्ड्स की एक विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि थानों में लगा देंगे, लेकिन थानों में उसका उचित उपयोग नहीं होता। थाने वाले लोग उनको राशन की दूकानों पर क्यू देखने के लिये भेज देते हैं। ऐसी जगह तो उन लोगों को जाने नहीं देंगे जहां उनका भंडा-फोड़ हो जाय।

मान्यवर, कहीं-कहीं पर होम गार्ड्स ने अजीब स्थिति पैदा कर दी है। सीतापुर के दो ब्लाकों का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। रामपुर, मथुरा ब्लाक में होमागार्ड को २ साल हो गये हैं परन्तु आज तक इनका अफसर कोई वहां नहीं पहुचा है। तारीखें दी हैं, वालंटियर्स आये और लौट गये। क्या इससे उनका मनोबल ऊंचा होगा ? यह केवल कागजी कार्यवाही पूरा कर सकेंगे। एक जगह को और बात मालूम हुई कि होम गार्ड में उन्होंने पहले कहा था कि हम इनको वर्दी देंगे। लेकिन कहीं-कहीं पर उनसे ट्रेनिंग के बाद वर्दी वापिस ले ली गई है जिससे वालंटीयर्स में बड़ा असंतोष हो रहा है। आगे वे नहीं मिलेंगे, ऐसी हमको आशा है। इसलिये ऐसे वायदे किये जावें जो पूरे न हो सकें।

मेरे पड़ोस के जिले में १७ कम्पनियां इनकी तैयार हैं, लेकिन जब मैं वहां गया तो यह मालूम हुआ कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते थे कि होम गार्ड की ट्रेनिंग कहां हो रही है। जितने वालंटीयर्स पहले होमगार्ड के लिये मिलते थे उतने अब नहीं मिल रहे हैं। अगर सरकार जांच करावे तो वह जोश जो पहले था अब नहीं रहा है। उसका कारण सरकार स्वयं समझती है। जितनी अपेक्षा जनता ने होम गार्ड से की थी आज उससे कहीं नीचा है। उसमें कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ लेकर आ गये हैं और आर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो रही है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, शायद सोशलिस्ट ने कहा, कहीं-कहीं तो ऐसे लोगों का एप्वाइंटमेंट हो गया है कि उनके कारण वहां वालंटीयर्स मिलने में और काम होने में कठिनाई और परेशानियां हो रही हैं। अगर ऐसी शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आती हैं तो उन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि कहने के लिये कह दिया गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, चूंकी यह बहुत महात्वपूर्ण विषय है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं । मैं केवल ५, ५ मिनट दूंगा ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं श्री केशरी प्रसाद पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, हमारे देश की ही नहीं, हमारे प्रदेश की जो स्थिति है उससे मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज हम बालकनी पर बैठे हुए हैं । मंत्री जी ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिये तैयार नहीं थे मैं मानता हूं कि मैं तैयार नहीं था, लेकिन हमारे देश में फौजें तो थीं जिन्हें हर समय तैयार रहना चाहिये । सन् १९५४ में जब हमने एग्रीमेंट किया और तिब्बत को दे दिया तो उस समय क्या हमें यह मालूम नहीं था कि हिमालय जो हमारा प्रहरी है उसे हम विच्छिन्न करने जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा के ऊपर खतरा डाल रहे हैं ? एक कमीशन आया जांच के लिये कि हम क्यों हारे, हमारी फोर्सेज किस हद तक जिम्मेदार हैं ? मेजर एडवर्ड लिंडसे बृटिश गवर्नमेंट के बहुत मजबूत फौजी सलाहकार हैं उनकी रिपोर्ट के चन्द शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं, ताकि माननीय मंत्री जी जान जावें कि हम कहां तक अपनी सुरक्षा के लिये तैयार थे और हमारी सुरक्षा की स्थिति क्या थी । मेजर जनरल एडवर्ड लिंडसे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है—

'Major-General Edward Lindsay, the British army officer who visited India recently, is reported to have returned home convinced that the Indian defence chiefs were unable to cope with the fast moving challenge of the frontier war and needed expert advice on the supply problem.

We have had Generals who were very touchy but not very efficient. Which all means that we needed Generals who can be relied upon to conduct an all-out war which we are faced today. Well, Generals cannot be manufactured in a day for field work. In India, it seems to be easier to get Generals to fit attractive uniforms and drawing rooms and ball rooms. We, therefore, urgently need Generals and senior army officers to conduct our life-and-death struggle against the Chinese".

श्रीमन्, यह रिपोर्ट है कि आपके जनरल क्या करते थे, उनकी स्थिति क्या थी और उन्हें मिलिटरी एक्सपीरिएंस कितना था । अब इस स्थिति को आप आंकें और समझें ।

दूसरी बात यह कि आप डिफेंस की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने डिफेंस पोटेंशियल बढ़ाने के लिये क्या-क्या, काम किये हैं ? आज अगर आपकी पूरी सूची देखी जाय तो करीब ३ लाख २२ हजार कुछ सौ रुपये आपके आफिसरों की तनख्वाह आदि के लिये ही रखे हैं जिनका इस्टेबलिशमेंट से संबंध है । बकिया जो है वह सिविल डिपार्टमेंट के होम गार्ड्स फोर्स व पी० आर० डी० का खर्चा है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय राष्ट्रीय संकट हो उस समय क्या हमें यही करना चाहिये जो आज यहां हो रहा है ? मैं आपको बतलाऊं कि पोलैंड पर जब हमला हुआ था जो सबसे पहले अगर किसी का ध्यान वहां गया तो वह डिफेंस पोटेंशियल बढ़ाने की तरफ ही गया, क्योंकि ऐसे मौके पर नागरिक सुरक्षा की सबसे अधिक जरूरत होती है । जहां ४० करोड़ की आबादी है वहां केवल डेढ़ लाख आदमियों को तैयार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने से क्या होगा ? इस प्रदेश में जहां की आबादी करीब साढ़े ७ करोड़ है, आपको कम से कम २ करोड़ आदमी इसके लिये तैयार करने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नमेंट आफ इंडिया के बारे मे कुछ न कहें । स्टेट के बारे में ही कहें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आज जो स्थिति है उस स्थिति में माननीय मंत्री जी के विभाग को जिस तरह से राष्ट्रीय संकट को महसूस करना चाहिये उस तरह से वह उसको महसूस नहीं कर रहा है और यह स्थिति बड़ी कमजोर है जो किसी रोज भयावह हो जायगी और उसके लिये हिस्ट्री में आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । सन् १९३६ में जब हिटलर का हमला हुआ था तो उसके संबंध में एलेन ब्लक ने कहा था—

"The street gangs have ceased the control of the power of the state. The gutters have come to power."

तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप एलेन ब्लक के १९३६ के शब्दों को आप याद रखें वरना हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी, अगर डिफेंस के सिलसिले में भी सतर्कता नहीं बरती गयी । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक माननीय मंत्री जी ने इमर्जेंसी की बात कही है इमर्जेंसी के लिये आवश्यक है कि हम अपने देश में ताकत के साथ तैयारी करें । अगर तैयारी न की जाय और किसी देश ने हमला फिर से कर दिया तो देश को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । ईश्वर न करे कि हमारा देश परतंत्र हो जाय, लेकिन इधर के या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों में कोई यह नहीं चाहेगा कि हम अपनी सुरक्षा की तैयारी न करें । माननीय गृह मंत्री जी ने बोलते समय विरोधी दलों पर यह चार्ज लगाया कि विरोधी दल के लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे देश की जनता का मनोबल गिरता है । जहां तक देश के मनोबल को गिराने की बात है, हमारे मंत्री जी ने यहां तक स्वीकार किया है जिस कार्य के लिये जो रुपया रखा गया था वह रुपया भी पूरा खर्च नहीं हुआ है ।

मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारे पास बन्दूकें तक खरीदने के लिये साधन नहीं हैं । अगर विरोधियों को यह बात मालूम हो कि भारत में यू० पी० की सरकार इस हद तक बेकार है कि वह अपने जवानों के लिये बन्दूक तक नहीं खरीद सकती तो इस से देश का या प्रदेश के लोगों का मनोबल गिरेगा या नहीं । जब यहां माननीय सदस्य चुनकर आते हैं तो ईश्वर की शपथ गोपनीयता के संबंध में लेकर आते हैं और तब वह यहां के मान्य सदस्य गिने जाते हैं, लेकिन इस तरह से यहां गैरजिम्मेदारी से बातें उधर के जिम्मेदार लोग करते हैं । आज इस देश के संकट के समय जो लोग झूठी-झूठी तारीफें करते हैं वह चाहें विरोधी दल के हों या सत्ताधारी दल के हों वह देश के साथ विश्वासघात करते हैं और मैं समझता हूं कि आज वह उगालदान उठाने का जमाना नहीं है । आज देश को मजबूत बनाने के लिये । उसे संकट से बचाने के लिये वही प्रयत्न की आवश्यकता है और इस देश के रहने वालों का यह पैदायशी हक है कि उनको सही रास्ते पर चलाया जाय और हर तरह से उनकी रक्षा की जाय । माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोगों को बन्दूकों के लाइसेंस दिये जा रहेहैं, लेकिन मैं उन से जानना चाहता हूं कि क्या उन को मालूम नहीं है कि आज बन्दूकों के कारतूस ४०० और ५०० रुपया सैंकड़ा बिक रहेहैं और राइफिल के कारतूसों पर ६०० और सात-सात सौ रुपये तक का ब्लेक चल रहा है । इस हालत में वह बन्दूकें किस काम की हैं ? आदमी लकड़ी का इंतजाम कर सकता है, लेकिन इस तरह की बन्दूकों का वह क्या करेगा ?

[श्री लखपतरास शर्मा]

मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के काम करें कि जिससे देश मजबूत हो, यह काम दूसरों को गाली देने से नहीं होगा। देश से आप को प्यार है तो विरोधी लोगों का भी प्यार है। आप ने चर्खा कात कर आजादी ले ली यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। देश की आजादी के पीछे भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का त्याग और बलिदान था जिस ने अंग्रेजी शासन की जड़ को हिला दिया था और जिसके कारण स्वराज्य आया। आप ही आजादी के ठेकेदार नहीं हैं। आजादी का श्रेय है उनको जिनके खानदान का एकलौता इनहार लाल देश के लिये कुरबान हुआ और जिन्होंने अपने बच्चों का गुजर चने के दाने पर किया। मैं चाहता हूं कि आप वाकई में जनता का मनोबल बढ़ायें और देश की आजादी के साथ खिलवाड़ न करें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वादविवाद में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के भ्रम फैलाने वाले ऊटपटांग भाषण ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस के विषय में कुछ कहूं और भ्रम निवारण करूं। मैं माननीय मंत्री जी से अगर पूछूं कि इस मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त का मंत्रिमंडल लगातार ६ मास तक, जिसमें कि माननीय गृह मंत्री भी शामिल थे, कुर्सी के लिये छीनाझपटी कर रहे थे तो क्या उन के विचार में यह सेंस आफ इमर्जेंसी था? क्या उनके विचार में आजके प्रजातंत्र में जनता के शांतिपूर्ण आन्दोलन के लिये कोई स्थान नहीं है? क्या आज अनशन भी उन को अखर रहा है? क्या सत्याग्रह और प्रदर्शन करना भी उनको खल रहा है? अगर जनता समझती है कि उसकी बुनियादी मांगें भी स्वीकार नहीं होतीं तो वह फिर कौन से साधन अपनाये? क्या उनको यह नहीं मालूम है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अक्तूबर-नवम्बर, १९६२ में एक राष्ट्रीय प्रस्ताव पास किया था और उसके पहले १९६० में फिर मेरठ में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें उसने सफाई से कहा था कि मैकमोहन रेखा हमारी राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और लद्दाख की ऐतिहासिक परम्परागत सीमायें ही हमारी सीमा है और यदि हमारे देश पर हमला किया जायगा तो हम सारे देश और देश की जनता को साथ लेकर उसका मुकाबला करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। सीमाओं के झगड़े एक दिन में तय नहीं होते, हमारा जरा सा बलिया और छपरा का मामला तय नहीं हुआ है, मैसूर और महाराष्ट्र की सीमा का प्रश्न अभी तय नहीं हो सका है, बंगाल और बिहार की सीमा का प्रश्न भी अभी तक तय नहीं हो पाया है के आंध्र-उड़ीसा का मामला उलझा हुआ है, जबकि सीमाओं के झगड़ों में वर्षों तक पूछताछ छीनबीन होती है। जब यह एक राष्ट्र भीतर की दशा हो, तो भारत चीन तो दो महादेश हैं।

इसके अलावा मैं मंत्री जी से पूछूं कि पूंजीपतिओं के खिलाफ डी० आई० आर० का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? आजतक एक भी पूंजीपति को बकाया के मामले में देश भर में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और किसी पर आज तक डी० आई० आर० का प्रयोग करके जेल में बन्द नहीं किया गया? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता जब कि गरीब किसान को जरा सी बकाया के लिये परेशान किया जाता है? इस तरह से संकट के नाम पर पूंजीपतियों को प्रश्रय देना नहीं चलेगा।

माननीय, उत्तराखंड की यात्रा हमारे माननीय मन्त्री ने कितनी ही बार की है। उनको मालूम होगा कि वहां फौजी छावनियां बन रही हैं। यह उचित है, लेकिन जो फरटाइल लैंड पर बनायी जा रही हैं क्या उनको नहीं रोकना चाहिये? और सभी फौजी छावनियां ऊसर-बंजर जमीन पर बनाये जाने की व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप डिफेंस के मामले को छोड़ दें तो अच्छा होगा।

श्री झारखंडे राय—

हमारे सूबे के पी० डब्ल्यू० डी० के गैंग जो उत्तराखंड सीमान्त में सड़कें बना रहे हैं वहां मजदूरों को केवल ४० रुपया वेतन दिया जा रहा है, जबकि डी० जी० बी० आर० के कुलियों को १५० रु० प्रति मास तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के गोरखपुर—मजदूरों को जो वहां पर काम कर रहे हैं, ९० रुपया मासिक मिलता है। क्या ये विषमताएं असन्तोष नहीं पैदा कर रही हैं?

मान्यवर, गढ़वाल के बैरिस्टर मुकुन्दीलाल साहब २ वर्षों से इस सदन में चिल्ला रहे हैं कि उत्तराखंड में, नैनीताल में ही नहीं, एक सैनिक स्कूल कायम किया जाय। जिस क्षेत्र में अंग्रेजी जमाने में भी सिपाही मिलते थे और आज भी वे प्रहरी बन कर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तो क्या वहां एक सैनिक स्कूल भी न हो जहां पर अफसरों को ट्रेनिंग दी जा सके? जनता का मनोबल तभी कायम रहेगा जबकि जनता के नौजवान मोर्चों पर यह महसूस करेंगे कि उनके परिवार के लोग शांन्त सुखी हैं और उनको आराम है। माननीय मंत्री जी ने कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में जो भाषण दिया वह केवल बकवास है और विभ्रम फैलाने के लिए है। उपरोक्त बातों का जिक्र उनमें नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चहूंगा कि जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रस्ताव में उस समय स्पष्टतया यह कहा कि चाहे अमरीका, ब्रिटेन या और किसी भी देश से जहां से हमें सहायता मिलती है, हमें स्वीकार करनी होगी केवल एक शर्त, कमर्शियल बेसिस पर। हम उनसे कोई दान नहीं लेंगे, उनसे कोई भिक्षा नहीं लेंगे। हम पैसे से लेंगे उनके हथियार। इन बातों के होते सरकार की ओर से ऐसी बातें करने से केवल भ्रम पैदा होता है जो उचित नहीं है। अगर एमर्जेन्सी की सेन्स नहीं है तो रूलिंग पार्टी के कुछ नेताओं में नहीं है। ये तो दिल्ली और लखनऊ की यात्रा करते हैं कि किसको इन कुर्सियों में कैसे बैठने दिया जाय। देश में विकास होना चाहिये। देश की सुरक्षा होनी चाहिये। देश हमारा है। हमारे और इनमें मतभेद है पर राष्ट्रीय सुरक्षा दल और राजनीति से ऊपर है। मैं ऐसा मत रखता हूं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश पर हमला होगा चाहे अमरीका का, चीन का, या दुनिया में किसी मुल्क का हो तो हम देश के साथ हैं और सरकार से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार यदि प्रति क्रान्ति होगी अथवा प्रतिक्रिया का हमला होगा, तो हम वर्तमान सरकार की रक्षा करेंगे, लेकिन अगर सरकार जनता का बढ़ते कर, महंगाई के रूप में शोषण करेगी तो हम लोग उनसे डट कर लड़ेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित व्यय पर जो इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। उस बहस के बीच में माननीय गृह मन्त्री ने खड़े होकर मूल प्रश्न को आधार मान कर कुछ बातें कहीं उसके लिये भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मुझे दुःख है कि उन्होंने डिबेट के सारे तारतम्य को बिगाड़ दिया। उनकी आदत है कि वे सही बात को भी इस ढंग से कहेंगे जिससे हाउस का टेम्पर खराब हो जाय। ऐसा मालूम होता है कि उनको इनफीरिआरिटी से सफर करने का ज्यादा मौका मिल रहा है। एक बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ ने कहा है कि मिनिस्टर्स या तो एक्सेप्शनल एबिलिटी के होते हैं या वे गधे होते हैं। जो योग्य मिनिस्टर्स होते हैं वे अपने विभाग पर अपनी योग्यता तथा चरित्र के बल पर हावी रहते हैं और दूसरे किस्म के मिनिस्टर्स अपने विभाग के गुलाम होते हैं और उनके इशारे पर वे काम करते हैं। माननीय मन्त्री जी दूसरे वर्ग में प्रमुख हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है—"ही इज बिटविन दी बैनेट ऐंड दि बेटन"। इधर से जब बैनेट सरीखा प्रहार करता है तो वह तिलमिला उठते हैं और अधिकारियों की ओर देखने लगते हैं और अधिकारी उनको बेटन मारते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये उलझ कर मूल प्रश्न का बहाना लेकर वह मूल प्रश्न ही को गायब कर देते हैं। जो वस्तुस्थिति होती है उसी को वह नजरन्दाज करने की कोशिश करते हैं।

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

माननीय मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि आज भी उनकी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस देश के नागरिकों का मनोबल भी बहुत ऊंचा है, लेकिन उसको आपने ही खत्म किया है। सदन में एक पर नहीं चार-चार मिनिस्टर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, किन्तु उनका जवाब आज तक नहीं आया। बाहर जाइये, शर्म से सर झुक जाता है। ऐसे मिनिस्टर्स के हाथ में जब इस प्रदेश का शासन हो और वह कहें कि जनता का मनोबल ऊंचा हो, तो कैसे ऊंचा हो? आपने त्याग की बात की? मध्य प्रदेश के हमारे नेता चन्द्रप्रताप तिवारी ने सारी जायदाद दे दी, बच्चों को फौज में भेज दिया। इसी सदन में हमारे नेता अवधेशप्रताप सिंह जी ने ५ हजार रुपये और सोने के आभूषण दिये दान स्वरूप, देवरिया में लोगों में देशभक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। केवल यह है कि आप उसका कितना उपयोग करते हैं? उसको आप कितना सक्रिय रूप देते हैं? आप लुंज-पुंज और लकवामार हैं। आप चल नहीं पाते तो फिर क्या किया जाय?

काश्मीर के बारे में सिर्फ मुझे इतना ही निवेदन करता है कि फौज को बतला दिया जाय कि उसे कहां पर लड़ना है, लेकिन दुःख है कि जहां पर लड़ना होता है वहां "रीट्रीट एकार्डिंग टू प्लान" का हुक्म चला जाता है। सैनिक बुद्धि से काम लिया जाय तो दुश्मन के छक्के छूट जायं और दुश्मन को सीमा पार क्या, उसके घर में खदेड़ कर हमारे जवान सांस लें, लेकिन जिस समय हमारी फौज लड़ने की बात करती है तो आपका आदेश हो जाता है "रिट्रीट एकार्डिंग टू प्लान"। यह आपका काम करने का ढंग है। इसलिये मजबूर है यह सदन कि आपसे मांग करे कि या तो आप कमर कसिये और सैनिकों के साथ कदम से कदम मिला कर चलिये अन्यथा आप गद्दी छोड़ दें, आपके चलाये राज्य नहीं चल सकता।

दूसरी बात एमर्जेन्सी की कही गयी। एमर्जेन्सी के नाम पर इनके यहां कार्यालय में एक कागज लगा हुआ है---कान और मुंह बन्द किये हुए और लिखा है 'अफवाह मत सुनिये और मत फैलाइये।' इससे जनता का कोई सरोकार नहीं। इसके अलावा हमारे मन्त्री जी ने कोई काम नहीं किया और कर भी नहीं सकते। यह तो उनमें से हैं जो सन् १९४२ में पुलिस को टेलीफोन कर और यह कह कर कि हम बैठे हुए हैं, हमें पकड़ ले चलिये, जेल गये जबकि लोग जद्दोजेहाद कर रहे थे और जिन्दगी व मौत से लड़ रहे थे। जेल में माननीय मन्त्री जी उस समय 'पीपुल्स वार' को सपोर्ट कर रहे थे, बुलेटिन्स निकलते थे और कम्युनिस्टों के बड़े हिमायती बन रहे थे। राजनारायणसिंह जी ने मन्त्री जी की हिमायत करते हुए कहा कि राजा साहब जौनपुर और कुंवर श्रीपालसिंह का रिस्ता ३६ का था लेकिन केशरीप्रसाद पांडेय की वजह से ६३ का हो गया। दो रुठों को मिला देना कोई पाप तो नहीं? यह तो अच्छा ही हुआ। राजनारायणसिंह को गलतफहमी है। वह हरगोविन्दसिंह की राजनीति से वाकिफ नहीं हैं। माननीय हरगोविन्द सिंह तथा माननीय यादवेन्द्रदत्त के पिता, श्री कृष्णदत्त दुबे में ६३ के सम्बन्ध थे। ७०० रुपये एक बार, और १ हजार रुपये एक बार, इन्होंने कांग्रेस के विरोध में उनसे लिये और इसी कारण इन्हें कांग्रेस से एक्सपेल किया गया। इस किस्म के प्रच्छन्न कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस द्रोही मन्त्री आज यहां बैठे हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि गृह मन्त्री हरगोविन्द सिंह इस्तीफा दें, क्योंकि प्रदेश का उद्धार ऐसे लोगों से नहीं हो सकता है। माननीय सुचेता जी को इस बात का अहसास होना चाहिये कि आज राष्ट्रीय संकट की बेला में ऐसी ढुलमुल नीति से गृह-मंत्रालय नहीं चल सकता। इसे किसी योग्य एवं देश भक्त मन्त्री को सौंपें या स्वयं सम्हालें। अन्त में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

१---आप इंग्लैंड की भांति एक 'ऐन्टी स्पायनेज ऐक्ट' पारित करें जिससे देशद्रोही तथा पंचमांगी तत्वों को सजा दी जाय। आज इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

२---हमारे प्रोजेक्ट्स फौजी सरोसामान उत्पन्न करने वाली फैक्ट्रियों के लिये फीडर के रूप में हों, क्योंकि वे हमारी समृद्धि में योगदान देती हैं और युद्धकाल में हमारे काम आती हैं।

३---इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को समाप्त किया जाय। सरकारी कारखानों में हड़तालें समाप्त हों और इंडस्ट्री का सीधा सम्बन्ध सुरक्षा से स्थापित किया जाय।

राष्ट्र के मनोबल, तत्परता, स्फूर्ति, लगन, शिक्षण, नीति, मित्रता आदि की इस समय कड़ी परीक्षा है। इसके लिये राष्ट्र के नागरिकों को पहिले से ही तैयार करना है और संरक्षण नियोजन में इस को स्थान देना चाहिये। इनको ढंग से चलाइये, मजदूरों को संन्तुष्ट कीजिये और उनसे काम लीजिए। सीमा पर अच्छे स्वस्थ, हटते कट्टे और मार्शल रेस के लोगों को बसाइये जिनसे सुरक्षा का काम लिया जा सके। जितने रास्ते हैं उनका जल्द निर्माण किया जाय, सुन्दर ढंग से और सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि इस देश तथा प्रदेश की सुरक्षा सुनियोजित ढंग से चल सके और हमारी तथा आपकी मान मर्यादा अक्षुणय रह सके।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार बड़े ध्यानपूर्वक सुने। वैसे तो बहस जितनी इस सदन में हुई मेरी छोटी राय में वह इस बजट से सम्बन्ध न रखकर अन्य विषयों पर ही होती रही। ज्यादा बातों का सम्बन्ध माननीय सदस्यों के अपने मन के विचारों से था। किन्हीं सज्जन ने कहा कि मिलिटरी वाले कहते हैं कि यदि हमको हुकुम मिले तो हम यह काम कर लें, और दूसरा हुकुम मिले तो दूसरा काम कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि मिलिटरी की बात कहां तक उनके कान में आयी। कम से कम मुझको तो यह सौभाग्य नहीं मिला कि उस मिलिटरी से बात करने का मुझे मौका मिला हो। मेरी समझ में मिलिटरी अगर कोई सुझाव देती होगी तो अपने अफसरों को देती होगी। अफसर भारत सरकार को देते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से तो इसका कोई सम्बन्ध है नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर एतराज किया कि होम गार्डस् पुलिस के साथ कर दिये गये हैं तो वह भी उसी तरह भ्रष्ट हो जायेंगे जिस तरह पुलिस के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। श्रीमन्, मेरी समझ में यह नहीं आया। जैसा मैंने कहा था दो प्लेटून कम से कम एक थाने में काम करेंगे। ७० आदमी उसमें होंगे और वह देहात के ही आदमी होंगे। तो उन इतने देहात के आदमियों का एक आदमी को ठीक करने के ऊपर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जनता का सहयोग हम लें, जनता को अवसर दें काम करने का, तो होम गार्ड के सिपाही तो जनता के ही आदमी हैं। उनको अभी थोड़ा-सा प्रशिक्षित कर यह भार उनके ऊपर डाला गया है। वह गांव की सारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और मेरी राय में तो दरोगा को उचित सलाह देंगे। दरोगा मजबूर होगा, यदि वह गलती करना भी चाहता है तो ठीक काम उसे करना पड़ेगा।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने नर्सेस की ट्रेनिंग के बाबत कही कि वह ट्रेनिंग अब बन्द कर दी गई है और वह इतना महत्वपूर्ण कार्य था, नर्सेज नहीं मिलतीं। उसको बन्द नहीं करना चाहिये था। उनकी सूचना के लिये मैं बताना चाहता हूं कि यह सुविधा भारत सरकार ने पहले दे रखी थी और उसके लिये पैसे भी उन्हीं के द्वारा दिये जाने की बात थी। अब भारत सरकार ने हमको लिख दिया है कि वह इस मद में हमें नहीं देंगे। इसलिये ट्रेनिंग पैसा देकर नहीं दी जायगी। वालंट्री ट्रेनिंग का जहां तक सवाल है वह अब भी मिल सकेगी। उसके लिये प्रबन्ध है।

दूसरा आरोप यह लगाया गया कि बहुत सा रुपया सरकार ने बरबाद कर दिया खाई खोद कर और तमाम पैसा बरबाद हुआ। मैं माननीय सदस्यों से सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि यह वालंट्री बेसिस पर काम हुआ था और इसमें केवल ७१० रुपया सरकार की ओर से खर्च हुआ था। बहुत ज्यादा धन इसमें व्यय नहीं हुआ था।

तीसरी बात यह उठाई गई कि एयर रेड प्रिकाशन्स में जो सड़कों पर शेड्स लगाये गये अंधेरा करने के लिए। उन पर सरकार ने बहुत रुपया लगा दिया और ठेकेदार इसमें निरा रुपया खा गये। यह भी श्रीमन्, लोकल बाडीज द्वारा और बिजलीघर द्वारा किया गया था। सरकार ने इसमें भी कोई खर्च नहीं किया था।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

दूसरी बात यह कही गई कि प्रान्तीय रक्षक दल जो बड़ी अच्छी संस्था थी उसके प्रशिक्षण के लिये केवल ८७,५०० रु० का प्रबन्ध किया गया है और बाकी के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रान्तीय रक्षा दल का अस्तित्व हम नहीं मिटाना चाहते। उसको अलग रखना चाहते हैं और होम गार्ड को अलग रखना चाहते हैं। प्रान्तीय रक्षा दल का उतना ही मान हमारे दिलों में है और उस तरह का हमने उसके लिये इन्तजाम किया है। बजट में पी० आर० डी० के लिये कट्स का पैसा दिखाया गया है १,३५,३७,००० रुपया है। २० लाख रुपया और अलाट किया गया है जो इस प्रकार है। अफसरों के भत्ते के लिये १०,८०० रुपया। उनके इस्टेबलिशमेंट के लिये १२,७४,५०० रुपया। सफर खर्च के लिये २,१४,६०० रुपया, मंहगाई भत्ते के लिये ४,१२,६०० रुपये। कन्टिन्जेन्सी के लिये ८७,५०० रुपये, यानी यह २० लाख रुपया इस बजट में रि अलोकेट किया जायगा जो पी० आर० डी० के हिसाब में चला जायगा। इसलिये यह बात कही गई है कि पी० आर० डी० के अस्तित्व को कायम रखना है और उसके अस्तित्व को मिटाना नहीं है और उस तरह से उसकी सेवा लेना है जिस तरह से वह अभी तक सेवा करता चला आया है।

बाराबंकी के विषय में एक माननीय सदस्य ने अत्यपूर्ण बात कही कि १०० मील का एरिया ऐसा है जहां पर गाय वगैरह चरती थीं और अब वहां पर कोई न आ सकता है और न जा सकता है। मुझे सूचना है कि यह उनका इलाका नहीं है। १।। मील का एरिया था जहां पर गायें चरने जाया करती थीं। वहां पर अब भी आ जा सकते हैं। मिलिटरी क्या कार्यवाही कर रही है इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

एक बात यह कही गई कि होमगार्ड के सदस्यों के पास वर्दी नहीं है और राइफल नहीं है। यह बात सही है कि ये चीजें नहीं हैं, लेकिन क्या हम उस दिन के लिये बैठे रहें जबकि हमारे देश पर संकट है। हमें अपने आदमियों को शिक्षित करना है। यदि हमारे पास राइफल नहीं हैं तो दूसरी तरह से उनको राइफल ट्रेनिंग देंगे और दे रहे हैं। जैसा मन्त्री जी ने बतलाया हमारे पास रुपया है, लेकिन वे चीजें नहीं मिल रही हैं। जो दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है सीधा चलना, अनुशासन में रहना या इस प्रकार की दूसरी जरूरी बातों की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। जब बाद को राइफल आयेंगी तो उसकी ट्रेनिंग आसानी से तब दी जा सकती है। यह माननीय सदस्य भी मानेंगे कि कुछ न कुछ ट्रेनिंग उनको देना जरूरी है। यह बात भी सही है कि अम्युनिशन की कमी है और फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना भी कठिन हो गया है। हम लोगों ने लिखा था भारत सरकार को कि अम्युनिशन बनाने के लिये हमको इजाजत दी जाय, तो उन्होंने कहा कि संकट-कालीन अवस्था के कारण अभी आर्डिनेन्स फैक्ट्री के द्वारा ही यह काम लिया जाय और उनसे ही काम चलना चाहिये। जो हमारी अम्युनिशन डिपो हैं वे कम बनाती हैं जितना भी मिल सके उनसे ही लेना चाहिये। सबकी जरूरत को वह अभी पूरा नहीं कर रही हैं। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिये हमको कदम उठाना होगा। जब भारत सरकार की अनुमति उसके लिये मिल जायगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस कार्य को जरूर अपने हाथ में लेगी। वर्दी के लिये रुपया है, लेकिन उसके लिये जो विशेष तरह का कपड़ा होता है वह कपड़ा उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है जितनी मात्रा में उसकी जरूरत है। जितना कपड़ा हमको मिल सका है उसकी हमने वर्दी बनवाई हैं लेकिन पूरी जरूरत के लिये कपड़ा नहीं मिल सका है। जितना मिला उसकी वर्दी बनाकर दी गई और उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक चीज की कमी है तो उसे पूरा करने का इन्तजाम करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी।

सभी सदस्यों ने कहा कि होम गार्ड, पी० आर० डी०, आदि के कार्य महत्वपूर्ण हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह कटौती का प्रस्ताव किस लिये है? एक तरफ कहना कि हमारे यह काम उपयोगी हैं और दूसरी तरफ कहा कि गलत काम हो रहे हैं, कहां तक ठीक है? इस मुहकमे का, सिविल डिफेंस का बहुत से उन कामों से ताल्लुक है कि जो बार्डर पर किये जा रहे हैं और इसलिये सब कामों का ब्योरा यहां देना संभव न होगा, लेकिन जो हर तरफ से यह कहा

गया कि सरकार यह नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है, इससे जनता का मनोबल घटता है। यह हो सकता है कि हमारे और अधिकारियों के काम करने में कमी हो, लेकिन उसके लिये मैं आपके सुझावों का आदर करूंगा, किन्तु केवल आलोचना के लिये आलोचना की जाय, इस विषय में अधिक उपयोगी नहीं होगी। अतः मै माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस काम में अपना पूरा सहयोग दें।

माननीय सदस्यों ने दो ब्लाकों का नाम लिया कि जहां होम गार्ड की ट्रेनिंग के लिये कोई अधिकारी नहीं गया है। मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि वैसा हुआ तो सम्बन्धित अधिकारियों को ताड़ना की जायगी। हम शहरों में २५,००० की आबादी पर एक होम गार्ड की कम्पनी बना रहे हैं और देहातों में एक ब्लाक के लेविल पर एक कम्पनी होगी। वह आपात-काल में प्रदेश की सहायता कर सकेगी और वैसी आपदाओं से लड़ सकेगी। अब समय आ गया है कि जब देश के हर नागरिक को जागरूक होना चाहिये। यह काम केवल सरकार का ही नहीं है। इसमें आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। जब तक जनता और उधर बैठने वाले सदस्यों का सहयोग न मिलेगा तब तक यह सुरक्षा का काम पूरा नहीं हो सकेगा। यह काम केवल हुक्म निकाल देने से पूरा होने वाला नहीं है इसलिये हर नागरिक को इसका महत्व जानना होगा और उसे समझना होगा कि प्रदेश और देश की रक्षा करना उसका धर्म है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ३,४८,१७,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम

श्री उपाध्यक्ष—

एक मुझे सूचना देनी है कि जो कमेटियों के चुनाव होने वाले थे, मुझे यह बताया गया है कि सभी नेताओं से परामर्श करके इसको रिवाइज कर दिया गया है। वह अब इस प्रकार है:—

१—नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।	..	२५ मार्च, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक।
२—नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	..	२८ मार्च, १९६४ को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)
३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।	..	१४ अप्रैल, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक।
४—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो	..	१६ अप्रैल, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१६ मार्च, १९६४।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७० पर]

स्टेटमेंट शोईंग दी वैरियेशन इन दी प्राइसेज आफ एसेन्शियल कमोडिटीज बिटवीन दिसम्बर, १९६२ और दिसम्बर, १९६३ ।

संख्या	कमोडिटीज	यूनिट	प्राइसेज इन दिसम्बर, १९६२	प्राइसेजइन दिसम्बर, १९६३	परसेन्टेज वैरियेशन
१	गेहूं ..	रु० पर के० जी०	०.४१	०.५४	३१.७
२	चावल ..	,,	०.५४	०.६२	१४.८
३	चना ..	,,	०.४२	०.५१	२१.४
४	बारली ..	,,	०.२९	०.४४	५१.७
५	बाजरा ..	,,	०.३५	०.४३	२२.९
६	दाल अरहर ..	,,	०.७५	०.९०	२०.०
७	दाल उरद ..	,,	०.७२	०.८२	१३.९
८	दाल मूंग ..	,,	०.६५	०.७८	२०.०
९	दाल मसूर ..	,,	०.७२	०.७८	८.३
१०	आलू ..	,,	०.४३	०.४४	२.३
११	ओनियन ..	,,	०.४०	०.४४	१०.०
१२	ऐपिल ..	,,	३.०३	३.७४	+२३.४
१३	दूध ..	रु० पूरे लिटर	०.७३	०.७३	..
१४	घी देशी ..	रु० पर किलोग्राम	६.५२	६.६२	+१.५
१५	कड़वा तेल ..	,,	२.६६	२.४५	—७.९
१६	वेजीटेबुल आयल	,,	२.९०	एस ३.१०	+६.९
१७	शक्कर ..	,,	१.०९	१.२३	+१२.८
१८	मीट (बकरा) ..	,,	२.४२	२.५८	+७.०
१९	चिलीज ..	,,	३.५४	३.१०	—१२.४
२०	टुरमेरिक ..	,,	२.३३	२.३६	+१.३
२१	चाय ..	रु० ५० ग्राम	०.३६	०.३७	+२.८
२२	गुड़ ..	रु० पर के० जी०	०.५६	०.७२	+२८.६
२३	नमक ..	,,	०.१२	०.१२	+.—
२४	इंधन लकड़ी ..	रु० पर क्विन्टल	७.२१	७.३७	+२.२
२५	बिजली ..	रु० पर यूनिट	०.३२	०.३३	+३.१
२६	तेल मिट्टी सफेद	रु० बोतल	०.२८	०.३५	+२५.०

संख्या	कमोडिटीज	यूनिट	प्राइसेज इन दिसम्बर, १९६२	प्राइसेज इन दिसम्बर, १९६३	परसेन्टेज वैरियेशन
२७	दियासलाई ..	रु० बाक्स	०.०८	०.०८	..
२८	शर्टिंग ..	रु० पर मीटर	१.३७	१.४२	+३.६
२९	लांग क्लाथ ..	,,	१.३३	१.३२	—०.८
३०	मार्किन ..	,,	१.१४	१.१३	—०.९
३१	कोटिंग ..	,,	२.०७	२.२१	—६.८
३२	धोती ..	रु० पर पेयर	१०.२५	१०.५३	+२.७
३३	साड़ी ..	,,	११.३५	११.५७	+१.९
३४	बेड शीट ..	,,	८.७५	८.१३	+१.०
३५	शू ..	,,	४.६९	४.७२	+०.६
३६	सफेद काग़ज ..	रु० पर क्वायर	०.४६	०.४७	+२.२
३७	कुनेन ..	रु० टेबलेट्स ५ ग्रेन्स	०.०८	०.०७	—१२.५
३८	वाशिंग सोप ..	रु० पर २५०	०.५०	०.५३	+६.०
३९	साइकिल टायर	रु० ग्रईप	७.६९	८.७६	+१३.९
४०	साइकिल ट्यूब	,,	२.२०	२.४६	+११.८
४१	पेट्रोल ..	रु० पर लीटर	०.७६	०.८८	+१५.८
४२	सिलवर ..	रु० १००० ग्राम्स	१९१.२२	२३५.७२	+२३.२
४३	बीड़ी ..	रु० बन्डल	०.१४	०.१४	+..
४४	हेयर ग्रायल ..	रु० पर के० जी०	३.८७	३.९८	+२.८
४५	सुपाड़ी ..	,,	८.२१	८.३२	+१.३
४६	तम्बाकू पीने वाली	,,	०.७०	०.८१	+१५.७

एस—कन्ट्रोल्ड प्राइस ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१ पर]

जाली राशन तथा शक्कर कार्डों की जांच के फलस्वरूप विभिन्न जिलों में पकड़े गये जाली कार्डों का विवरण—

क्रम-संख्या	जिले का नाम	जाली कार्डों की संख्या
१	उन्नाव	७१
२	मुजफ्फरनगर	१
३	कानपुर	७८०
४	अलीगढ़	३९
५	शाहजहांपुर	३२२
	कुल संख्या ..	१,२१३

हिन्दी भवन

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

म्युनिसिपिल बोर्ड, फतेहपुर की सीमा में सम्मिलित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण

१—नगरपालिका की वर्तमान सीमा में उत्तर तथा पूर्व दिशा में सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र :—

एक सीधी रेखा खींची जाय जहानाबाद रोड और आबूनगर रोड के जी० टी० रोड पर मिलाप स्थान से डलमऊ रोड और भिटौरा रोड के मिलाप स्थान तक और फिर डलमऊ रोड और भिटौरा रोड के मिलाप के स्थान से उस चिह्न बिन्दु तक जो० जी० टी० रोड पर मील ५७१ से पश्चिम ओर एक फर्लांग की दूरी पर स्थित है, पुनः इस बिन्दु से एक सीधी रेखा बाकूगंगज में उस स्थान तक जो दुर्गा तालाब के उत्तरी पूर्वी कोने से पूर्व ५० फीट और डलमऊ रोड से पश्चिम ओर १३ फीट पर है फिर उस बिन्दु से एक सीधी रेखा पश्चिम ओर उस स्थान तक जो पी० डब्लू० डी० इन्सपेक्शन हाउस के उत्तर पश्चिमी कोने पर जी० टी० रोड से उत्तर ओर ४१२ फीट की दूरी पर सीध में है।

२—नगरपालिका की वर्तमान सीमा में दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र :—

एक सीधी रेखा खींची जाय दक्षिण पश्चिम की ओर उस स्थान से जो जी० टी० रोड के उत्तर ४१२ फीट पी० डब्लू० डी० इन्सपेक्शन हाउस के उत्तरी पश्चिमी कोने पर है उस स्थान तक जहां पर अस्ती कोतवाली रोड और कानपुर रोड कलेक्टर साहब के बंगला के उत्तर ओर मिलती है पुनः इस स्थान से अस्ती नोली रोड की उत्तरी पटरी सहित अस्ती कोतवाली रोड और जेलबढकौली रोड के मिलाप स्थान तक फिर इस स्थान से जेलढकौली रोड के पूर्वी पटरी सहित रेल के फाटक तक जो जेलबढ़ कौली रोड पर है फिर जेलढकौली रोड पर रेल के फाटक के पूर्वी कोने से ठीक रेल की पटरी के पास रेल की पटरी से मिले हुये पूर्व की ओर उस स्थान तक जो बांदा सागर रोड केरेल के फाटक के पूर्व ६६० फीट की दूरी पर है फिर इस विन्दू से उस स्थान तक जो बांदा सागर रोड और हैबलक रोड के मिलाप स्थान के पूर्व ७२५ फीट की दूरी पर है फिर इस स्थान से उस स्थान तक जहां बांदा सागर रोड तथा हैबिलक रोड शिकारी रौजा के पास मिली है फिर इस स्थान से उस स्थान तक जहां अस्ती कोतवाली रोड और तहसील कचेहरी रोड मिलती है और फिर इन स्थान से उस स्थान तक जहां जहानाबाद रोड और आबूनगर रोड आबूनगर में जी० टी० रोड से मिलती है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

सूची नं० १

क्रम-संख्या	नाम दूकान	स्थान जिसके लिये स्वीकृत विक्रेता है	स्थान का नाम जहां दूकान है	यदि दूकानदार स्वीकृत स्थान पर कार्य नहीं कर रहा है तो उसका कारण
१	मेसर्स फतेहपुर आयरन एण्ड आर्डबेयर ट्रेडिंग कम्पनी, फतेहपुर	फतेहपुर—बहुआ	तेहपुर	..
२	मेसर्स बेनी माधव गुप्ता, फतेहपुर	फतेहपुर—बहुआ	,,	..
३	मेसर्स रामशंकर राधेश्याम, फतेहपुर	फतेहपुर—बहुआ	,,	..
४	श्री असफाक हुसैन, फतेहपुर	फतेहपुर	,,	..
५	मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स ..	फतेहपुर	,,	,,
६	मेसर्स रामजियावन परागीलाल	फतेहपुर	,,	..
७	कृष्णकुमार उपाध्याय, बिन्दकी	बिन्दकी—जहानाबाद-फतेहपुर	बिन्दकी फतेहपुर	..
८	रामनाथ रामशंकर, बिन्दकी	बिन्दकी—जहानाबाद	बिन्दकी	..
९	प्रागीलाल रामकिशन, बिन्दकी	बिन्दकी—जहानाबाद	बिन्दकी	..
१०	पन्नालाल गुप्ता, बिन्दकी ..	बिन्दकी	बिन्दकी	..
११	रामलाल मुन्नीलाल, खागा	खागा	खागा	..
१२	पथवारी दीन गंगा दीन, खागा	खागा	खागा	गत वर्ष त्यागपत्र दिया।
१३	मेसर्स रामदास गुप्ता ..	खागा—किशुनपुर	खागा	,,
१४	शिवशंकर उमाशंकर, खागा	खागा	खागा	..

सूची नं० २

सीमेन्ट जो वितरण के लिये दी गई

(मात्रा मैट्रिक टनों में)

नाम दूकानदार	जनवरी, १९६३	फरवरी, १९६३	मार्च, १९६३	अप्रैल, १९६३	मई, १९६३	जून, १९६३	जुलाई, १९६३	अगस्त, १९६३	सितम्बर, १९६३	अक्तूबर, १९६३	नवम्बर, १९६३	दिसम्बर, १९६३	जनवरी, १९६४
१—फतेहपुर आयरन एंड हार्ड वेयर ट्रेडिंग कम्पनी, फतेहपुर	४७.१६	२८३.२	..	२३.१३	..	..	..	..	..	२४.००	२२.१०	७.१०	३०.००
२—बेनीमाधव गुप्ता, फतेहपुर ..	..	४८.६	४६.०	६९.०	४८.०	..	..	२४.०	२४.०	४५.१०	..	७.१०	३०.०
३—रामशंकर राधे-श्याम, फतेहपुर	..	४६.०	४६.०	४६.०	४८.०	..	४८.०	..	..	३०.००	१५.०	..	२५.०
४—असफाक हुसैन, फतेहपुर ..	..	..	२३.१५	..	२३.१५	..	४८.०	..	२४.०	..	..	२२.१०	१२.१०
५—अग्रवाल ब्रादर्स, फतेहपुर ..	..	..	२४.००	..	..	..	..	..	..	२३.००	७.१०	..	७.१०
६—रामजि रावन प्रागी-लाल, फतेहपुर	२४.८३	७१.०७	..	..	..	..	..	..	२४.०	२२.१०	..	..	..
७—कृष्ण कुमार उपाध्याय, फतेहपुर .	..	..	..	..	..	..	२४.०	..	७६.०	२२.१०	१५.०	७.१०	१५.०
८—रामनाथ रामशंकर, बिन्दकी ..	..	..	..	..	२४.०	..	२४.०	..	२४.०	१५.०	३७.१०	२२.१०	२२.१०

सत्यमेव जयते

९—धन्नालाल गुप्ता, बिन्दकी ..	..	..	..	१५.०	..	..	८.०	७.१०	२३.०	१५.०	..	..	..
१०—प्रागीलाल रामकिशुन, बिन्दकी ..	..	..	..	..	..	..	..	२४.०३	..	..	..	२४.०	..
११—कृष्णकुमार उपाध्याय, बिन्दकी ..	..	८.०	..	..	३२.०	..	..	..	२२.१०	२२.१०	३०.०	..	१५.०
१२—रामलाल मुन्नीलाल, खागा ..	२४.३	..	..	..	..	..	..	..	२४.०	..	७.१०	..	..
१३—रामदास गुप्त, खागा ..	३९.००	८.०	९१.०	४६.०	..	..	२४.०	३४.०	..	१५.०	२२.१०	७.१०	५२.१०
१४—शिवशंकर उमाशंकर, खागा ..	..	..	..	..	..	२३.१०	..	..	२३.०	..	..	७.१०	..
१५—पथवारीदीन गंगा-दीन, खागा	४७.४	..	..	त्याग पत्र दे दिया									

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनवरी, १९६३ से मार्च, १९६४ तक का फतेहपुर का कोटा

क्वाटर	मात्रा जो दी गई
१---१९६३ ..	५०६ मैट्रिक टन
२---६३	५७५ ,, ,,
३---६३	६२१ ,, ,,
४---६३	६०० ,, ,,
१---६४	८७४ ,, ,,

(सीमेन्ट का कोटा तीमाही होता है)

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०—५ एल० ए०—१९६४—८६० ।